बाल श्रम

सामाजिक एवं आर्थिक दशा का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(बुन्देलखण्ड के संदर्भ में)

CHILD - LABOUR

(An Analytical study of the Social and Economic Condition in relation to Bundelkhand)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की अर्थशास्त्र विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-ग्रन्थ

शोधकर्ता

श्रीमती कल्पना निरंजन

प्रवक्ता

अर्थशास्त्र विभाग

आर्य कन्या महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

झाँसी

X245

निर्देशक

डा. मोहन शरण निगम

एम.कॉम., एल.एल.बी., पी-एच.डी.

उपाचार्य एवं अध्यक्ष

वाणिज्य संकाय

बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी

पूर्व - अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय,
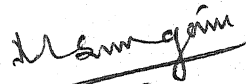
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कल्पना निरंजन द्वारा बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय, झांसी में अर्थशास्त्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु "बाल श्रम- सामाजिक एवं आर्थिक दशा का विश्लेषणात्मक "अध्ययन" (बुन्देलखण्ड के संदर्भ में) नामक शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन में प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त शोध ग्रन्थ का प्रणयन इन्होंने स्वयं अपने मौलिक प्रयासों से किया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इन्होनें अपने शोध ग्रन्थ को पूरा करने में मेरे पास दो वर्ष की उपस्थिति दी है।

दिनांक: 28-05-04

डा० मोहन शरण निगम
उपाचार्य एवं अध्यक्ष
वाणिज्य संकाय
बुन्देलखण्ड कालेज, झांसी

प्राक्कथन

बाल श्रम किसी न किसी रुप में प्रत्येक देश व समय में उपलब्ध रहा है तथा न्यूनाधिक रुप में समाज को प्रभावित करता रहा है। प्राचीन काल में बाल श्रम सामाजिक व्यवस्था का अंग था, परन्तु आज बाल श्रम एक सामाजिक व आर्थिक समस्या के रुप में कैंसर की भांति व्याप्त हो गया है। बदलते हुए मूल्यों, सामाजिक प्रतिमानों तथा नियम विधानों के कारण यह स्पष्ट रुप से परिलक्षित होने लगा है ।

सन् १९७९ का वर्ष विश्व में बाल वर्ष के रुप में मनाया गया तथा वर्ष १९९० को दक्षेस देशों में बालिका वर्ष के रुप में मनाया गया है । इसका लक्ष्य संसार के सभी बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करना रखा गया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार घोषणा पत्र भी निर्गत किया था जिसमें कहा गया है कि मानव जाति पर बच्चों का यह ऋण है कि वे उन्हें अपनी श्रेष्ठतम विरासत सुलभ कराये और वे अपने इस कर्तव्य पालन के लिये सभी दायित्वों की पूर्ति हेतु बचनबद्ध होते हैं । परन्तु वास्तविकता के धरातल पर ये घोषणायें व वायदे खोखले ही सिद्ध हुए हैं। समाज में व्याप्त समस्याओं एवं व्याधियों को कुछ शक्तियां प्रत्येक काल एंव स्थान में प्रश्रय एवं संरक्षण देती रही हैं । इसी प्रकार कुछ शक्तियाँ बाल श्रम को बढ़ावा देने का कार्य करती रही हैं और वर्तमान में भी अहम भूमिका निभा रही है। वे चाहती हैं कि समाज में बाल श्रम को संवैधानिक मान्यता मिल जायें। परिणामस्वरुप

बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास फलीभूत न हो सकें । वास्तव में आज बाल श्रम की जड़े इतनी गहराई तक जा चुकी हैं कि इनको जड़ सहित उखाड़ना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है ।

किसी राष्ट्र की आर्थिक व भौतिक समृद्धि नवीन पीढ़ी की गुणवत्ता पर ही चिरस्थाई रह सकती हैं। अतः देश के भविष्य को खुशहाल बनाने व सुरक्षित करने के लिये वर्तमान संतति का पूर्ण पालन पोषण एवं विकास किया जाना आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य भी है। हमारे देश के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक में व्यक्ति को बचपन की कुंठाओं व उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं । संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि
१४ वर्ष से कम आयु,वाले किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान और न ही अन्य किसी संकटमय नौकरी में लगाया जाना चाहिए,भारत में १४ वर्ष तक की आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता हैं, इस संदर्भ में यह धारणा है कि इस अवस्था तक बच्चों को उपयोगी उत्तरदायी एवं योग्य नागरिक बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अल्पायु के बच्चों को खेलकूद व शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने के बजाय जोखिमपूर्ण कार्यो में उनका नियोजन एक असभ्य एवं अमानवीय प्रथा है, यह एक ऐसा शोषण है, जो बच्चों की उन्नति में बाधक होता है और उन्हें कदाचार की ओर धकेलता है और देश के भावी विकास को अवरुद्ध करता है। संवैधानिक प्रावधानों में बाल वर्ग के दैहिक एवं मानसिक शोषण पर पूर्ण अंकुश होने के उपरान्त भी बच्चों का बचपन आज भी उत्पीड़न से मुक्त नहीं है। जिन बच्चों को विद्यालय में क्रीड़ांगनों में हंसी ठिठोली करनी चाहिए वे जोखिम भरे उद्योगों में अपने जीवन का स्वर्णिम समय झोंक रहे हैं या फिर होटलों और ढाबों में जूठे वर्तन धोने के कार्य में लिप्त हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग की सितम्बर, १९९४ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत मे बाल श्रमिको की संख्या विश्व में सर्वाधिक

है, भारत सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में १ करोड़ ३५ लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि अन्य संगठनों के सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या ४.५ करोड़ और १० करोड़ के मध्य है।

किसी भी देश की समस्या को उसकी सामाजिक,आर्थिक परिस्थितियों व व्यवस्थाओं से अलग करके नहीं आंका जा सकता है। भारत में बाल श्रमिकों का स्त्रोत यहां की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की जड़ों में है, अशिक्षा, अज्ञानता ,कम वेतन, बेरोजगारी, सामाजिक मूल्यों का हास ऐसे कारण है जिनसे मायूस व चपल खिलखिलाहट मजदूरी की खुरदुरी राह पर ढकेल दी जाती है । क्या ठेकेदार,क्या दलाल,क्या मालिक,क्या समूचा व्यवसायिक समाज कुल मिलाकर पूरा परिवेश ही मुलायम हाथों पर दुर्भाग्य की नई लकीरे व दरारें खींच रहा हैं।

भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश हैं, निर्धनता,निम्न राष्ट्रीय आय,कृषि की प्रधानता जनाधिक्य की समस्या,सम्पत्ति व आय वितरण में असमानता, पूंजी का अभाव,औद्योगिक व कृषि का पिछड़ापन यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों की अपर्याप्तता व विपरीत भुगतान संतुलन अर्थव्यवस्था की कुछ उल्लेखनीय विशेषतायें हैं। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार अशिक्षा इत्यादि ने अर्थव्यवस्था को और जटिल कर दिया है।

विश्व के सभी देशों की सामाजिक व्यवस्था में प्राचीनकाल से ही बाल श्रमिक विद्यमान रहे हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन काल में बाल श्रमिक एक समस्या के रुप में विद्यमान नहीं था संयुक्त परिवार के विघटन नगरीकरण, औद्योगीकरण व तकनीकी विकास के कारण बाल श्रम वर्तमान भारत की एक ज्वलन्त समस्या बन गया है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, इस प्रदेश की जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही हैं प्रदेश में गरीबी बढ़ रही है तथा गरीब परिवारों के बालकों को मजबूरी वश मजदूरी करना पड़ रही है।

शोधकर्ता ने इसी समस्या पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र को लेकर अध्ययन किया है तथा समस्या पर सुझाव देने का प्रयास किया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको स्वतंत्र इच्छा शक्ति एवं संकल्प शक्ति का वरदान है। संकल्प शक्ति मनुष्य में ऊर्जा का संचार करती है जिससे वह महान व श्रेष्ठ कार्य करने में समर्थ होता है। परन्तु उसके मानवीय प्रयासों को सफल होने के लिए उसमें सृजनों एवं माता-पिता की प्रेरणा और आर्शीवाद भी चाहिए। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मुझे जिन महानुभावों का सहयोग प्राप्त हुआ उनके प्रति अभार प्रदर्शित करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है।

शोधकार्य एक अत्यंत श्रम साध्य एवं मानसिक संघर्ष जन्य कर्म है। अतः अपने इस शोधप्रबन्ध के लिये मैं सर्वप्रथम डा० मोहन शरण निगम उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग बुन्देलखण्ड कालेज झांसी की अत्यंत ऋणी व आभारी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मेरा मार्ग दर्शन किया उनके सहयोग निर्देशन एवं सत्परामर्श से ही मैं यह शोध प्रबन्ध पूरा करने में सफल हुई। अन्त में मैं अपने पति,बच्चों तथा परिवारों वालों की भी आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं प्रोत्साहन से मैं यह कार्य करने में सफल रही इसके साथ ही मैं यह शोधप्रबन्ध अपने परिवार प्रमुख प्रो० जगदीश सिंह निरंजन को समर्पित कर उनसे अपनी सफलता के लिये आशीष की कामना करती हूँ।

कल्पना निरंजन

श्रीमती कल्पना निरंजन

अनुक्रमणिका	पृष्ठ संख्या

प्रथम अध्यायः- ११ से २५

प्रस्तावना

(अ) बाल-श्रमिक की अवधारणा,

(ब) बाल श्रम का उदय एवं विकास

(स) भारतीय अर्थ व्यवस्था

(द) बाल श्रम पार्श्व दृष्य

द्वितीय अध्यायः- **२६ से ४२**

बुन्देलखण्ड संभाग की भौगोलिक,आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

(अ) भोगोलिक स्थिति

(ब) आर्थिक परिवेश

(स) संसाधन आधार

(द) औद्योगिक क्रिया की संरचना

तृतीय अध्यायः- ४३ से ६०

शोध प्रारुप

(अ) उपगम्य

(ब) शोध प्रयोजन

(स) निदर्शन विधि

(द) समंक एकत्र करने की विधि

(य) सांख्यिकीय विवेचन

चतुर्थ अध्यायः- ६१ से ६२

कार्य की दशायें

(अ) कार्य आरम्भ करने की आयु

(ब) कार्य करने की प्रेरणा

(स) कार्य की प्रकृति

(द) नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधायें,

(य) कार्य के घण्टे

(र) अवकाश एवं बाल श्रमिक

(ल) बाल श्रमिकों से नियोक्ता का व्यवहार

(व) कार्य सन्तुष्टि

पंचम अध्यायः- ६३ से ११५

बाल-श्रम रोजगार के प्रभाव

(अ) बाल श्रम के कारण

(ब) बाल-श्रम को वरीयता

(स) बाल-श्रम के प्रभाव

(द) नियोक्ताओं की दृष्टि से बाल श्रम के प्रभाव

षष्ठम अध्यायः- ११६ से १३८

बाल-श्रम एवं प्रत्यक्षीकरण

(अ) कार्य बनाम् स्कूल शिक्षा

(ब) बाल -श्रम उन्मूलन बनाम कार्य की दशाओं में सुधार

(स) बाल-श्रमिक को कानूनी रुप से समाप्त करने के परिणाम पर नियोक्ताओं के विचार

(द) बाल-श्रम को कानूनी रुप से समाप्त करने के परिणाम पर बाल श्रमिकों के विचार

(य) बाल-श्रमिकों का पुनर्वास

सप्तम अध्यायः- १४० से १७३

बाल-श्रम एवं राज्य

(अ) बाल- श्रमिक की वैधानिक अवधारणा

(ब) बाल-श्रमिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

(स) बाल-श्रमिक से सम्बन्धित नियम-विधान

(द) कानून बनाम् बाल-श्रमिक

(य) कानून बनाम् नियोक्ता

अष्ठम अध्यायः- **१७५ से १८३**

निष्कर्ष एवं सुझाव **१८४ से १८६**

अनुसूची "क" **१८७ से १९३**

संदर्भित ग्रन्थों की सूची **१९४ से २०४**

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

''बालक ऐसी आत्मा है,

जिसका अपना अस्तित्व,

स्वभाव और क्षमताएं हैं

अपने अस्तित्व, स्वभाव और

क्षमताओं को पहचानने में,

उनके परिपक्व हो सकने,और

अपनी शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा

को पूर्ण रुप से विकसित करने में,

बौद्धिक भावनात्मक और

आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को पूर्ण

विस्तार, गहराई और उत्कृष्टता

प्रदान करने में उसकी सहायता की जानी चाहिए

अन्यथा राष्ट्र का समुचित विकास

नहीं हो सकेगा।'[१]

---

१. न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती: (भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)

"बालक ऐसी आत्मा है
जिसका अपना अस्तित्व,
स्वभाव और क्षमताएं हैं
अपने अस्तित्व, स्वभाव और क्षमताओं को पहचानने में,
उनके परिपक्व हो सकने और
अपनी शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा
को पूर्ण रूप से विकसित करने में,
बौद्धिक भावनात्मक
आध्यात्मिक प्रवृतियों को पूर्ण
विस्तार, गहराई और उत्कृष्टता
प्रदान करने में उसकी सहायता की जानी चाहिए,
अन्यथा राष्ट्र का समुचित विकास
नहीं हो सकेगा।"

न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
[illegible] के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्यन्यायाधीश

"बालक वह व्यक्ति है जिसने
अपनी आयु का चौदहवां [illegible]
पूरा नहीं किया है।"

[illegible] (प्रतिषेध [illegible])
[illegible] अनुच्छेद [illegible]

भारत ने अपने संवैधानिक उपबन्धों कानूनों एवं प्रशासनिक उपायों के माध्यम से लगातार सकारात्मक बाल श्रम नीति का अनुसरण किया है। वर्ष १९९४ के स्वतन्त्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा से कि सन् २००० तक जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों से बाल श्रम समाप्त कर दिया जाएगा,बाल श्रम के प्रति राष्ट्रीय जागरुकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है। घोषणा के पश्चात सरकार ने कई दूरगामी समकेतिक कदम उठाये हैं ताकि बाल श्रम समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के गठन के साथ ही बाल श्रमिकों पर विभिन्न सेवाओं, और कार्यक्रमों के अभिसरण(कॉन्वर्जेन्स) का मार्ग प्रशस्त हुआ हैं। बाल श्रम के आनुक्रमिक और उत्तरोत्तर उन्मूलन हेतु सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा किए जा रहे एकछत्र संगठन की आवश्यकता को पूरा किया है, जिसकी चिरकाल से प्रतीक्षा थी। बाल श्रमिक कार्यक्रम एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और इस से राज्य सरकारें, भारतीय श्रम सम्मेलन तथा स्थाई श्रम समिति जैसे त्रिपक्षीय संगठन जुड़े हुए हैं।

बाल श्रम के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर संचार माध्यमों का व्यापक अभियान चलाया गया है। बाल श्रम पर अनेक दूरदर्शन कार्यक्रम एवं फिल्में बनाई गई है।

बाल श्रम किसी न किसी रुप में प्रत्येक देश व समय में उपलब्ध रहा है तथा न्यूनाधिक रुप में समाज को प्रभावित करता रहा है। प्राचीन काल में बाल श्रम सामाजिक व्यवस्था का अंग था, परन्तु आज बाल श्रम एक सामाजिक व आर्थिक समस्या के रुप में कैंसर की भांति व्याप्त हो गया हैं। बदलते हुए मूल्यों, सामाजिक प्रतिमानों तथा नियम विधानों के कारण यह समस्या स्पष्ट रुप से परिलक्षित होने लगी हैं।

देश की भावी प्रगति पूर्णरुपेण वर्तमान संतति के विकास पर निर्भर है किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व भौतिक समृद्धि चिरस्थाई नहीं रह सकती यदि उसकी नई पीढ़ी गुणवत्ता युक्त न हो अतः देश के भविष्य को बेहतर बनाने व सुरक्षित करने के लिए वर्तमान संतति का दक्षतापूर्ण पालन पोषण एवं विकास किया जाना आवश्यक ही नहीं,अपितु अपरिहार्य भी है।

<u>बाल श्रम की अवधारणा</u> :- भारत जैसे विकासशील देश निर्धनता, अति जनंसख्या एवं कुपोषण की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। फलस्वरुप अविकसित बालक अपनी प्राकृतिक क्षमताओं, शक्तियों एवं प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास न करके अपनी अपल्लवित दक्षता द्वारा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनोपार्जन में संलग्न हो जाता है। ऐसी दशा में यह कार्य एक सामाजिक आर्थिक व नैतिक बुराई के रुप में समाज के समक्ष उत्पन्न होता है। यह एक बुराई तो है ही किन्तु इससे भी अधिक बुरी बात यह है कि बाल श्रमिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो कुछ भी उपार्जित करता है उसका अधिकांश भाग दूसरे लोग हड़प लेते है। वास्तव में बाल श्रम एक समस्या ही नहीं वरन् एक व्याधि के रुप में समाज को खुले आम चुनौती दे रहा है। इन परिस्थितियों में अधखिला पुष्प खिलने से पूर्व ही मुर्झा जाता है।

अन्धेरी गलियों में कूड़ा बीनते, होटलों में बर्तन धोते, ताप भट्टियों में पिघलता कांच व धातु उठाते, घर के प्रत्येक सदस्य का काम करते हुए भी डांट खाते हुए देखकर पं० जवाहर लाल नेहरु के इस कथन पर तरस ही खाया जा सकता है – " मैं देश के हर बच्चे की आंखों में आने वाले हिन्दुस्तान के भविष्य की तसवीर देखता हूँ।[१]

१- नवभारत टाइम्स,२७ फरवरी १९९०

बच्चा राष्ट्र का भविष्य है, आशावादी कल का आधार है। यह कहना अतिश्योक्ति पूर्ण नहीं होगा कि "बच्चे ही राष्ट्र है।" ग्यारह साल का एक बच्चा सड़क पर मोटर गाड़ियों के बीच दौड़ता हुआ अखबार बेच रहा था और चिल्ला रहा था "सरकार को निर्देश दिया गया है कि बालकों व किशोरों की शोषण से सुरक्षा की जाए और उन्हें नैतिक व आर्थिक पतन से बचाया जाए"। कितनी विडम्बना है कि जिन बच्चों की आंखों में देश का भविष्य देखने की कामना थी उनकी आंखों में एक अन्तहीन भटकाव हिलोरें ले रहा है।

बोलचाल की भाषा में श्रम का अभिप्राय प्रायः उस चेष्टा या परिश्रम से होता है जो कि किसी कार्य करने हेतु किया जाता हैं ये चेष्टा मनुष्य करे या पशु सदैव श्रम कहलाती है। प्रो० एस० ई० थामस के शब्दों में श्रम मनुष्य का वह शारीरिक व मानसिक प्रयत्न है जो प्रतिफल की आशा से किया जाता है।

इसी प्रकार के विचार अर्थशास्त्री प्रो० मार्शल ने दिये हैं –"श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यो से है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।"

पीगू के मतानुसार " वह परिश्रम(या सेवा) जिसे दृव्य द्वारा मापा जा सकता है, श्रम कहलाता है।"

प्रो० केयरन क्रास के शब्दों मे "समाज की दृष्टि से उत्पत्ति के साधनों में श्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि या पूंजी का उचित प्रयोग नही होता है तो केवल इन साधनों के मालिकों को थोड़ी आय की हानि होगी। परन्तु यदि श्रम का उचित प्रयोग नहीं होता है तो पुरुषों व स्त्रियों में हीनता व निर्धनता फैलती है तथा सामाजिक जीवन के स्वरुप में भी गिरावट आती है।"

श्रम ही इस वसुन्धरा का सुहाग है। और धरती के बेटे मनुष्य ही इसकी शोभा हैं तथा उसकी सफलता का रहस्य हैं क्योंकि

" प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से,

सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से,श्रम बल से।" ●

श्रम ही सृष्टि का मूल है। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में श्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक सम्पत्ति की प्रचुरता से सम्पन्न देश भी पर्याप्त एवं कुशल श्रम के अभाव में मनोवांछित प्रगति नहीं कर सकता है।

"कार्ल मार्क्स ने श्रम को सर्वाधिक महत्व दिया है एवं पूंजी को मानवीय शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भी श्रम की शक्ति ही श्रमिकों में आत्म सम्मान व गौरव की भावना प्रेषित करती है। गांधी जी का विचार था कि अथक श्रम के माध्यम से ही प्रजातांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ।"

समस्त अर्थशास्त्री एक स्वर मे इस बात का समर्थन करते है कि श्रम ही समस्त सम्पत्ति का श्रोत है और प्रकृति के बाद यही उत्पादन के लिए सामग्री प्रदान करता है तथा उसे सम्पत्ति में बदलता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि वहां के निवासियों के अथक श्रम मे निहित होती है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चाहे कृषि प्रधान हो या उद्योग प्रधान श्रम के महत्व को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता।

● कवि रामधारी सिंह- दिनकर

इसी आधार पर पं० नेहरु ने राष्ट्र को " आराम हराम है" का नारा दिया। पन्त जी ने लिखा है - " जगत अविरल जीवन संग्राम, स्वप्न हैं यहां विराम।"[१]

श्रम उत्पत्ति का अत्याज्य साधन होता है। उत्पत्ति के सरल तथा विषम स्वरुप में भी कुछ न कुछ श्रम अवश्य ही प्रयुक्त होता है। विश्व के प्रत्येक भाग में मनुष्य श्रम से ही जीविकोपार्जन करते हैं। जहां प्रकृति प्रचुर मात्रा में दान देती हैं और मानवीय आवश्यकतायें भी थोड़ी व सरल होती हैं वहां भी अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये यदि फल की आवश्यकता है तो उसे तोड़ना ही होगा, यदि आवास की आवश्यकता है तो उसे मकान का निर्माण करना ही होगा।

"मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि कम से कम श्रम करके अधिक सुख प्राप्त करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने नये नये यंत्रों व मशीनों का आविष्कार किया। मनुष्य ने इस समय तक कृषि,व्यापार व औद्योगिक क्षेत्रों में जो कुछ सफलता प्राप्त की है वह उसके सतत श्रम का ही परिणाम है। आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए मनुष्य को जितनी अधिक कठिनाई होती है वह उतना ही प्रयत्न करता है।"

सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव जीवन में श्रम का महत्व दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। एडिसन के आविष्कार,गिवन का रोम साम्राज्य का पतन नामक ग्रन्थ जिसकी रचना में २० वर्ष लग गये,कार्लाइन का "फ्रांस की राज्य क्रान्ति का इतिहास,महाभारत व रामायण जैसे महाग्रन्थ और ताजमहल आदि सब मानवीय जीवन में श्रम के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। कालिदास अध्यवसाय से सर्वश्रेष्ठ कवि बने, महात्मा गांधी जीवन भर देश की स्वतन्त्रता के महान कार्य में जुटे रहे तथा सफलता प्राप्त की।

---

(1) सक्सेना,एस०पी० श्रम समस्यायें एवं सामाजिक सुरक्षा रस्तोगी पब्लिकेशन,मेरठ,१९८३-८४पृ०२५

वास्तव में प्रत्येक महापुरुष के जीवन के पीछे तथा उसके महत्त्वपूर्ण कार्यो की ओट में वर्षो का श्रम ही छिपा हुआ है।

बाल श्रम का उदय एवं विकास :-

अति प्राचीन काल से बाल श्रम विश्व के सभी देशों व समाजों में किसी न किसी रुप में विद्यमान रहा है प्राचीन समाज में जब मनुष्य खानाबदोशी या शिकारी का जीवन व्यतीत करता था तब उनके बच्चे अपने से बड़ों की सहायता करते थें। जब मनुष्य ने खेती करना प्रारम्भ किया तो बच्चे कुछ कम भारी कार्यों में अपने माता पिता की सहायता करने लगे। संयुक्त परिवार उस समय मुख्य सामाजिक संस्था होती थी तथा बच्चों को पूर्ण सुरक्षा दी जाती थी तथा उनके साथ दया का व्यवहार किया जाता था। समय के बीतने के साथ साथ स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा प्रारम्भ हो गयी परन्तु यह केवल समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही मिल पाती थी। अधिकतर बच्चे घर में बड़ों को देखकर कार्य सीखते थें। पहले वे जिज्ञासावश अपने से बड़ों के साथ कार्य प्रारम्भ करते थें। फिर उन्हें कार्य में रुचि पैदा हो जाती थी तथा कार्य को करने में आनन्द की प्राप्ति होती थी। वे परिवार में रहकर आसानी से लगभग अचेतन अवस्था में निरीक्षण और समागम द्वारा बड़ों की भूमिका को सीख लेते थें। उस समय किसी व्यवसाय में जाने के लिए कोई अवसर एवं आवश्यकता नहीं थी। व्यवसाय में जाने का सक्रमण क्रमिक तथा शारीरिक एवं बौद्धिक परिपक्वता ग्रहण करने से वे सरल से जटिल एवं जटिलतम कार्य करने लगे। खेती व खेती पर आधारित उद्योग व धन्धे सभी परिवार में रहकर चलाये जाते थे तथा बच्चा उनमें एक सहायक या प्रशिक्षु के रुप में भाग लेता था। उस समय बच्चा अपने अभिभावक के बिलकुल सामने कार्य करता था बच्चों को अपने पारिवारिक

व्यवसाय को अपनाने के लिए उत्साहित किया जाता था। "मानव शरीर बचपन से लचीला,मुलायम व नम्र होता है और इसलिए उनके शरीर एवं मन को किसी भी प्रकार के व्यवसाय के अनुकूल ढाला जा सकता है। यह न केवल एक शारीरिक समायोजन होता है बल्कि मानसिक समायोजन भी होता है जो कि सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त किया जा सकता है ।[१]"

प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत से इस बात का पता चलता है कि उस समय में होने वाले राजाओं को भी अपना बचपन उन शर्तों पर व्यतीत करना पड़ा जो कि प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। रामायण के नायक राम को भी अपना बचपन अपने छोटे भाई के साथ गुरु वशिष्ठ की कुटी में बिताना पड़ा। यह आश्रम 'कुटी' एक सीखने का स्थान था।

दूसरे महाकाव्य महाभारत में उसके नायक श्रीकृष्ण ने अपने कुटुम्ब के एक ग्वाले के यहां अपना बचपन बिताया जहां पर उन्होंने केवल छः वर्ष की आयु में ही पशुओं को चराना आरम्भ कर दिया था। मनु स्मृति भी इस तथ्य को बताती है कि सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा बच्चों के लिए आवश्यक थी। समाज द्वारा उन माता पिता को दण्डित किया जाता था जो अपने पुत्र व पुत्री को आठ वर्ष की अवस्था पूरी होने के बाद भी गुरु के आश्रम या विश्वविद्यालय नहीं भेजते थे ।

---

१. मुसाफिर सिंह,वर्किंग चिल्ड्रेन इन बोम्बे,पृ० २

मनुस्मृति बताती है -

कल्यानां सम्प्रदान च कुमारण व रक्षणम्। [1]

इसका अर्थ यह है कि समाज के प्रत्येक लड़के व लड़की को ब्रहमचर्य के बारे में शिक्षित करना राजा का कर्तव्य था। आठ वर्ष की अवस्था के पश्चात कोई भी बच्चा घर पर नहीं रहना चाहिए। उनको शिक्षा के लिए आश्रम या स्कूल भेज दिया जाना चाहिए। जहां मनु एक ओर बच्चों के संरक्षण की बात करता है वहीं दूसरी ओर वह बाल दासों का भी उल्लेख करता है।

इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में इस बात का उल्लेख किया है कि छोटे बच्चों को भी बंधकों के रुप में रखा जाता था उसने लिखा है कि किसी भी छोटे बालक को व्यक्तिगत रुप से बंधक रखने के लिए विभिन्न प्रकार के दण्ड की व्यवस्था राज्य में थी।

उसने यह भी महसूस किया कि विदेशियों के लिए या जनजातियों के लिए अपनी सन्तति को बंधक के रुप में रखना या बेचना अपराध नही था।[१] ऐसा भी पता चलता है कि आठ साल से कम आयु के बच्चे को दास के रुप में रखना असामान्य बात नही थी। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारत में भी बाल दास की प्रथा विद्यमान थी। आठ साल से कम उम्र के बच्चे नीच एवं असम्मानजनक कार्य करने के लिए व्यापार की वस्तुओं की भांति खरीदे व बेचे जाते थे ।

---

(1) स्वामी दयानन्द-सत्यार्थ प्रकाश,पृ० ७६१

१. कांगले के०पी० द कौटिल्य अर्थशास्त्र यूनिवर्सिटि आफ बाम्बे १६६३,पृ० २७१-२७४

जब तक दासों का मालिक दासों को दासत्व से मुक्त नहीं कर देता था तब तक दासों के बच्चे दास के रुप में ही जन्म लेते थें तथा दास के रुप में ही मर जाते थे।[1]

मध्य युग मे भी बाल श्रमिक व बाल दासों का उल्लेख मिलता है। अलबरुनी, इब्नबतूता, बर्नी आदि के ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उद्योगों में बच्चे श्रमिकों के रुप में कार्य करते थें अबुल फजल ने आइने अकबरी में लिखा है कि राजकीय उद्योगों में बच्चों से कार्य लिया जाता था। आगरा व फतेहपुर सीकरी में राजकीय उद्योगों में बच्चों से दासों के रुप में १२ घण्टे से भी अधिक कार्य लेने का उल्लेख मिलता है। यह ही नहीं वे बाल दासों के रुप में भी घरों पर कार्य करते थे।[2] उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य बड़े पैमाने पर यान्त्रिक उत्पादन शुरु हो गया। राज्य के कानून किसी भी प्रकार की फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे। नियोक्ता श्रमिकों से सौदेबाजी करते थे। इसलिए इस देश में लाभ के लिए श्रमिकों का शोषण किया जाता था।

इतना होते हुए भी इस समय तक श्रम करना एक सामाजिक समस्या के रुप में कभी नहीं रहा। बालकों के प्रति वयस्कों में कोमल भावना थी। उनको भरपेट भोजन प्रदान किया जाता था। श्रमिकों को गिरवी रखने की प्रथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होने तक बनीं रही। उन्नत प्रौद्योगीकरण व नगरीकरण की गति को तेज कर दिया गया। परिणामस्वरुप सामाजिक व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए।

संयुक्त परिवार जो कि बच्चों के अधिकाधिक, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देने योग्य थे बिखरने शुरु हो गए। परिवार में प्रत्येक को जीवित रहने के लिए कार्य करना आवश्यक हो गया ।

---

१. अशरफ, लाइफ एण्ड कण्डीशन आफ द पीपुल आफ हिन्दुसतान

२. कुलश्रेष्ठ जे०पी० भारत में बाल श्रम,१९७८ ,पृ०४६

पूंजीवादी व्यवस्था व नई आर्थिक शक्तियों ने परिवार पर आधारित आर्थिक व्यवस्था को भंग कर दिया। कृषि में यंत्रीकरण के कारण भारी संख्या में श्रमिकों को नगरों की ओर पलायन करना पड़ा। इसलिए उनका अपनी भूमि व गृह से संबंध समाप्त हो गया। वे दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर हो गये। भंयकर गरीबी ने परिस्थिति को इस प्रकार बना दिया कि बच्चों को मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। शिक्षा की कमी व वयस्क मजदूरों के रोजगार के विकल्प की कमी ने बच्चों को कार्य में आने के लिए बाध्य किया। परिणामस्वरुप बच्चों के बौद्धिक व मानसिक विकास के अवसर अवरुद्ध हो गये। ठीक यही स्थिति विकसित देशों में भी प्रचलित थी। औद्योगीकरण के पूर्व यूरोप में लड़के अपने पिता के साथ फार्म पर कार्य करते थे,पशुओं को चराते थे या फसलों को चिड़ियों से बचाते थे। लड़कियां कातने का कार्य करती थीं अथवा छोटे बच्चों की देखभाल करती थीं। [१]

उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में बच्चों को छोटे शरीर व छोटे हाथों के कारण कुछ काम उनके लिए बड़े उपयुक्त समझे गये जैसे चिमनियों की सफाई, पश्चिम में १६ वीं शताब्दी के मध्य में जो सामाजिक विचारधारा बालश्रम के पक्ष में थी वह अब परिवर्तित होने लगी। बच्चों की रक्षा करने के लिए फैक्ट्री सुधारों को लागू किया गया। जैसे कम उम्र में कार्य पर जाना फैक्ट्री मालिकों द्वारा प्रशिक्षण की सुवधियें,भूमि के नीचे या रात में कार्य करने पर पाबन्दी तथा खतरनाक मशीनों उद्योगों व पदार्थ के साथ कार्य न करना। धीरे -धीरे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

१.श्री एस० कोठारी-शिवकासी में बाल-श्रम आर्थिक एवमं राजनीतिक विचार सप्ताहिक, जुलाई २ १९८३ पृ० ११

होने के कारण तथा शैक्षिक आवश्यकतायें बढ़ने के साथ बाल श्रमिकों के लाभ कम हो गये। कानूनों के सख्त होने के कारण बाल श्रमिकों का मिलों में तथा व्यस्क श्रमिकों के साथ काम करना कठिन हो गया। पश्चिम में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरुप बाल श्रम छूत की बीमारी की तरह से कम विकसित देशों मे भी फैल गया तथा कुछ समाज ऐसा सोचने लगे कि -"परिवार बच्चों की उन्नति के लिए नहीं है बल्कि बच्चे परिवार के सहारे के लिए है।"१

१.इनीवसील्ड क्राउड- द इम्पालायमेंट आफ चिल्ड्रेन कानो (नाइजीरिया) पृ० १०२

बाल श्रम पार्श्व दृश्य :-

पार्श्व दृश्य :- संख्या की दृष्टि से यद्यपि भारत में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं लेकिन विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत के कुल श्रमबल में बाल श्रमिकों का अनुपात बहुत कम है। बाल श्रमिकों का यह अनुपात भारत में केवल १४.३७ प्रतिशत आंका गया है। भारत में बाल श्रम का एक पहलू यह भी है कि इनकी संख्या शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ६० प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि तथा इससे सम्बद्ध गतिविधियों में कार्यरत हैं। लगभग ८५ प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि,खेत मजदूरी, पशुपालन,वानिकी तथा मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों में लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्य,सेवा तथा मरम्मत आदि व्यवसायों में केवल ८.७४ प्रतिशत बाल श्रमिक कार्य करते हैं। कारखानों में काम करने वाले बाल श्रमिक केवल ०.८ प्रतिशत है।

भारत के विभिन्न राज्यों में बाल श्रमिकों की संख्या के कई सह सम्बन्ध आए हैं। यह पाया गया है कि जिन राज्यों में अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताती है उन राज्यों में बाल श्रमिकों की संख्या भी अधिक है।

इसी प्रकार जिन राज्यों में पढ़ाई अधूरी छोड़कर स्कूल त्याग देने वाले बालकों का प्रतिशत अधिक है वहां बाल श्रमिकों की संख्या भी अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में बालकों के काम करने की जिम्मेदारी अंशतः उस क्षेत्र विशेष की सामाजिक आर्थिक विकास की दर पर और अंशतः बाल श्रमिकों के माता पिता एवं नियोजकों के दृष्टिकोण एवं सामाजिक सांस्कृतिक विवशताओं पर डाली जा सकती है।

बाल वर्ग के दैहिक व मानसिक शोषण पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद सम्पूर्ण बच्चों का बचपन आज भी उत्पीडन से मुक्त नहीं है, जिन बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई करनी थी और क्रीड़ांगनों में हंसी ठिठोली करनी थी वे संकटमय उद्योग और जोखिम वाले व्यवसायों में अपने जीवन का स्वर्णिम समय झोंक रहे हैं या फिर होटलों और ढाबों के जूठे बर्तन धोने के कार्यो में संलग्न हैं। सितम्बर १९९४ में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र अमरीका के श्रम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।

विश्व के सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में हैं। १९८७-८८ में किए गए नेशनल सेम्पल सर्वे के ४२ वें चक्र के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या १७ मिलियन के आसपास थी जबकि १९९१ की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या घटकर ११.२८ मिलियन रह गई हैं। बाल श्रम समस्या केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी समस्या है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हाल ही के अनुमानों (१९९८) के अनुसार विश्व के विकासशील देशों में कार्यरत बच्चों की संख्या १२० मिलियन है(५ वर्ष से १४ वर्ष के बीच आयु के) जिनमें से ६१ प्रतिशत एशिया में है।[1]

---

१. वी० वी० गिरि राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट (१९९७)

अध्याय-२

बुन्देलखण्ड संभाग की भौगोलिक, आर्थिक एवमं सामाजिक स्थिति :-

बुन्देलखण्ड शब्द का स्पष्ट अर्थ है, कि जिस क्षेत्र में बुन्देले ठाकुरों का राज्य रहा है, उस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के नाम से पुकारा जाता हैं, बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना ईसा की चौदहवीं शताब्दी से मानी जाती है, उसी समय से इस भू-भाग को बुन्देलखण्ड के नाम से पुकारा जाता है, बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना सर्वप्रथम पंचम सिंह ने की थीं। यह राज्य पहले गढ़कुंडार में स्थापित हुआ,बाद में इसकी राजधानी ओरछा बनाई गई उस समय से ओरछा राज्य को ही बुन्देलखण्ड का प्रमुख केन्द्र माना जाता रहा है। बुन्देलों ने अपना राज्य इस क्षेत्र में लगभग ११२५ ई० में स्थापित किया। इसके संस्थापक हेमकरण थे, जिन्हें पंचम सिंह के नाम से माना जाता हैं। इस राज्य का विस्तार बाद में, अकबर के काल में वीर सिंह बुन्देला ने किया। उसके बाद औरंगजेब के काल में बुन्देलखण्ड 'केसरी' ''छत्रसाल'' ने इस राज्य का विस्तार किया और फिर जहॉं तक छत्रसाल का राज्य रहा उस राज्य को बुन्देलखण्ड के नाम से पुकारा जाने लगा। (Map no. 1)

भौगोलिक स्थिति :-

बुन्देलखण्ड की जलवायु तथा मौसम :- इस क्षेत्र में गर्मी, सर्दी तथा वर्षा ऋतु के मौसम होते हैं कुछ स्थानों में इसकी समानता है और कुछ स्थानों में भिन्नता हैं। जहॉं पर पहाड़ अधिक हैं वहॉं पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती हैं और सर्दी भी खूब पड़ती है। जून के महीनों में कभी कभी इतनी गर्मी पड़ती

Bundelkhand
Administrative
scale
kilometres
kilometres
79°
80°
81°
26°
25°
24°
23°
BHIND
Lahar
Jalaun
Seondha
Konch
JALAUN
Kalpi
Orai
GWALIOR
Hamirpur
DATIA
Datia
Moth
Bhander
HAMIRPUR
Maudaha
JHANSI
Jhansi
Garautha
Rath
Banda
Baberu
Charkhari
BANDA
Niwari
Mauranipur
Mahoba
Karwi
Mau
Naraini
Lauri
Talbehat
Jatara
CHHATARPUR
Ajaigarh
TIKAMGARH
Chhatarpur
Tikamgarh
Panna
Lalitpur
Bijawar
Mahroni
PANNA
LALITPUR
Pawai
Khurai
Banda
Hatta
SAGAR
Sagar
Rehli
DAMOH
District Headquarter

Map 1

है कि चलने वाली गरम हवाओं से व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। उन क्षेत्रों में छेवले के पत्ते फूल जिन्हें टेसू कहते हैं अथवा कच्चे आमों को भूनकर उसका रस औषधि के रुप में लू लपट के रोगी के शरीर में मलते हैं इससे आराम होता है।

इस भू-भाग में वर्षा का शुभारम्भ आषाढ़ मास मे प्रारम्भ होता है और क्वांर में समाप्त होता है यहाँ पर वर्षा भगवान भरोसे है। कभी पानी ज्यादा बरसता है कभी पानी बिलकुल नही बरसता। अंधेरी रातों में वृक्षों के आस पास जुगनू चमकते हैं। यहाँ पानी खारा और मीठा भारी और कब्ज प्रदान करने वाला होता है। कहीं पर कम गहराई में पानी निकलता है। बेतवा नदी के किनारे की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक नहीं है सन् १५१७ ई० में "मारबिस आफ बैंटिंग गर्वनर" ने इस क्षेत्र का दौरा किया था इस समय उनकी सेना के लश्कर में हैजा फैल गया था। इसलिये यहाँ से छावनी तोड़कर बाद में उसे नये गांव ले जाया गया था। यहाँ पर कभी कभी आंधियों भी चला करती हैं और बबंडर उठा करते हैं यह आँधियाँ गर्मी में अधिक चलती हैं।

प्रारम्भ से लेकर आज तक यह क्षेत्र किसी एक प्रान्त और शासक के अधीन नहीं रहा फिर भी इसे भौगोलिक एकता और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से एक माना गया है।डॉ० नर्मदा प्रसाद गुप्त के अनुसार "सीमाकंन से तात्पर्य किसी ऐसे कृत्रिम रेखा खींचने से नहीं है,जो किसी राजनैतिक और विधि निहित दृष्टिकोण से नियमित की गई हो। वरन ऐसे प्राकृतिक सीमांत से है, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक परिवेश संस्कृति और भाषा के उद्भव एक्य से सुरक्षित रखते हुए उसे दूसरे जनपदों से अलग करता हो।(१)

---

(१) मामुलिया अंक- बैसाख जेठ संवत २०३५ पृष्ठ संख्या १६ शोध प्रबन्ध "बुन्देलखण्ड का सीमाकंन"

INDIA
Location of Bundelkhand
Scale
100 0 100 200 300 400 km
Uttar Pradesh
Madhyc Pradesh
Bundelkhand Regioi.

Map 2

बहुत से भूगोल शास्त्रियों ने इसका भौगोलिक और राजनैतिक स्तर पर वर्गीकरण किया है। परन्तु यह वर्गीकरण इतिहास के अनुकूल नहीं बैठता। बुन्देलखण्ड के सीमा का निर्धारण तीन दृष्टि से होना चाहिए।(१) धरातलीय बनावट (२) ऐतिहासिक राजनैतिक और भाषिक दृष्टिकोंण (३) भू-भाग प्रजातीय और कृत्रिम दृष्टिकोण। (Map no. 2)

बुन्देलखण्ड के सीमांकन के सन्दर्भ में बड़े-बड़े इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं ने समय समय पर महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं, और उन्होंनें इस क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की हैं, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता श्री एस०एम० अली ने पुराणों के आधार पर विन्ध्य क्षेत्र के तीन जनपदों- विदिशा, दशार्ण एवं करण की स्थति का परिचय दिया हैं। उन्होंनें विदिशा का ऊपरी हिस्सा बेतवा के बेसिन से दर्शा कर और उसकी धाराओं की प्रमुख घाटियों द्वारा चीरा हुआ सागर प्लेटो तक फैले प्रदेश से तथा करुप की सोन नदियों के बीच के समतलीय मैदान से समीकरण किया हैं। इसी प्रकार त्रिपुरी जनपद जबलपुर की नर्मदा घाटी से लेकर मण्डला नरसिंहपुर जिलों के कुछ भाग को बुन्देलखण्ड का भाग माना हैं वर्तमान भौगोलिक और भौतिक शोधों के आधार पर बुन्देलखण्ड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया हैं। उसकी सीमाएं इस प्रकार निर्धारित की गई है- उत्तर पश्चिम में चम्बल एवं दक्षिण पूर्व में पन्ना एवं अजयगढ़ की श्रेणियॉ यही बुन्देलखण्ड क्षेत्र हैं इसमें उत्तर प्रदेश के पॉच जिले जालौन, ललितपुर,झांसी,हमीरपुर और बांदा हैं। बुन्देलखण्ड के पूर्व में मेकल पर्वत श्रेणियॉ भॉडेर श्रेणियॉ कैमूर श्रेणियॉ और केन नदी का तराई वाला भाग हैं। दक्षिण पूर्व में मेकल पर्वत है।

भारतवर्ष के मानचित्र के अनुसार बुन्देलखण्ड की स्थिति नक्शे पर २३-४५ और २६-५० उत्तरीय तथा ७७-५२ और ५२-० पूर्वीय भू रेखाओं के मध्य में हैं। इस क्षेत्र के समस्त मानचित्रों

का अध्ययन करने के बाद इस क्षेत्र का क्षेत्रफल सब मिलाकर ४५,३६० वर्ग मील है। इसमें इलाहाबाद और मिर्जापुर के दक्षिणी भाग शामिल नहीं हैं। आजादी के बाद यह क्षेत्र कुछ दिनों तक विन्ध्य प्रदेश में रहा और संयुक्त प्रान्त में रहा। प्रान्तों का पुनर्निर्माण होने के बाद इसके ५ जनपद उत्तर प्रदेश में झाँसी मण्डल के अन्तर्गत हैं। बाकी क्षेत्र जबलपुर,सागर,रीवा और भोपाल सम्भाग के अन्तर्गत हैं। बुन्देलखण्ड की सीमाओं को निर्धारित करने के लिये उस क्षेत्रा के मानचित्र को ध्यान में रखना होगा और साथ में इस दोहे को भी ध्यान में रखना होगा।

'' इत जमुना उत, नर्मदा, इत चंबल उत टौस।

छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौंस।।

इस दोहे से यह बात स्पष्ट हैं, यमुना नर्मदा चम्बल, टौस के ही मध्य भाग को बुन्देलखण्ड का क्षेत्र माना जाता रहा हैं। पूर्वोतर क्षेत्र में गंगा से दक्षिण इलाहाबाद तथा मिर्जापुर के भाग और चम्बल से पूर्व ग्वालियर,भोपाल आदि के भाग तथा सागर दमोह,जबलपुर जिले आते हैं। इसी प्रकार चम्बल से पश्चिम ग्वालियर राज्य के उत्तरी भाग भी आते हैं, बीच बीच में खाली मैदान पाकर गोड़ लोग इस पर अधिकार कर लेते रहे हैं, इसलिये गोड़वाना भी इसका क्षेत्र रहा है, बुन्देलखण्ड कुल मिलकर ४० शासकों के अधीन था। यह छोटी बड़ी रियासतें अलग-अलग ढंग से अपना शासन प्रबन्ध देखती थी।

औद्योगिक क्रिया की सरंचना :-

बुन्देलखण्ड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से प्राचीन काल से ही पिछड़ा हुआ हैं यहाँ के शासकों ने यहाँ के उद्योग धन्धों एवं प्राकृतिक साधनों के बारे में कोई योजना नहीं बनाई जिसके कारण यह क्षेत्र गरीब होता चला गया यहाँ के व्यक्तियों को

केवल अपनी उदरपूर्ति के लिये कृषि और उससे संबधित उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ा। कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग जो आदि काल से यहाँ चलते आ रहे थें अंग्रेजों के यहाँ आ जाने के कारण वह भी नष्ट प्राय हो गये। राजा महाराजा स्वतः भोग विलासी होने के कारण यहाँ की जनता की सुख सुविधा का जरा भी ध्यान नहीं रखते थें। बुन्देलखण्ड एक प्रान्त में न होने के कारण भी इसकी उपेक्षा की गई। आज भी यह क्षेत्र भारत वर्ष का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोग देश के अन्य भागों से अधिक गरीब और पिछड़े हुये हैं फिर भी औद्योगिक दृष्टि से हमें बुन्देलखण्ड के इतिहास को देखना ही पड़ेगा और इसका विधिवत अध्ययन करना होगा।

मुद्रा :-

व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिये मुद्रा कमाये, और उसे उन जरुरी चीजों में खर्च करे जो उसके लिये आवश्यक हो क्योंकि व्यापार का प्रमुख उद्येश्य धनोपार्जन होता हैं। कहने को यह धन सोने, चाँदी, ताँबे पीतल आदि के टुकड़े हैं परन्तु इन टुकड़ों में जो क्रय शक्ति छिपी हुई हैं उसी क्रय शक्ति से आकृर्षित होकर व्यक्ति इन्हें अपने लेन देन में स्वीकार करता है। प्राचीनकाल के बहुत किस्म, के सोंने के सिक्के झाँसी और ओरछा के मिलते हैं। कल्चुरी चन्देल व वेक्ट्रियन, गुप्त आदि के सिक्के कही कहीं पर मिलते हैं। सोने का सिक्का पहले १५ रुपये में चलता था परन्तु बाद में इसकी कीमत १०रुपये रह गई थी ।

(१) कल्चुरी सिक्के :-

हैहय चंद्रवंशी चन्द्र कुल के राजा त्रिपुरी या तेवर जबलपुर में हुये। इनका राज्य बहुत बड़ा था। चन्देलों से इनकी लड़ाई रहती थी। कल्चुरियों के सिक्के जबलपुर के दक्षिण भाग में मिले हैं जो

तीन सौ ईसा पूर्व के है। इन सिक्कों में ब्राम्ही लिपि में कुछ लिखा हैं। दूसरी और धनचन्द्र और चैत्य के आकार के रेखा चित्र है।

(२) वेक्ट्रियन सिक्के :-

हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर के आसपास पचकुरा गॉव बसा हुआ है यहॉ पर बहुत से प्राचीन खण्डहर हैं। यहॉ पर कहीं कहीं पुराने सिक्के मिल जाते है। सन् १५७७ ई० में यहॉ पर बहुत से वेक्ट्रियन सिक्के मिले थे। यह लगभग १५५ ई पूर्व के है। यहॉ पर यह सिक्के, ढाक के पेड़ के नीचे, गड़े हुए मिले थे।

(३) इन्डोन्सानियन सिक्के :- १६०५ ई० में कटनी के निकट मुडवारा तहसील में इन सिक्कों का एक संग्रह मिला था। इन सिक्कों में एक और राजा का मस्तक और दूसरी और अग्निकुण्ड हैं। यह सिक्के ईसा की पॉचवीं और छठवीं शताब्दी के हो सकते हैं।

(४) चन्देले के सिक्के :-

चन्देलों ने जो सिक्के चलाये वह प्रायः चेदिवंशीय राजा गॉगेदेव कल्चुरी के सिक्कों की नकल है इन सिक्कों में एक और राजा का नाम दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति हैं यह सोने चॉदी और तॉबे के सिक्के हैं। अभी तक कुल ५० सिक्के ही प्राप्त हो सके हैं।

इन सिक्कों में चन्देल वंश के १३ वे राजा कीर्तिवर्मन और २० वे राजा वीरवर्मन तक का उल्लेख मिलता हैं। कीर्तिवर्मन १२४५ ई० में हुए हैं।

(५) मुसलमानी सिक्के :- जबलपुर में एक स्थान पर १३११ ई० से लेकर १५५३ ई० तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के दिल्ली गुजरात, कशमीर, गुलबरगा और मालवा के खिलजी जौनपुर के सरकी आदि मुसलमान बादशाहों के हैं।

(६) वर्तमान सिक्के :-

जब से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा उस समय से अंग्रेजों के ही सिक्के पूरे भारत वर्ष में चलने लगे। इन सिक्कों को रुपया कहा जाता था। इन सिक्कों में एक ओर अंग्रेजी शासकों के नाम दूसरी ओर सिक्कों की कीमत इत्यादि होती थी। यह सिक्के पहले चॉदी के और बाद में गिलट के चलने लगे।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो पैसे तॉबें एवं अन्य धातुओं के पाये जाते थे उनमें श्री नगी जिसमें त्रिशूल का चिन्ह होता था तेगाशाहीं जो दतिया का टकसाल था।

बुन्देलखण्ड का व्यापार कृषि उपजों पर आधारित हैं फिर भी प्राचीन काल से यहॉ पर नाना प्रकार के उद्योग धन्धे थें। यहॉ जिन चीजों का उत्पादन होता था वह निम्न है।

कपड़ा अथवा गजी कपड़ा :-

प्राचीनकाल में कपड़ा प्रत्येक गॉव में बनता था। इन कपड़ों को बुनने वाले को जुलाहा, कबीर पंथी या कोरी कहा जाता है। चन्देरी में मुसलमान जुलाहे इस काम को काफी मात्रा में करते थे। आजादी के बाद भी मीलों आदि का विकास होने पर नाना प्रकार के सेन्थेटिक कपड़े बनने लग गये।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बनने वाला मऊरानीपुर का टेरीकाट काफी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। फिर भी इसका विकास नगण्य सा है, और बाकी क्षेत्रों में बुनकरों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया है।

धातु के बर्तन :-

तॉबा, पीतल और कांसे के बर्तन स्थान स्थान पर यहॉ बनते थें। परन्तु बुन्देलखण्ड में बाहर से आने वालें माल ने अब इस व्यवसाय को तोड़ दिया है। छतरपुर खडगापुर, हटा, दमोह आदि में

अब भी बर्तन का बहुत अच्छा व्यवसाय है। पहले यह बर्तन बुन्देलखण्ड के हर जनपद में बना करते थे और ठठेरे लोग इन्हें बनाया करते थे परन्तु अब यह बर्तन मुरादाबाद, बनारस आदि से आने लगे है।

आभूषण :-

आभूषण उद्योग भी बुन्देलखण्ड का एक उद्योग माना जाता है। सोने चॉदी के आभूषण बड़े लोग पहना करते हैं। सुनार लोग इन आभूषणों को बनाया करते है। कॉसे और गिलट के आभूषण भी यहॉ ढाले जाते हैं।

रंगाई का काम :-

रंगाई का काम बुन्देलखण्ड में करीब-करीब हर जगह होता हैं,परन्तु हर स्थान की अलग विशेषता है। एरच,सैयद नगर की चूनरी, दतिया तथा टीकमगढ़ का अमौआ,बरारु का छपा कपड़ा,मऊ का खरुआ यह माल बुन्देलखण्ड से नेपाल और लाहौर तक भेजा जाता था।

लोहे का काम :-

अंग्रेजों के आने से पहले विन्धयाचल के किनारे बहुत से व्यक्ति लोहे निकालने का कार्य करते थे, ललितपुर,विजावर, पैलानी, लोहे के काम के लिए प्रसिद्ध हैं, विजावर की कढ़ाई, पैलानी की सरौती आज भी प्रसिद्ध हैं।

चमड़ा उद्योग :-

यहॉ पर चमड़ा बहुत कम पाया जाता हैं। चमार लोग मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतार कर उसे पुराने ढंग से पकाते हैं, फिर उससे देशी पनहियां बनाते हैं। बांदा का खॉईपारी और हमीरपुर की भरुआशाही जूती बहुत प्रसिद्ध हैं।

लकड़ी का काम :-

बुन्देलखण्ड में रहने वाले बढ़ई लकड़ी का काम किया करते है। ये किसानों के लिये हल व मकानों के लिये चौखट बनाते हैं। कुंदेरे लोग लकड़ी के खिलौने,निगाली,पलंग सतरंज की मौहरे, चकरी, भौरिया कंघी आदि बनाते हैं।

कांच का काम :-

कांच और लाख की चूड़ियॉं, दमोह हिडोरिया आदि में बनती थी। लाख की चूडियॉं सावन व विवाह आदि अवसरों पर पहनी जाती हैं।

मिट्टी का काम :-

बुन्देलखण्ड में कुम्हार लोग मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते हैं, कुम्हार प्रत्येक गॉंव में होते हैं, छतरपुर दमोह और जबलपुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध हैं। टीकमगढ़ तथा मऊ में मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे बनते हैं। ये खिलौने लखनऊ के मुकाबले के होते हैं।

बुन्देलखण्ड में कागज का काम :-

कालपी, छतरपुर सागर, दमोह आदि कई स्थानों पर बहुत अच्छा कागज बनता है ये लोग फाइल कवर सोखता फिल्टर पेपर आदि बनाते हैं।

साबुन उद्योग :-

बुन्देलखण्ड मे साबुन का उद्योग बहुत पुराना हैं छतरपुर में बहुत अच्छा कपड़े धोने का साबुन बनता था। यह साबुन गुल्ली और तिली के तेल में रेहू मिलाकर बनाया जाता था। यहॉं का गोटी वाला साबुन बहुत प्रसिद्ध था।

शजर पत्थर का उद्योग :-

यह उद्योग पूरे बुन्देलखण्ड के अर्न्तगत बॉदा में ही होता हैं, ये पत्थर केन और नर्मदा नदी के तट पर पाया जाता है,कारीगर लोग इससे माला,बटन,डिब्बियॉ,सफेद और रंगीन पत्थरों को बनाकर बेचते हैं।

बुन्देलखण्ड के उद्योगों का मशीनीकरण :-

जबतक अंग्रेज लोग बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नहीं आये थे उस समय तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सभी वस्तुओं का निर्माण कुटीर उद्योगों के नाम से होता था। जब अंग्रेज लोग इस क्षेत्र में आये और इग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई नाना प्रकार के अविष्कार हुए इसका प्रभाव बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर बहुत अधिक पड़ा। अंग्रेज लोग विदेशी माल भारत में लाये और उन्होने जनता में यह माल बहुत सस्ता बेचा। जिससे यहाँ के कुटीर धन्धे नष्ट हो गये कुछ पूंजीपतियों ने बुन्देलखण्ड में कारखाने स्थापित किये। कुल पहाड़, कर्वी, बांदा, जबलपुर आदि में रुई की जिनिंग मिलें, पुतली घर आदि कारखाने खोले गये। सैकडों कारखाने बुन्देलखण्ड में स्थापित किये गये। मैहर, सतना, कैमर आदि स्थानों में सीमेन्ट के कारखाने खुले, जबलपुर, कटनी में अर्डीनेन्स फैक्ट्रियां खोली गयी, परन्तु उद्योग धन्धों के विकास के लिये कोई ठोस योजना नहीं बन पाई। मशीनीकरण और उद्योगीकरण होने के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या जहाँ की तहाँ है।

आर्थिक परिवेश :-

बुन्देलखण्ड का भौतिक और सांस्कृतिक स्वरुप सुनिश्चित हैं। जिस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड कहा जाता हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी समानता है इसे हम एक भौगोलिक प्रदेश मानते है। बहुत पहले बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गल्ले का लेन देन किया जाता था। उसकी कोई तौल नही होती थी।

गॉव के महाजन लोग किसी वस्तु से गल्ले की नाप करते थे और उसी आधार पर उसका मोल भाव करते थें। वर्तमान समय में कुन्तल किलोग्राम आदि से इसे तौला जाता है। बुन्देलखण्ड में तौल के लिए विभिन्न प्रकार के बॉट काम मे लाये जाते थे। इन बांटों से अनाज एवं अन्य वस्तुओं की तौल की जाती थी। इनमें प्रमुख था झॉसी का सेर जिससे वस्तुओं की तौल की जाती थी।

यहॉ के ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यहॉ के गरीब किसान और जरुरत मन्द लोग प्राचीन काल से बनियों और महाजनों से कर्ज लिया करते थे, जिसमें उन्हें २ रुपये सैकड़े से लेकर ८ आने प्रति सैकड़े तक महावारी ब्याज देना पड़ता था। ऐसे कर्जो को देते समय महाजन,मवेशी या भूमि के पट्टे को जमानत के रुप में गिरवी रख लेता था। महाजन लोग किसानों को जो गल्ला बुवाई से दिया करते थे फसल आने के बाद वह ब्याज सहित सवाया वसूल करते थे । पहले राजा लोग अपने यहॉ से ही किसानों को गल्ला उधार दिया करते थें। परन्तु यह जखीरे बाद मे तोड़ दिये गये। महाजनों का यह सिलसिला देशी आजादी के बाद तक चलता रहा, और कही कहीं पर आज भी चल रहा है। वर्तमान सरकार ने किसानों और गरीब जनता को वित्तीय सुविधायें देने के लिये तमाम योजनाये बनाई हैं। जिनसे लोग लाभ उठा रहे हैं। परन्तु भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के कारण से वास्तविक जरुरत मन्द लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब स्थान स्थान पर बैंकों की शाखाएँ खोली गई है। ग्रामीण बैंकों की स्थापनायें की गई हैं जिनमें कुछ न कुछ फायदा तो हुआ ही है। फिर भी सर्राफों साहूकारों का रेहनधरी व्यवसाय चल रहा है। चन्देल राज्य बुन्देलखण्ड के विस्तृत भाग में फैला हुआ था। यहॉ की आर्थिक स्थिति यहॉ पाई जाने वाली प्राकृतिक सम्पदा पर निर्भर थी। इस समय बाहरी सामन्तों और विदेशियों के कारण इस क्षेत्र का शोषण होता रहता था। जिसके परिणामस्वरुप यहॉ के व्यक्तियों की बहुत आर्थिक हानि होती थी। राजा महाराजाओं की संपत्ति लूट ली जाती थी। खेत खलियानों में आग लगा दी जाती थी।गॉव और शहर उजाड़ दिये जाते थे। यहॉ का सम्पूर्ण व्यवसाय कुटीर उद्योगों और प्राकृतिक संपदा पर निर्भर था।

कालिंजर,खजुराहो,मऊरानीपुर,कालपी आदि के बाजार बहुत उच्चकोटि के थे,जिनसे पर्याप्त मात्रा में आय हो जाती थी। थोड़ी बहुत वस्तुओं को छोड़कर आवश्यकता की सभी वस्तुओं का निर्माण यहाँ हो जाता था बहुत से इतिहासकारों ने इस देश को धनधान्य से पूर्ण माना है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी एवं भारतवर्ष के अन्य राजागण कालींजर को जीतने का प्रयास करते थे। यहाँ से करोड़ों की संपत्ति लूट कर ले जाते थे। कुछ समय उपरान्त यहाँ की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती थी। इससे यह अनुमान लगता है कि यहाँ का व्यापार इतना विकसित था कि उस समय लूट की पूर्ति सरलता से हो जाती थी। अथवा यहाँ के हीरे के अतिरिक्त अन्य कीमती धातुओं की भी खदानें रहीं होगीं जिनसे यहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहती थी। यहाँ पर पाये जाने वाले सुन्दर भवन यहाँ की आर्थिक स्थिति की समृद्धता के द्योतक है। प्राचीन भग्नावशेषों में आज भी सोने चाँदी के सिक्के तथा बहुमूल्य रत्न निकलते रहते हैं। अंग्रेजो के समय में आधुनिक व्यापार की प्रगति हुई। इसके पहले यहाँ की दयनीय स्थिति थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की आर्थिक नीति के कारण यहाँ के उद्योगों को गहरा धक्का लगा था। आगे चलकर इस स्थिति में सुधार हुआ। १५६९ में स्वेज नहर के बन जाने के कारण इस व्यापार में कुछ लाभ हुआ। सन् १९०५ के पश्चात भारतीय व्यापार का विकास हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद भारत का व्यापारिक संतुलन एक सौ चौदह करोड़ था। द्वितीय विश्वयुद्ध मे इसका प्रतिकूल असर हुआ। हमे निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करना पड़ा । उसका कारण यह था कि यहाँ के छोटे छोटे कुटीर धन्धे नष्ट हो रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ नये उद्योग भी खुल रहे थे। अंग्रजों ने भारत में नील,चाय और महुये की कृषि में विशेष रुचि ली। १९ वी शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजो ने कारखाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। १९३५ के बाद इनकी स्थापना की गई। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योगों का सूत्रपात सन् १९५४ में पारसी उद्योगपति कावस जी डाबर के द्वारा हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जूट, वस्त्र, कोयला, लोहा, खाद, कॉच, तेजाब,पेन्ट वार्निस आदि उद्योगों का विकास हुआ।

संसाधन आधार :-

बुन्देलखण्ड का क्षेत्र सर्वत्र पहाड़ों से भरा हुआ है। केवल यमुना तट के बांदा, हमीरपुर, जालौन एवं अन्य जिलों के थोड़े भू भाग को छोड़कर कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां पर्वत श्रेणियॉ न हो,मुख्य पर्वत श्रेणियों के अतिरिक्त और भी बहुत से पहाड़ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वत्र फैले हुए हैं इन पहाड़ियों को टौरिया या घाटियां कहते हैं। यहॉ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाये जाते हैं। जिनमे साल या सागौन, तेंदू, महुआ, खैर, बांस, चन्दन, लालचन्दन, अचार, इमली, आम, शरीफा अथवा चिरौंजी का वृक्ष एवं ताड़, खजूर, बबूल, बेर, करघई बेल, कुसुम आदि वृक्ष पाये जाते हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वनों की अधिकता होने के कारण बन में पाये जाने वाले खनिज पदार्थ यहॉ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लाख,गोंद,मोम,शहद,बंसलोचन,कत्था,चमड़ा,नौती आदि जंगली उपज हैं इसके अतिरिक्त यहॉ पर कई प्रकार की घास पाई जाती हैं जिनमें परवेवा,पासी या परवा कैला, तिगुडा, मंडम इत्यादि यहॉ की मुख्य घास की किस्में है।

बुन्देलखण्ड के जंगली भागों में अनेक प्रकार की धातुएं और पत्थर पाए जाते हैं। मैदानी भागों में अच्छी मिट्टी तक का अभाव हैं। चूनेके पत्थर और कंकड़ पहले कम मिलते थें। परन्तु वैज्ञानिक खोजों के बाद अब ये प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। यहॉ के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। जिनसे बहुत से सामान तैयार किये जाते हैं। कलई, चूना चक्की जीप कूड़ी प्याले सड़क के बेलन इत्यादि बहुत से उपयोगी सामान इन पत्थरों से बनाये जाते हैं। पत्थरों के अतिरिक्त यहॉ पर विभिन्न प्रकार की धातुयें भी पाई जाती हैं। धातुओं में लोहा, तांबा काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। इनकी कई जगहों पर पहाड़ों की खानें हैं।

कुछ स्थानों पर यह खाने भूमि पर भी हैं। इन स्थानों पर बिल्लोर, हीरा, कोयला आदि पाया जाता है। यहॉ पर अन्य विशेष प्रकार के खनिज पाए जाने की संभावना हैं।

इनका विभाजन और मिलने का स्थान निम्न प्रकार से है :-

(१) कलई :- इस क्षेत्र में कलई चूने के पत्थर कई स्थानों पर पाये जाते हैं उन पत्थरों को आग में जलाकर कलई एवं चूना बनाया जाता है। इमारती चूना बनाने के लिये एक विशेष प्रकार का कंकड़ होता है।

(२) गिट्टी :- पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर यह गिटटी बनाई जाती है। गिटटी सड़क व मकान बनाने के काम आती है। पत्थर के ढोके मकानों की नींव भरने के काम में आते हैं।

(३) चक्की :- कई स्थानों पर पत्थरों से आटा पीसने की चक्कियां,कूडियां या प्याले और मूर्तियां बनाई जाती है। यह काम ज्यादातर चित्रकूट कर्वी के पास होता है।

(४) गौरा पत्थर :- यह एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है। प्रायः मैदानों में कहीं कहीं यह पाया जाता है। इससे छोटे छोटे प्याले, चिलमे, लुड़ियां, सुराहियॉ, खिलौने इत्यादि बनाये जाते हैं। यह पत्थर छापाखाने के लिए मशीनों में भी काम देता है।

(५) बिल्लोर :- यह कच्चे हीरे की किस्म का होता है और कई जगह पर पाया जाता है। परन्तु इसके छोटे-छोटे टुकड़े बॉदा में मिलते हैं जिससे बन आदि बनाये जाते हैं।

(६) मिट्टी :- यहॉ पर कई प्रकार की और कई रंगों की मिट्टी मिलती है।गुलाबी या गेरुआ मिटटी पीली या प्योरिया मिटटी सफेद या खडिया मिटटी यह सर्वत्र घरादि रंगने के काम आती है।

(७) <u>तांबा</u> :- तांबा का पता भी कई स्थानों पर लगा है। परन्तु अभी तक यह केवल झाँसी सागर जबलपुर आदि दक्षिणी जिलों से निकाला जाता है।

(८) <u>चीनी मिटटी</u> :- यह मिटटी जबलपुर के आसपास पाई जाती है तथा चीनी मिटटी के बर्तन बनाने के काम आती है। सोना की जबलपुर और कांलिजर के आसपास मिलने की संभावना है। चाँदी और शीशा भी जबलपुर जिले में प्राप्त होता है।

(६) <u>हीरा</u> :- खनिज पदार्थो में सबसे मूल्यवान वस्तु हीरा है। यह पन्ना पहाड़ी खेरा और उसके आस पास के इलाको में पाया जाता है। हीरा की खान पुखा की जागीर में भी है। यह जागीर बांदा जनपद में है। यहाँ पर दो प्रकार की हीरों की खानें पाई जाती हैं:

(१) <u>भौरा खान</u> :- यहाँ पर यह नियम है कि निकट से बहते हुए नदी नालों की रेत को लोग वर्षा ऋतु से एकत्र कर लेते है। उन्हीं रेत कणों से हीरे मिल जाते हैं।

(२) <u>मौदा खान</u> :- इस खान से ५ से ७ गज की गहराई तक मिटटी निकलती है। फिर पत्थर की बड़ी चट्टाने निकलती हैं उन चटटानों को सुरंग से तोड़ा जाता है उन सुरंगों से कंकड़ निकलते है इन कंकड़ों को पक्की जगह में रखकर तोड़ा जाता है उसमें से हीरा निकलता है अब आधुनिक मशीनों से ही हीरा निकलता है।

अध्याय - ३

शोध प्रारुप

उपगम्य :-

भारत में सन् १९७४ में "द स्कैण्डल आफ चाइल्ड लेबर" के अनुसार बाल श्रमिक २५ लाख थें। आज लगभग ४ करोड़ हैं जिनमें लगभग एक करोड़ संगठित क्षेत्र में हैं। एक वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार "हमारे देश में लगभग३० करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से करीब ४ करोड़ ४४ लाख बच्चे मजदूरी के काम में लगे हैं, यानी भारत का हर सातवां बच्चा मजदूरी के काम में लगा है। १३ से १४ वर्ष के लगभग ४ करोड़ बच्चे अपनी अगली पीढ़ी को क्या देंगे, देंगे तो केवल अन्धकारमय जीवन, क्योंकि वे स्वयं अंधकारमय जीवनयापन कर रहे हैं। उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं है कि भविष्य में क्या करना है? यदि ज्ञात भी हैं तो अपने जीवन अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरुक नहीं हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें स्वस्थ वातावरण,समुचित पर्यावरण, पोषण एवं मार्गदर्शन नहीं मिला है। यह सर्वविदित है कि इस स्तर पर बच्चे की जो भी अवधारणायें होतीं हैं उन पर जिम्मेवार लोग अन्वेषण करते चले आ रहे हैं। देश में अधिकांश लोग बाल श्रम को समस्या के रुप में देखते ही नहीं तथा गम्भीर रुप में नहीं लेते, वर्तमान समय में बाल श्रमिकों की संख्या में गुणात्मक रुप से

वृद्धि हुई है जो भारत देश की अन्य समस्याओं को जन्म देने के लिये विस्तृत रुप में योगदान दे रही है।

इस प्रकार बाल श्रम समस्या को अन्य बड़ी एंव कठिन समस्याओं के समान निवारण के लिये अनवरत प्रयास करना होगा। यह समस्या एक ऐसी समस्या है जो अनेक समस्याओं को स्वतः जन्म देती रही हैं। भारत में इसके द्वारा अनेक समस्यायें जन्म ले चुकी है तथा अपनी जड़ों को मजबूत करती हैं। जो मुख्यतः निम्न हैः-

(१) <u>शिक्षा का ह्रास</u> :- हमारे देश में बाल श्रम को वहीं बच्चे अपनाते हैं जो गरीब माता-पिता अथवा संरक्षक के घर जन्म लेते हैं। वे मुख्यतः कृषि से संबंधित श्रम, होटल एवं जलपानगृह,परिवहन, घरेलू श्रमिक के रुप में गृह उद्योग,हस्त उद्योग तथा मरम्मत आदि मे श्रम करते हैं। इन बाल श्रमिकों का अत्यधिक शोषण होता है। वे बच्चे जो अपने माता-पिता अथवा संरक्षक के साथ श्रम करते हैं उनका शोषण उन बाल श्रमिकों की अपेक्षा कम होता है, किन्तु वे परम्परागत ढंग से ही अपने जीवन को जीने के लिए विवश हो जाते हैं दोनो प्रकार के बाल श्रमिक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और उनके लिये शिक्षा का महत्व समाप्त हो जाता है इसके विपरीत यदि उन्हें समय पर शिक्षा दी जाती तो वे जरुर शिक्षा का महत्व समझते और वे देश के सभ्य नागरिक बनते देश के विकास मे अपना सहयोग देते,क्योंकि बाल श्रमिक शिक्षा के महत्व को समझते ही नहीं इसका परिणाम यह है कि अगली पीढ़ी भी उनकी तरह बाले श्रमिक बनने के लिए विवश हो जाती है और उनके के लिये धीरे-धीरे शिक्षा का मूल्य समाप्त हो जाता हैं।

(२) श्रम का अनावश्यक अपव्यय :- बाल श्रमिक किसी भी कार्य के अनुभवी एवं विशेषज्ञ नहीं होते हैं। साथ ही साथ वे अपनी क्षमता से अधिक काम करते हैं अथवा उन्हें श्रम के लिए बाध्य किया जाता है बाल श्रमिक जो ऊर्जा एवं शक्ति श्रम के रुप में अपव्यय करते हैं वह उनके शरीरिक विकास वृद्धि एवं व्यक्तिव के विकास के लिए अति आवश्यक है, वे अपनी जीविका तथा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपनी शक्ति को खर्च करते हैं जबकि इसकी जिम्मेदारी उनके माता पिता तथा समाज की है स्थिति यह हैं कि भारत में सभी बाल श्रमिक गरीबी के कारण अपनी आधार भूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम करते हैं।

(३) पुष्ट सन्तति का लुप्त होना : बाल्यवस्था ऐसी अवस्था है जिस पर वह पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वह मानव के सम्पूर्ण जीवन को ठहरने के लिये एक पुष्ट नींव अथवा आधार की स्थापना कर सके, जिससे मानव रुपी महल अनेक दुख दर्द समस्याओं एवं थपेड़ों को सहन करके अचल रहे। यह तभी सम्भव है जब बाल्यवस्था में उसकी समुचित आवश्यकता के अनुसार उसे प्रत्येक वस्तु उपलब्ध हो। बाल श्रमिक उक्त सभी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं तथा खिलने से पूर्व ही मुर्झा जाते हैं। इस तरह अगली पीढ़ी भी उसी तरह बाल श्रमिक बनने के लिए बाध्य होती है जिससे पुष्ट सन्तति का ह्रास होने लगता हैं।

(४) समाज में अपराध की वृद्धि :- बाल श्रमिक एक अपूर्ण व्यक्तित्व रखता है जिससे समाज ने केवल दिया हैं- बाल्यवस्था में श्रम करना,घृणा, उपेक्षा, शोषण एवं निर्धनता आदि। जब बाल श्रमिक इन व्यवहारों से ऊब या थक जाता है या उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तब वह विवश होकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपराधिक प्रवृप्ति एवं बुराईयों में संलिप्त होने लगता हैं। फलस्वरुप सामाजिक संगठन को खोखला एवं कमजोर करने में अपनी अहम् भूमिका निभाता हैं और विकास में बाधक सिद्ध होता हैं।

(५) <u>सामाजिक कुरीतियाँ</u> :- दुर्भाग्य से हमारे देश में शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिये बाल श्रमिकों को भी हेय समझा जाता है सहानूभूति तथा समझने का प्रयास ही नहीं किया जाता है जिससे बाल श्रमिक हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं या कभी कभी समाज से बगावत करके असामाजिक कार्यो में लीन हो जाते हैं।

(६) <u>आर्थिक विषमताऐं एवमूं समस्याएं</u> :- यदि बाल श्रमिक अपने माता पिता के साथ परम्परागत रोजगार में श्रम करता हैं तब उसकी आय बहुत कम होती हैं। वह अपेक्षित आय नहीं कर पाता जिससे उसके माता पिता उसकी समुचित ढंग से देखरेख नहीं कर पाते। यदि वह परिवार की आय में वृद्धि भी करता है तो उसके माता पिता अपने अन्य छोटे -छोटे बच्चों की तथा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे रहते हैं। यदि बाल श्रमिक अन्य स्थान पर अथवा नियोक्ता के संरक्षण में श्रम करता है तो यहाँ शोषण इतना होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्थिति यह है कि ये बाल श्रमिक एक प्रौढ़ श्रमिक से भी अधिक कार्य करते है और पारिश्रमिक के रुप में केवल सामान्य भोजन एवं फटे-पुराने कपड़े तथा कुछ मुद्रा ही प्राप्त करते हैं फलस्वरुप बाल श्रमिक अपना सामान्य जीवन यापन भी नहीं कर सकता।

इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद उमा तिवारी का कहना है :-

"बाल श्रम किसी भी सभ्य समाज या राष्ट्र के नाम पर धब्बा है क्योंकि बच्चों के भविष्य में ही राष्ट्र का भविष्य निहित हैं। विशेषज्ञों ने बाल श्रमिकों की पूरी उम्र की कमाई का आकंलन करके यह

पढ़ने-लिखने, खेलने-खिलखिलाने की उम्र में मजूरी करने को विवश बच्चे

परिणाम निकाला है कि बाल श्रमिक जितना कमाता है लगभग उसका दस गुना खो देता हैं।"(Fig. no. 2)

पूर्व अध्ययन :-

भारत में बाल श्रम एक प्रमुख समस्या के रुप में अपना स्थान ले चुका है तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा हैं। बाल श्रम समस्या भारत में बहुत पहले से ही है, किन्तु यह समाचार पत्रों एवं अनुसंधान पत्रों में १९७४ के पश्चात् ही इस पर प्रमुख रुप से चर्चा मे आई एवं लोग अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये इस क्षेत्र की ओर झुके। इन लेखों द्वारा भारत सरकार का भी ध्यान बाल श्रमिकों की दयनीय स्थिति की ओर गया तथा शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्रालय इनके बारे में अध्ययन कराने के प्रयास में लग गया किन्तु कोई संतोषजनक अनुसंधान नहीं हो पाया।

मद्रास अध्ययन (१९५५) :-

यह अध्ययन "मद्रास नगर में बाल श्रमिक" नाम से मद्रास समाज विज्ञान विद्यालय के डा० के०एन० जार्ज द्वारा किया गया जिसमें केवल नगरीय श्रमिकों के बारे में ही जानकारी है तथा दक्षिण के प्रदेशों के बाल श्रमिको की समस्या का प्रतिनिधत्व करता है। यह शोध पत्र राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार में अगस्त १९७७ मे प्रस्तुत किया गया था।

दिल्ली अध्ययन (१९७७) :-

यह अध्ययन "दिल्ली नगर में कार्यरत बच्चे", नाम से भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा एक शोध परियोजना के रुप में (समाज कल्याण विभाग) भारत सरकार के निर्देश पर किया गया। यह अध्ययन ६० घरों के ६३ बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त विस्तृत

खोज के लिए कुछ व्यवसाय चुने गये। जिसमें घरेलू बाल श्रमिक ६४, रंग से संबंधित ८०,तथा घरेलू बोतल वितरण में १७० बच्चों के साक्षात्कार के आधार पर यह अध्ययन किया गया। यह प्रतिवेदन दिल्ली के बाल श्रमिकों की स्पष्ट तस्वीर खींचता है।

पटना अध्ययन (१९७९) :-

यह अध्ययन "पटना नगर के बाल श्रमिक" नाम से अलख नारायण शर्मा, एवं एन०एन० सिन्हा समाज विज्ञान संस्थान के तत्ववधान में किया गया। इस अध्ययन हेतु १७७ कार्यरत बच्चों का चयन किया गया यह अध्ययन भी बाल श्रमिकों के रहन सहन तथा अन्य आधारभूत समस्याओं की ओर संकेत करता हैं। यह अध्ययन भी उत्कृष्ट कृति है जो बच्चों की समस्याओं को क्रमबद्ध रुप से दर्शाती हैं।

गन्दी बस्ती में बाल श्रमिकों का पटना अध्ययन (१९७९) :-

यह अध्ययन "गरीब बाल श्रमिकों का बिनौला निकालना",नाम से डा. नदीम अहमद एवं एन०एन० सिन्हा द्वारा समाज विज्ञान संस्थान के तत्वावधान में किया गया । यह अध्ययन १०० बच्चों पर आधारित है। इसमें से ४३ बच्चे कार्यरत थे। यह भी एक बाल श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक अध्ययन का प्रतिवेदन है जो बाल श्रमिको की प्रत्येक समस्याओं पर गहराई से किया गया हैं।

अहमदाबाद अध्ययन (१९७९) :

यह अध्ययन " महानगरों में बाल श्रम अहमदाबाद का एक अध्ययन" नाम से भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के के०आर० बिचौलिया द्वारा किया गया। यह अध्ययन ६३ कार्यरत

बालकों के आधार पर किया गया है। इस प्रतिवेदन में बाल श्रमिकों से सम्बन्धित लगभग सभी क्षेत्रों पर अध्ययन किया गया है।

वाराणसी अध्ययन (१९८०) :-

यह अध्ययन " ए समरी आफ मैग्नीटूड - एण्ड पैटर्न आफ इम्पलायमेंट आन चाइल्ड लेबर इन वाराणसी सिटी" नाम से गॉधी विद्या संस्थान वाराणसी द्वारा किया गया। इस अध्ययन में तथा प्रतिवेदन में केवल उन्हीं बाल श्रमिकों को लिया गया जो कुटीर उद्योगों एवं लघु उघोगों में कार्यरत हैं।

हिन्दी दैनिक :- नव भारत टाइम्स प्रतिवेदन अगस्त १९८२। इस प्रतिवेदन के अनुसार दिल्ली में भारतीय ढाबों एवं चाय की दुकानों में कार्यरत बच्चों के बारे में एक रिपोर्ट २३ अगस्त १९८२ को दी गई जो इस प्रकार हैं- " दस साल से भी कम उम्र के आधा दर्जन बच्चे जिस इमारत के सामने ग्राहकों को चाय, फल और जूस देते रहते हैं। उसके बाहर दीवारों पर लिखा है हंसते, मुस्कुराते बच्चे राष्ट्र का गौरव हैं। कपड़ों के नाम पर केवल चीथड़े लपेटे ये बच्चे, जो सारे दिन ग्राहकों की व मालिकों की झिड़कियॉं सुनते रहते हैं। निश्चय ही यह देश के लिये गौरव की बात नहीं है। इन स्टालों में काम करे रहे बच्चों की तरह ऐसे ही हजारों बच्चे निम्न स्तर के कार्यो मे लगे हुए है। उनके लिये रोटी की लड़ाई जब शुरु हो जाती है जब से उन्हें स्कूल जाना चाहिए था ।

ग्रामीण अंचलों में बाल श्रमिकों पर हुए अध्ययन :-

वीर भूमि और भरतपुर अध्ययन (१९७६-७७) :- यह अध्ययन "ग्रामीण बच्चे काम पर " नाम से देवकी जैन एवं मलानी चन्द के द्वारा वीरभूमि, पश्चिमी बंग्ला, एवं गिरमा भरतपुर

राजस्थान में किया गया है। इसमें ८६६ बाल श्रमिकों को प्रतिचयन के रुप में लिया गया जिसमें ५२४ वीरभूमि से तथा ३४५ भरतपुर जिले से लिये गये थे। इस अध्ययन में बाल श्रमिकों का सामाजिक आर्थिक अध्ययन किया गया।

ग्राम मत्स्य अध्ययन :-

यह अध्ययन " त्रिवेन्द्रम जिले के "मत्स्य उद्योग का क्षेत्रीय अध्ययन" नाम से सामाजिक विज्ञान लाभना कालेज, त्रिवेन्द्रम के डा० जे० पनकलम द्वारा किया गया। इसमें वेटुरम गॉव के १४० लेटिन ईसाई परिवारों को इस अध्ययनार्थ चुना गया।

केरल नारियल रस्सी उद्योग (१६८६) :- यह अध्ययन "केरल में नारियल उघोग में बाल श्रमिक" के नाम से लीला गुलाटी, सेन्टर फार डेबलपमेन्ट स्टडीज, उल्लोर त्रिवेन्द्रम द्वारा किया गया। इसमें २६७ बाल श्रमिक प्रतिचयन के रुप में लिये गए। यह अध्ययन गोगयाशमकश और चिरमलयम गॉव में किया गया।

उत्तर प्रदेश अध्ययन (१६८२) :- यह अध्ययन " कृषि बाल श्रमिक की समस्या और समाज सेवा की आवश्यकतायें " नाम से डा० सुरेन्द्र प्रताप सिंह तथा डा० आर०पी०एस० वर्मा ने समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा शोध परियोजना के रुप में समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। इसमें कृषि से सम्बन्धित बाल श्रमिकों का विस्तृत रुप से अध्ययन किया गया हैं।

बाल श्रमिकों से संबधित अन्य सर्वेक्षण एवं अध्ययन :-

भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षण (१९७९) के प्रतिवेदन द्वारा स्पष्ट है कि देश की सम्पूर्ण श्रम शक्ति का १/६ वां अर्थात् छठा भाग बाल श्रमिकों का हैं।

<u>नव भारत टाइम्स के अन्य कालमों में</u> :- भारतीय सामाजिक सुरक्षा समाज कल्याण मन्त्रालय के निर्देशक डा० हीरा सिंह का कहना है कि संवैधानिक कानूनी सुरक्षा होने के बावजूद कमजोर वर्ग के बच्चे सामाजिक अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कराये गये अन्य सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि ८ से १२ वर्ष आयु वर्ग के हजारो बच्चे दयनीय स्थिति में काम करते हैं,कश्मीर में गलीचा उद्योग में कार्यरत बच्चों को दो रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती हैं। इन बच्चों का सबसे अधिक शोषण सड़कों की चाय की दुकानों,ढाबों मे होता है। वहाँ वे सुबह से रात १० बजें तक कार्य करते रहते हैं। इनमे से अधिकांश बच्चों को साप्ताहिक अवकाश भी नही मिलता तथा बहुत से बच्चों को कुकर्म करने के लिए बाध्य किया जाता हैं।

उपरोक्त अध्ययनों, अनुसन्धानों एवं प्रतिवेदनों से स्पष्ट हे कि बाल श्रम समस्या भारत में मुख्य समस्या का स्वरुप धारण कर चुकी हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अनवरत, अहर्निश एवं सतत प्रयत्न करना पड़ेगा। यह प्रयास तभी सफल होगा जब सही सही सूचना,समस्याओं का आंकलन वैज्ञानिक पद्वति द्वारा वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाये। भारत में बाल श्रमिकों से संबंधित अनेक अध्ययन हो चुके हैं तथा हो रहे हैं, किन्तु सबसे विशेष बात यह है कि जिससे किसी विशेष स्थान की समस्या दूसरे स्थान से भिन्न दिखाई देती है। अतः विस्तृत वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए सभी क्षेत्रों का अलग ढंग से अध्ययन करना आवश्यक हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समृद्व और संपन्न हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई सामान्यीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर यथावत लागू करना भूल होगी,

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। इसीलिये वे अभी तक अध्ययन की परिधि से बाहर ही रहे हैं।

उपरोक्त सर्वेक्षणों के अतिरिक्त समाज शास्त्रियों समाज सुधारको, श्रम नेताओ, शोधार्थियों, आर्थिक विशेषज्ञो, पत्रकारों एवं अन्य विद्वानों ने भी बाल श्रम समस्या का विशलेषण करने का प्रयास किया है। नन्दलाल गुप्ता कु० क्षमा चौरसिया, डा० रामपाल सिंह आदि के अध्ययन उल्लेखनीय है। परन्तु ये सभी अध्ययन एक नगर अथवा क्षेत्र अथवा एक उद्योग से ही सम्बन्धित हैं।

निदर्शन विधि :- अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रमिकों की निश्चित संख्या के संबंध में विश्वसनीय ऑकड़े प्राप्त नहीं हैं यद्यपि श्रम संगठनों व वैयक्तिक सर्वेक्षणों, समाचार पत्रों द्धारा किये गये सर्वेक्षण एवम् अन्य साधनों द्धारा बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में जो ऑकड़े एकत्र किये गयें हैं वे पूर्ण रुपेण विश्वसनीय नहीं हैं इस अध्ययन हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र से एक सौ दस बाल श्रमिकों को निदर्शन हेतु चयनित किया गया है, इस हेतु नियोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया तथा अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने के लिये बाल श्रमिकों के कार्यक्षेत्र को पॉच प्रमुख भागों में विभाजित किया गया हैं, बुन्देलखण्ड क्षेत्र बीड़ी उद्योग के लिये प्रसिद्ध हैं ये सभी उद्योग आज भी परम्परागत रुप से चलाये जा रहे हैं। यह उद्योग बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, दुकानों पर भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक देखे जाते हैं छोटे छोटे जलपानगृहों तथा ढाबों पर बैरा/बेटर तथा बर्तन साफ करने का काम अवयस्क बच्चों से लिया जाता हैं। घरेलू श्रमिक के रुप में बाल श्रमिकों की मॉग बहुत समय से चली आ रही हैं आज के युग में जबकि पति पत्नी दोनों के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इनकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी हैं वास्तव में इस क्षेत्र में बाल श्रमिकों को अन्य कार्य क्षेत्र के

अर्न्तगत रखा गया है। बुन्देलखण्ड में बीड़ी उद्योग पालिश आदि उद्योगों में भी बाल श्रमिक देखे जा सकते हैं इसके अतिरिक्त मरम्मत कार्यशालाओं में भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं, चयन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा गया है

कि लगभग सभी आयु व सभी प्रकार के बाल श्रमिक निदर्शन में सम्मिलित हो जाये। निदर्शन में बालिका श्रमिकों का भी चयन किया गया हैं जो कुछ निदर्शन का लगभग दस प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती हैं।

शोध प्रायोजन :-

यू तो अध्ययन वर्णनात्मक हैं तथापि अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने हेतु तथ्यों का विशलेषणात्मक अध्ययन किया गया हैं। बाल श्रमिक एवं उनके नियोक्ता दोनो का ही अध्ययन किया गया हैं। साथ ही राजकीय और गैर राजकीय प्रयत्नों की भी समीक्षा की गयी है। अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है, प्राथमिक स्त्रोत हेतु ऑकड़ों का संकलन किया गया हैं। सर्वेक्षण एवं अवलोकन विधि शोध हेतु निर्वाचित की गई हैं। सर्वेक्षण हेतु साक्षात्कार विधि अपनायी गयी हैं।

अध्ययन क्षेत्र :-

भारत में लगभग ४ करोड़ अव्यस्क एवं अपरिपक्व बच्चे संगठित व अंसगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। नवीन विधानों के अनुसार बाल श्रमिकों का कार्य करना गैर कानूनी व वर्जित कर दिया गया हैं। संगठित क्षेत्रों में इन नियमों का पालन आवश्यक है, अतः इस क्षेत्र में इनकी संख्या की गणना करना अत्यन्त कठिन हैं, परन्तु असंगठित क्षेत्रों में कुटीर एवं श्रम विधानों से परे उद्योगों,दुकानों ढाबों घरों में सम्पूर्ण देश में बाल श्रमिक कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या

की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा प्रदेश हैं प्रदेश में इस समय एक करोड़ से अधिक बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं इसमें शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र का चयन किया है जो प्रारम्भ से ही अत्यधिक पिछड़ा एवं दरिद्र क्षेत्र रहा है।

बुन्देलखण्ड :- बुन्देलखण्ड शब्द का स्पष्ट अर्थ है कि जिस क्षेत्र में बुन्देलें ठाकुरों का राज्य रहा है उस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के नाम से पुकारा जाता हैं। बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना ईसा की चौदहवीं शताब्दी से मानी जाती है। उसी समय से इस भू-भाग को बुन्देलखण्ड के नाम से पुकारा जाता है। बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना सर्वप्रथम पंचम सिंह ने की थी। यह राज्य पहले गढकुंडार में स्थापित हुआ, बाद में इसकी राजधानी ओरछा बनाई गई उस समय से ओरछा राज्य को ही बुन्देलखण्ड का प्रमुख केन्द्र माना जाता रहा है बहुत से भूगोल शास्त्रियों ने इसका भौगोलिक और राजनीतिक स्तर पर वर्गीकरण किया है। परन्तु यह वर्गीकरण इतिहास के अनुकूल नही बैठता। बुन्देलखण्ड की सीमा का निर्धारण तीन दृष्टि से होना चाहिए। (१) धरातलीय बनावट (२) ऐतिहासिक राजनैतिक और भाषिक दृष्टिकोण (३) भू आकारिक प्रजातीय और कृत्रिम दृष्टिकोण। इसकों भारत देश का हृदय कहा जाता हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र को इतिहास में हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हैं। बुन्देलखण्ड भारत ही नहीं विश्व में वीरों की नगरी झाँसी के नाम से जाना जाता हैं १९९१ की जनगणना के अनुसार झांसी जनपद की जनसंख्या ३.७९ लाख है, झाँसी मुख्य दिल्ली-आगरा-भोपाल

और बम्बई रेल मार्ग पर स्थित हैं बुन्देलखण्ड वासी खेती पर आश्रित हैं बुन्देलखण्ड के प्रमुख उद्योग हैं बीड़ी बनाने का उद्योग,तेल उद्योग,फर्नीचर उद्योग। यह इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिलता हैं। सांगा के तथ्यों से पता चलता हैं कि झॉसी के लोग सोने, चॉदी के आभूषण पहनते हैं बुन्देलखण्ड में कला और संस्कृति का विकास बुन्देलों द्वारा हुआ ।

यहाँ के प्रमुख पर्यटक केन्द्र हैं :-

बरुआसागर :-

ओरछा नरेश उद्यत सिंह ने १७८५ में इसका निर्माण कराया था। यहाँ चंदेलों के समय के मंदिर भी हैं यही तात्या टोपे को १८५७ में जनरल ह्यूरोज ने हराया था।

झॉसी दुर्ग :-

सत्रहवीं शताब्दी में राजा वीर सिंह जुदेव ने एक पहाड़ी पर यह किला बनवाया था।

ओरछा का किला :-

झॉसी के पास बुन्देला राजाओं द्वारा निर्मित किला। इस किले में अनेक मंदिर हैं और पर्यटक केन्द्र हैं खजुराहों के मन्दिर,राजा व रानी का महल कांलिजर का दुर्ग यह सब दर्शनीय स्थल हैं।

संमक एकत्र करने की विधि :-

प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने के लिये चयनित बाल श्रमिकों से साक्षात्कार किया गया। ये साक्षात्कार एक अनुसूची के माध्यम से किया गया। अनुसुची में बाल श्रमिकों की

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कार्य की दशायें एवं बाल श्रम के प्रभाव का मापन करने हेतु लगभग प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डाला गया। उनके कल्याण हेतु बनाये हुए अधिनियमों एवं योजनाओं तथा उनके क्रियान्वयन की जानकारी हेतु भी प्रश्नों का समावेश किया गया है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर क अनुसूची निर्मित की गयी जिसकों अन्तिम रुप देने से पूर्व पँचासबाल श्रमिकों पर परीक्षण किया गया। परीक्षण के पश्चात् अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर उसे अन्तिम रुप प्रदान किया गया। नियोक्ताओं से कार्य संबंधी बाल श्रमिकों के प्रति उनके व्यवहार एवं बाल श्रम संबंधित अधिनियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये एक अनुसूची निर्मित की गयी। इन दोनों अनुसूचियों के माध्यम से शोधकर्ता ने कार्यस्थल पर स्वयं जाकर उनके नियोक्ताओं से साक्षात्कार किया।

अनुसूची के माध्यम से प्राप्त ऑकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया। बाल श्रमिकों व नियोक्ताओं के साक्षात्कार के आधार पर कुछ तुलनात्मक प्रकाश डालने वाली सारणीयां भी निर्मित की गयी। तथ्यों पर उचित विशलेषण हेतु उपयुक्त साख्यिकीय गणनायें भी की गयी हैं।

प्राथमिक तथ्यों के खण्डन व मण्डन हेतु शोधकर्ता ने विषय से संबंधित पुस्तकें, प्रतिवेदन, राजकीय दस्तावेज पत्र-पत्रिकायें तथा अन्य प्रकाशित साहित्य का अध्ययन किया हैं तथा उनसे द्वितीयक ऑकड़े प्राप्त किये हैं।

अध्ययन के मार्ग में बाधायें :-

किसी भी कार्य को सम्पादित करने मे मनुष्य को पग-पग पर समस्याओं,कठिनाईयों एवं निराशाओं का सामना करना पड़ता हैं शोधकर्ता ने बिना विचलित हुए शोध प्रबन्ध की सार्थकता को बनाये रखने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास किया । शोध को वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करने के लिये

अनेक उपकरणों का अवलम्बन लिया गया है शोध प्रारम्भ करने से पूर्व शोधकर्ता के मन में यह शंका थी कि उत्तरदाताओं से सम्भवतः वांछित सहयोग प्राप्त न हो परन्तु अधिक से अधिक २० प्रतिशत नियोक्ता निकले जिन्होने असहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया। किन्तु शोधकर्ता ने उनको अध्ययन की उपयोगिता समझाकर उनसे यथा सम्भव सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया है। द्वितीयक स्रोत प्राप्त करने में भी उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा परन्तु निष्ठा,परिश्रम व लगन से उसने समस्याओं के निराकरण का सफल प्रयास किया।

उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता :-

शिक्षा प्रारम्भ करने की आयु में कार्य करना ही बाल श्रम है। भारत एक लोकतांत्रिक देश हैं।स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान नेताओं ने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही थी परन्तु स्वतन्त्रता के उपरान्त यह वायदा, घोषणा और यहॉ तक की विभिन्न अधिनियम भी व्यवहार में व्यर्थ ही सिद्ध हुए ।

सारिणी संख्या ३.१

उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता		
शैक्षिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	53	48.2
साक्षर	57	51.8
योग	110	100

सारिणी संख्या ३.२

उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता		
शैक्षिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत
पॉचवीं कक्षा	35	32
आठवीं कक्षा	15	13.5
हाई स्कूल	7	6.3
योग	57	51.8

सारिणी संख्या ३.१ एवं ३.२ से ज्ञात होता है कि लगभग दो तिहाई बच्चे अशिक्षित हैं जिनमें एक तिहाई से अधिक अपना नाम तक नहीं लिख सकते। शेष एक तिहाई बाल श्रमिकों ने किसी प्रकार की औपचारिक या स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की हैं।

अध्ययन-४

कार्य की दशायें

"एक बाल श्रमिक,जिन दशाओं में कार्य करता हैं वे दशायें उसके स्वास्थ्य,कार्य क्षमताओं, मानसिकता एवं जिस कार्य को वह कर रहा हैं उसकी गुणात्मकता को अत्यधिक प्रभावित करती हैं, समान्यतः यह कहा जाता है कि पर्यावरण एक मनुष्य को उत्पन्न करता है, अतः जैसे ही हम पर्यावरण में सुधार ला देते हैं हम व्यक्ति को भी सुधारते हैं।"(१) अतः यदि हम यह अपेक्षा करते हैं कि श्रमिक अपने दायित्व को पूर्ण क्षमता से निर्वाह करे तो हमें उसके कार्य की दशाओं को सुधारना होगा।

कार्य की दशाओं के अन्तर्गत भर्ती की विधि,सेवा,शर्तें, कार्य के घण्टे, कार्य के घण्टों के मध्य आराम, मजदूरी कार्य क्षेत्र का वातावरण, पेयजल, शौचालय,स्वच्छता आदि की उपलब्धता इत्यादि सम्मिलित किये जाते हैं। यदि एक श्रमिक को ये सुविधायें पूर्ण रुप से उपलब्ध करायी जाती हैं तो वह कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण दक्षता से कर सकता हैं अतः कार्य में दक्षता एवं पूर्ण लगन उत्पन्न करने के लिये स्वस्थ कार्य की दशाओं का होना अति आवश्यक हैं।

कार्य की दशायें न केवल श्रमिकों को प्रभावित करती हैं वरन् मजदूरी,श्रमिकों की गतिशीलता,औद्योगिक संबंध इत्यादि को भी प्रभावित करती हैं, श्रमिक की कार्य क्षमता उसके स्वास्थ्य एवं कार्य करने की इच्छा पर निर्भर करती हैं बांछित कार्य की दशाओं के अभाव में श्रमिक बैचेनी

---

(१) सक्सेना, आर०सी०: श्रम समस्यायें एवं सामाजिक कल्याण १९९५, पृ० ४३०

अनुभव करता है एवं उसे सामान्य कार्य भी कठिन प्रतीत होता है और वह कार्य से भागता है। साथ ही अपर्याप्त एवं अस्वाथ्यकर कार्य की दशायें श्रमिकों के दुर्बल स्वास्थ्य एवं निम्न उत्पादकता के लिये उत्तरदायी हैं वर्तमान शोध बुन्देलखण्ड के बाल श्रमिकों पर किया गया है ये बाल श्रमिक परम्परागत उद्योग-बीड़ी एवं पत्तल, जलपानगृह एवं ढाबे,व्यापारिक संस्थान एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ये सभी कार्य स्थल असंगठित क्षेत्र में समाहित हैं। अंसगठित क्षेत्र होने के कारण इन पर राज्य सरकार का कोई नियम प्रभाव ढंग से लागू नहीं होता हैं। अतः इनके कार्य की दशायें स्वास्थ्यकर किसी भी प्रकार से नहीं हैं,भारत में बाल श्रमिक अत्यन्त छोटी आयु में ही कार्य में प्रवेश करता है। यद्यपि राज्य की यह नीति है कि ६ वर्ष व उससे अधिक आयु के बालक को अनिवार्य रुप से विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाये,परन्तु श्रमिक वर्ग इस नियमकी अवहेलना करता हैं और वह या तो घर पर ही बच्चे को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखा देता है अथवा कुछ भी शिक्षा नही देता है,अतः बाल श्रमिक कुछ भी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, केवल थोड़े से श्रमिक ही बच्चों को अल्पकाल के लिये पाठशाला भेजते हैं।

कार्य प्रारम्भ करने की आयुः

राजकीय नीति एवं विधि के अनुसार प्रत्येक छः वर्ष व उससे अधिक आयु के बालक को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, परन्तु इस नियम का अनुपालन श्रमिक क्षेत्र में बहुत कम व्यक्ति करते हैं। बाल श्रमिक प्रतिबन्ध कानून के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करना अवैध है परन्तु श्रम निरीक्षकों, समाज सुधारकों व अनेक विधि विधानों के होते हुए भी बाल श्रमिकों की एक लंबी श्रंखला देखने को मिलती है यह जिज्ञासा उठती है कि हमारे उत्तरदाताओं ने किस आयु में कार्य करना प्रारम्भ किया था ।

सारिणी संख्या ४.१

कार्य प्रारम्भ करने के आधार पर बाल श्रमिकों की आयु का निर्धारण		
कार्य प्रारम्भ करने की आयु	योग	प्रतिशत
८-९ वर्ष	१०	९.१
१०-११ वर्ष	२६	२३.६
१२-१३ वर्ष	३२	२९.१
१४ से अधिक	४२	३८.२
योग	**११०**	**१००**

सारिणी क्रम संख्या ४.१ से ज्ञात होता है कि लगभग आधे से अधिक बाल श्रमिको ने दस से तेरह वर्ष की आयु में कार्य करना आरम्भ कर दिया था। सबसे अधिक संख्या उन बाल श्रमिकों की है जिन्होने चौदह वर्ष व उससे अधिक की आयु में आर्थिकोपार्जन प्रारम्भ किया था। केवल १० बच्चों ने ८-६ वर्ष की आयु में ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतनी छोटी आयु में ही बच्चा आर्थिक क्रियाओं में लिप्त हो जाये और जबकि यह आयु उसकी शिक्षा प्राप्त करने की अथवा खेलने की होती हैं।

निरीक्षण के मध्य यह ज्ञात हुआ कि इन छोटे छोटे बच्चों के माता-पिता बीड़ी और हथकरघा उद्योगों में कार्यरत थें और वे अपने साथ इन बच्चों को काम पर लगा देते थे। सभी माता पिता यह पहले देखते हैं कि घर में हर एक को भर पेट भोजन मिले । इसके बाद तन पर कपड़ा हो और फिर मकान की चिन्ता होती है । लेकिन गरीब परिवार में सबसे पहले रोटी की समस्या आती है जिसकी वजह से इन परिवारों के बालक भी श्रम करने लगते हैं । यही कारण है कि इन गरीब परिवारों में बालक ८ वर्ष की आयु से ही काम पर लग जाता है ।

स्कूल छोड़ने व कार्य करने के बीच का अन्तर :-

अनेक माता पिता सामाजिक दायित्वों अथवा किसी अन्य कारणों से अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिला देते हैं,परन्तु शीघ्र ही उन्हें विद्यालय से उठा लिया जाता है। सामान्यतः शिक्षा बन्द करने का कारण माँ बाप द्वारा बच्चे को काम पर लगाना होता है। जिससे कि वह परिवार की आर्थिक दशा सुधारने में योग दे सके, यह आवश्यक नहीं हैं कि उनको तुरन्त ही कार्य मिल जायें,भारत जैसे देश में जहाँ बेकारी का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता जा रहा हैं वहाँ यह आशा करना

कि तुरन्त कार्य मिल जायेगा एक कल्पना ही हो सकती है। सर्वेक्षण से इस बात का पता किया गया कि विद्यालय छोड़ने के कितने समय उपरान्त उन्हें कार्य प्राप्त हुआ। प्राप्त ऑकडे संख्या ४.२ में सारिणी में दिखाये गये हैं।

सारिणी संख्या ४.२

स्कूल छोड़ने व कार्य करने के बीच के अन्तर के आधार पर बाल श्रमिकों का निर्धारण		
स्कूल छोड़ने व कार्य करने के मध्यांतर	**योग**	**प्रतिशत**
०-३ माह	२२	२०
४-६ माह	१८	१६.४
७-९ माह	१९	१७.२
१०-१२ माह	२१	१९.१
१३-१८ माह	१८	१६.४
१९-२४ माह	१२	१०.९
योग	**११०**	**१००**

इस सारिणी संख्या ४.२ से ज्ञात होता है कि लगभग २० प्रतिशत बाल श्रमिकों को केवल तीन माह के अन्दर ही कार्य प्राप्त हो गया। ३४ प्रतिशत बाल श्रमिकों को कार्य प्राप्त करने में चार से नौ माह का समय लग गया । इतने ही लगभग १६.१ प्रतिशत बाल श्रमिकों को एक साल का समय लग गया। प्रायः उन बाल श्रमिकों को कम समय के अन्तर्गत काम मिला जिनके माता पिता किसी उद्योग में कार्यरत अथवा कारीगर थे। इस सारिणी के अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश बाल श्रमिकों के पिता उद्योगों में कार्यरत हैं वे अपने साथ ही अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं।

कार्य प्रारम्भ करने की प्रेरणा :-

किसी विशेष कार्य की ओर उन्मुख होना तथा अवसर मिलने पर उस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करना अथवा अन्य स्थान पर कार्य करना गतिशीलता कहा जाता हैं। इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम श्रमिकों से यह पता लगाया गया कि वे वर्तमान कार्य में स्वतः ही आये , या माता पिता संरक्षक ने उन्हें बाध्य किया था या साथियों के कारण इस कार्य में आये, कभी-कभी बाल श्रमिक घर से भाग कर आ जाते हैं तथा उन्हें जो भी कार्य करने को मिल जाता हैं वे कर लेते हैं। सर्वेक्षण में भी ऐसा पाया गया है कि नियोक्ता भी बच्चे से परिचित होते हैं तथा वे उसकी घर की माली हालत को भी जानते हैं। अतः वे माता पिता या सरंक्षक पर बच्चे को अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए जोर देते हैं। सर्वेक्षण में,इन सब कारणों को हमने अन्य कारणों के अर्न्तगत वर्गीकत किया हैं।

सारिणी संख्या ४.३

बाल श्रमिकों के नौकरी में आने के कारण

नौकरी में आने की प्रेरणा	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
स्वयं	२	५	४	५	२	१८	१६.३
माता पिता/ संरक्षक	५	१०	१२	१२	४	४३	३९.१
साथी	३	१०	८	१२	३	३६	३३.०
अन्य	१	२	५	४	१	१३	११.६
योग	११	२७	२६	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ४.३ से ज्ञात होता है कि ३६.१ प्रतिशत बाल श्रमिक माता-पिता या सरंक्षक की प्रेरणा से इस कार्य में आये। १६.३ प्रतिशत बाल श्रमिकों ने अपने आप ही इस व्यवसाय को चुना। ३३ प्रतिशत बाल श्रमिक नौकरी में इसलिये आये क्योंकि उनके साथी इस कार्य को करते थे जबकि ११.६ प्रतिशत अन्य कारणों से नौकरी में आये।

कार्य करने की प्रकृति :-

बाल श्रमिक विभिन्न प्रकार के संस्थानों क्षेत्रों एवं कार्यस्थलों पर कार्य करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से उनको पॉच भागों परम्परागत ढाबा जलपानगृह,दुकानें घरेलू तथा अन्य व्यवसायों-में विभाजित किया गया है,हमारे उत्तरदाताओं मे से १० प्रतिशत परम्परागत उद्योगों में २४.५ प्रतिशत ढाबों व जलपानगृह में, २६.३ प्रतिशत दुकानों पर ३० प्रतिशत घरेलू क्षेत्रों में तथा शेष ६ प्रतिशत अवर्गीकृत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इनका तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि माता पिता तथा बाल श्रमिक स्वयं भी घरेलू क्षेत्र में अपने आपको अधिक सुरक्षित समझते हैं तभी घरेलू क्षेत्र में बाल श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है । सामान्यतः जब माता पिता यह तय कर लेते हैं कि उन्हें पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिये परिवार के बालकों को भी काम पर लगाना है तो वे उसके लिये सुरक्षित जगह ढूँढ़ते हैं जो या तो वे उसे अपने साथ रखकर संतुष्ट होते हैं या अपने परिचित का होटल/ढाबा या घर उपयुक्त समझते हैं इसीलिये बालकों ने भी सुरक्षा की जगह ढूँढ़ने के लिये अपने साथियों के साथ काम करना अधिक पसंद किया ।

सारिणी संख्या ४.४

कार्य की प्रकृति के आधार पर बाल श्रमिकों का निर्धारण		
कार्य की प्रकृति	योग	प्रतिशत
परम्परागत	११	१०
ढाबा / जलपानगृह	२७	२४.४
दुकानें	२९	२६.४
घरेलू	३३	३०
अन्य	१०	९.१
योग	११०	१००

सारिणी संख्या ४.४ से ज्ञात होता है कि बाल श्रमिकों का प्रतिशत सबसे कम परम्परागत तथा अन्य कार्यो में है जबकि बाल श्रमिकों की संख्या ढाबों/दुकानों तथा घरेलू कार्यो में अधिक है ।

नियोक्ता की ओर से प्रदान की गयी सुविधाये :-

वेतन या नकद मजदूरी के अतिरिक्त नियोक्ता की ओर से अपने श्रमिकों की सुविधा हेतु कुछ व्यवस्थायें की जाती हैं। इन व्यवस्थाओं के फलस्वरुप श्रमिक कम वेतन में भी अपनी गुजर करने में समर्थ होता है। इन निःशुल्क सुविधाओं को जब नकद में मजदूरी में जोड़ दिया जाता है तो इसे हम मजदूरी कहते हैं। इसी असल मजदूरी से उसके रहन सहन का स्तर पता चलता है।

समाजवादी विचारधारा के प्रचलन से सरकार व समाज सेवियों द्वारा नियोक्ताओं पर यह दबाव डाला जाने लगा कि वे अपने श्रमिकों को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करें।

हमने अपने बाल श्रमिकों से उनके नियोक्ताओं द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिनमें से उनसे निम्नलिखित सुविधाओं के बारे में प्रश्न किये गये ।

१. आवास सुविधा

२. भोजन की सुविधा

३. वस्त्र की सुविधा

४. चिकित्सा सुविधा

५. परिवहन सुविधा

६. मध्यावकाश की सुविधा

७. कार्य के घंटे

सारिणी संख्या ४.५

नियोक्ता की ओर से उपलब्ध आवास सुविधा							
उद्‌योग/ आवास की सुविधा	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
अच्छी	००	२	१	२	०	५	४.५
संतोष जनक	१	२	२	४	१	१०	९.१
असंतोष जनक	३	५	६	१०	२	२६	२४
आवास नहीं	७	१८	२०	१७	७	६६	६२.४
योग	११	२७	२९	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ४.५ से ज्ञात होता है कि ३७.३ प्रतिशत बाल श्रमिकों को किसी न किसी प्रकार की आवास सुविधा उनके नियोक्ताओं की ओर से मिली हुई है। इनमें से ४.५ प्रतिशत को अच्छी ९.१ प्रतिशत को संतोषजनक व २४ प्रतिशत को असंतोषजनक आवास की सुविधा उपलब्ध है।

स्वस्थ शरीर हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती हैं। यह पोषक भोजन बाल श्रमिक स्वयं जुटाने में असमर्थ होते हैं। अतः नियोक्ता कभी-कभी स्वयं ही इसकी व्यवस्था करते हैं। अधिकतर मुसलिम नियोक्ता सभी श्रमिकों के साथ सामूहिक भोजन करते हैं। अतः जिस प्रकार का भोजन वे स्वयं करते हैं वैसा ही बाल श्रमिकों को भी खिलाते हैं।

सारिणी संख्या ४.६

बाल श्रमिकों को भोजन की सुविधा							
उद्योग/ भोजन की सुविधा	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
अच्छी	०	२	३	४	०	६	८.२
संतोषजनक	२	४	३	५	१	१५	१३.६
असंतोषजनक	३	६	६	८	२	२५	२२.७
सुविधा नहीं	६	१५	१७	१६	७	५१	५५.५
योग	११	२७	२६	३३	१०	११०	१००

स्वस्थ शरीर हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सारिणी संख्या ४.६ से ज्ञात होता है कि नियोक्ता ४४.५ प्रतिशत बाल श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराते हैं लेकिन २२.७ प्रतिशत बाल कर्मचारियों को भोजन से सन्तुष्टि नहीं हैं जहाँ तक पोषक तत्वों का प्रश्न हैं केवल ३६.३६ प्रतिशत को अच्छा भोजन मिलता है जिसमें ८.२ प्रतिशत बाल कर्मचारियों को अच्छे पोषण की सुविधा उपलब्ध हैं।

बाल कर्मचारियों को कभी कभी नियोक्ता की ओर से निःशुल्क वस्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं। यह एक प्रकार से उनकी वेतन परिलब्धि को बढ़ाने हेतु दिये जाते हैं।

सारिणी संख्या ४.७

बाल श्रमिकों को वस्त्र की सुविधा							
उद्योग/ कपड़े की सुविधा	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
अच्छा	२	००	२	४	०	८	७.३
संतोषजनक	३	२	२	३	२	१२	११
असंतोषजनक	२	३	४	६	१	१६	१४.४
नहीं	४	२२	२१	२०	७	७४	६७.४
योग	११	२७	२६	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ४.७ से ज्ञात होता है कि ३३ प्रतिशत कर्मचारियों को नियोक्ता की ओर से वस्त्र प्रदान किये जाते हैं केवल ७.३ प्रतिशत को अच्छा व ११ प्रतिशत को संतोषजनक वस्त्र दिये जाते हैं और १४.४ प्रतिशत को एसे वस्त्र दिये जाते हैं जो अच्छी हालत में नहीं होते हैं। शेष ६७.३ प्रतिशत बाल श्रमिकों को वस्त्र नियोक्ता की ओर से प्रदान नहीं किये जाते हैं।

स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी किसी न किसी समय अवश्य ही बीमारी का शिकार हो जाता हैं। श्रमिक वर्ग अस्वच्छकर बस्तियों,अस्वास्थ्यकर वातावरण,गन्दी कार्यशालाओं में तथा प्रदूषण एवं अन्य रोगी व्यक्तियों के सम्पर्क में रहता है।अतः उसका स्वस्थ रहना बीमार पड़ने की तुलना में अधिक आश्चर्य की बात है। बाल श्रमिकों की परिलब्धियॉं इतनी अपर्याप्त होती हैं कि वे समुचित चिकित्सा का व्यय वहन नहीं कर सकते। अतः उनकी यह अपेक्षा होती हैं कि नियोक्ताओं की ओर से निःशुल्क चिकित्सा सुविधाये प्रदान की जायें। दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के नियोक्ता अपना लाभ बढाने हेतु अपने कर्मचारियों को कोई भी सुविधा नहीं देना चाहते हैं। उत्तरदाताओं से पता लगाया गया कि उनमें से कितने चिकित्सा सुविधा का उपयोग करते हैं, यह तालिका संख्या ४.६ में दिये गये हैं ।

सारिणी संख्या ४.८

बाल श्रमिकों को चिकित्सा की सुविधा

उद्योग/ चिकित्सा की सुविधा	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
अच्छा	२	००	२	२	१	७	६.३
संतोषजनक	३	१	३	४	१	१२	११
असंतोषजनक	३	२	३	५	२	१५	१३.६
नहीं	३	२४	२१	२२	६	७६	६६.१
योग	११	२७	२६	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ४.८ से स्पष्ट है कि ३०.६ प्रतिशत बाल श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं। इनमें ६.३ प्रतिशत को अच्छी ११ प्रतिशत को संतोष जनक व १३.६ प्रतिशत को असंतोषजनक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं। ६९.१ प्रतिशत बाल श्रमिकों को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं हैं। व्यवसायों की दृष्टि से परम्परागत उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों को नियोक्ता की ओर से ७.३ प्रतिशत को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा घरेलू बाल श्रमिको को १० प्रतिशत दुकानों पर कार्यरत बाल श्रमिको को ७.३ प्रतिशत,अन्य व्यवसायों में लगे बाल श्रमिको को ३.६ प्रतिशत तथा सबसे कम ढाबा जलपानगृह में २.७ प्रतिशत मिलती हैं।

कार्यस्थल दूर स्थित होने की दशा में नियोक्ता कभी-कभी बाल श्रमिकों को परिवहन सुविधा भी प्रदान करते है। उनको निवास स्थान से कार्यशाला तक लाना व ले जाना नियोक्ता के स्वयं के साधन द्वारा अथवा यातायात व्यय को वहन कर कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जाती हैं। जो कि सारिणी संख्या ४.९ से स्पष्ट है ।

सारिणी संख्या ४.६

नियोक्ता की ओर से परिवहन सुविधा							
उद्‍योग/ परिवहन सुविधा	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
हॉ	५	२	४	१०	२	२३	२१
नहीं	६	२५	२५	२३	८	८७	७६
योग	११	२७	२६	३३	१०	११०	१००

हमारे निदर्शन में केवल २१ प्रतिशत बाल कर्मचारियों को वाहन सुविधा प्राप्त हैं। इनमें से सर्वाधिक ६.१ प्रतिशत बाल कर्मचारी घरेलू तथा दूसरे स्थान पर परम्परागत ४.५ प्रतिशत उद्योग में तथा सबसे कम २.७ प्रतिशत ढाबा/जलपानगृह में पाये गए हैं। दुकानों में ३.६ प्रतिशत व घरेलू व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को नियोक्ता की ओर से साइकिल की सुविधा भी प्रदान की गयी है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति कार्य करते-करते थक जाता है उसे कार्य के मध्य विश्राम की आवश्यकता होती है अर्थात व्यक्ति ने कार्य करते-करते बीच में विश्राम कर लिया और फिर कार्य पर लग गया । इसी प्रकार बाल श्रमिक भी कार्य के बीच में विश्राम चाहता है जिसे मध्यावकाश कहते हैं । शोधकर्ता ने इस विषय में नियोक्ताओं तथा बाल श्रमिकों से यह जानने का प्रयास किया कि नियोक्ताओं की ओर से बाल श्रमिकों को कितना मध्यावकाश दिया जाता है जो सारिणी संख्या ४.१० में अंकित है ।

सारिणी संख्या ४.१०

बाल श्रमिकों को मध्यावकाश की सुविधा							
उद्योग/ मध्यावकाश सुविधा	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
१५ मिनट	७	५	००	३	००	८	७.३
२५ मिनट	२	१०	५	६	२	२५	२२.७
३५ मिनट	३	८	१२	९	४	३६	३२.७
४५ मिनट	५	३	८	८	३	२७	२४.५
६० मिनट	१	१	३	५	१	११	१०
अनिर्धारित	००	००	१	२	००	३	२.८
योग	११	२७	२९	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ४.१० से ज्ञात होता है कि २५ व ३५ मिनट का मध्यावकाश ढाबों तथा दुकानों में सबसे अधिक क्रमशः ६.१ प्रतिशत व १०.६ प्रतिशत व सबसे कम परम्परागत कार्यो मे लगे बाल श्रमिको को क्रमशः २ प्रतिशत व ३.६ प्रतिशत मिलता है। ४५ मिनट का मध्यावकाश सबसे अधिक दुकानों व घरेलू कार्यो मे लगे बाल श्रमिकों को ७.३ प्रतिशत व ७.३ प्रतिशत मिलता है ।

मध्यावकाश :-

प्रत्येक विवेकयुक्त मानव यह अनुभव करता है कि लगातार कार्य करने से मांस पेशियों एवं मस्तिष्क में थकान आ जाती हैं। फलस्वरुप श्रमिक वर्ग की कार्य क्षमता गिर जाती है। कार्य के लगातार करते रहने में तो श्रमिक द्वारा गलती होने की सम्भावना ओर भी बढ़ जाती हैं तथा दुर्घटना होने की भी आशंका बढ़ जाती हैं। अतः सर्वसम्मत राय यह है कि कार्य के मध्य अवकाश मिलने से या देने से श्रमिक की कार्य क्षमता बढती हैं। उसमें पुनः स्फूर्ति व ताजगी आती है तथा वह अच्छी प्रकार से कार्य कर सकता हैं। यह मध्यवकाश १५ मिनट से लेकर एक घण्टे तक का हो सकता हैं। हमारे प्रतिचयन में ३ प्रतिशत बाल श्रमिकों ने बताया कि उनका मध्यवकाश निर्धारित नहीं है। कभी मिल जाता है कभी नहीं। ७.३ प्रतिशत को १५ मिनट, २२.७ प्रतिशत को २५ मिनट, ३२.७ प्रतिशत को ३५ मिनट, २४.५ प्रतिशत को ४५ मिनट तक का अवकाश मिलता है।

१० प्रतिशत को एक घण्टे या ६० मिनट का अवकाश मिलता है। जिन बाल श्रमिकों ने मध्यवकाश का निश्चित समय नहीं बताया ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इस प्रकार का विश्राम या अवकाश नहीं मिलता है। ३५ मिनट का मध्यावकाश सबसे अधिक दुकानों पर काम करने वाले बाल श्रमिकों को मिलता है तथा सबसे कम परम्परागत कार्यो में लगे बाल श्रमिको को मिलता है ।

कार्य के घण्टे :- कार्य के घण्टों का श्रमिक के स्वास्थ्य व कार्य क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह डाक्टरी खोजों से भी ज्ञात हो चुका है कि निशचित घण्टों से अधिक कार्य करने पर उसकी क्षमता में ह्रास होता हैं। तथा कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक समय था जबकि नियोक्ता श्रमिक से अधिकाधिक धण्टे कार्य लेता था,परन्तु धीरे-धीरे सम्पूर्ण विश्व में कार्य के घण्टे नियन्त्रित करने के लिए विभिन्न कानून भी निर्मित किये गये।

बाल श्रमिकों के संबंध में तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उनका शरीर कोमल होता है। व ये अधिक समय तक भारी कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जरा सा भी अधिक कार्य उनके विकास को अवरुद्ध कर देता हैं तथा उनकी कार्य क्षमता का भी ह्रास होता हैं। उत्तरदाताओं से उनके कार्य के घण्टों का पता लगाया गया जो सारिणी संख्या ४.११ में उपलब्ध हैं ।

सारिणी संख्या ४.११

बाल श्रमिकों के कार्य का नियोक्ता द्वारा समय का निर्धारण							
उद्‌योग/ कार्य समय	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
४-१/२ घंटे	००	००	२	३	००	५	४.५
६ घंटे	२	४	४	४	२	१६	१४.६
८ घंटे	३	६	१०	५	३	२७	२४.५
१० घंटे	३	१२	१०	१२	३	४०	३६.४
१२ घंटे से अधिक	३	५	३	६	२	२२	२०.०
योग	११	२७	२६	३३	१०	११०	१००

बाल श्रमिकों के कार्य समय को देखने से ज्ञात होता है कि केवल ४.५ प्रतिशत बाल कर्मचारी ४-१/२ घण्टे कार्य करते हैं। १४.६ प्रतिशत बाल श्रमिक ६ घण्टे २४.५ प्रतिशत ८ घण्टे, ३६.४ प्रतिशत १० घण्टे, व २० प्रतिशत १२ घण्टे से भी अधिक कार्य करते हैं । व्यवसायों की दृष्टि से परम्परागत कार्यों तथा अन्य व्यवसायों में कोई भी बाल श्रमिक ऐसा नहीं पाया गया जो कि साढे चार घण्टे कार्य करता हो। दुकानों तथा घरेलू कार्यों में कार्यरत बाल श्रमिकों का यह प्रतिशत क्रमशः लगभग बराबर है जो ६ से ८ घंटे कार्य करता है सबसे अधिक प्रतिशत उन बाल श्रमिकों का है जो ८ घंटे से अधिक कार्य करते हैं । जिसमें ५६.४ प्रतिशत बाल श्रमिक १० घंटे या उससे अधिक कार्य करते हैं ।

अवकाश एवं बाल श्रमिक :-

कार्य के मध्य बीमारी व्यक्तिगत कार्य, आकस्मिक दुर्घटना आदि के फलस्वरुप वयस्क या बाल श्रमिक को अवकाश की आवश्यकता अनुभव हो सकती है। प्रत्येक श्रमिक यह चाहता है कि वह जब कभी भी बीमार पड़े तो उसे सवेतन अवकाश मिले इसी प्रकार यदि उसे कोई आवश्यक व्यक्तिगत कार्य हो तो नियोक्ता इतने उदार नही होते हैं कि वे बाल श्रमिकों को सवेतन अवकाश दें। यही नहीं कभी कभी तो लम्बे समय तक अवेतन अवकाश लेने पर नियोक्ता उसे कार्य से मुक्त कर देते हैं। श्रम के शाही कमीशन नें अपनी रिपोर्ट मे छुट्टियों व सवेतन अवकाश के महत्व पर बहुत कुछ लिखा हैं तथा इस बात की वकालत की है कि श्रमिकों को एक निश्चित काल की छुट्टी लेनें के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए तथा उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि वापस आने पर वे अपने पुराने कार्य को प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वेतन सहित छुट्टियां अथवा भत्ते वर्तमान पद्धति में एक बहुत बड़ा सुधार सिद्ध हुआ हैं। बिहार श्रम जॉच समिति ने छुट्टियों के महत्व के संबंध मे लिखा हैं-"पाश्चात्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में छुट्टियां व सवेतन अवकाश की अवश्यकता बहुत अधिक हैं क्योंकि यहॉ की जलवायु गर्म हैं। श्रमिकों का भोजन अपर्याप्त व दूषित होता हैं। शारीरिक दृष्टि से वे अत्यन्त दुर्बल होते हैं एवं उनके रहने की दशायें अत्यन्त खराब होती हैं।

इस प्रकार के विचार बम्बई की सूती वस्त्र उद्योग समिति तथा कानपुर की श्रम जॉच समिति ने भी व्यक्त किये हैं तथा सवेतन अवकाश एवं छुट्टियों पर बहुत बल दिया हैं।

अन्त में श्री वी०वी० गिरि के शब्दों को लिखना भी अनावश्यक न होगा "श्रमिकों को छुट्टियों तथा सवेतन पाने का अधिकार तो हो परन्तु उन्हें स्वयं इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं

करना चाहिए"। यदि श्रमिक अपने अधिकारों को दुरुपयोग करते हैं जिसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़े तो ऐसी अवस्था में उनके इस अधिकार पर नियन्त्रण की व्यवस्था भी होनी अनिवार्य हैं ।

बाल श्रमिकों से नियोक्ता का व्यवहारः

नियोक्ता बाल श्रमिकों से कैसा व्यवहार करते हैं तथा बाल श्रमिक उनके व्यवहार से कैसा अनुभव करते हैं? कार्य में सन्तुष्टि नियोक्ता के व्यवहार पर ही निर्भर करती हैं। जिसके लिये बाल श्रमिकों से उनके नियोक्ता के व्यवहार के विषय में पूँछा गया । जो सारिणी संख्या ४.१२ में दिया गया है।

सारिणी संख्या ४.१२

बाल श्रमिकों की दृष्टि में बाल श्रमिकों के प्रति नियोक्ता का व्यवहार							
उद्योग/ व्यवहार का प्रकार	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
अच्छा	२	३	३	६	२	१६	१४.५
संतोषप्रद	२	५	६	६	३	२२	२०.०
असंतोषप्रद	३	८	६	८	३	२८	२५.५
अत्यधिक असंतोषप्रद	४	११	१४	१३	२	४४	४०.०
योग	११	२७	२६	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ४.१२ पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि केवल ३४.५ प्रतिशत बाल श्रमिक नियोक्ता के व्यवहार को अच्छा व सन्तोषप्रद अनुभव करते हैं, जबकि ६५.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं का अनुभव विपरीत है। इन नियोक्ताओं का व्यवहार असन्तोषजनक अथवा बहुत खराब हैं। वे उनके व्यवहार से बिलकुल भी सन्तुष्ट नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल श्रमिकों के प्रति समान्यतया नियोक्ताओं का व्यवहार असन्तोषप्रद हैं।

व्यवसायों की दृष्टि से केवल २० प्रतिशत बाल श्रमिक ही अपने नियोक्ताओं के व्यवहार से सन्तुष्ट हैं तथा ४० प्रतिशत अपने नियोक्ताओं के व्यवहार से अत्यधिक दुःखी हैं।

कार्य सन्तुष्टि :-

श्रम का उद्देश्य मुख्यतः अर्थोपार्जन होता है अर्थोपार्जन से वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कार्य का उचित व वांछित निष्पादन स्वस्थ शरीर के साथ साथ उसे कार्य से मिलने वाली मानसिक सन्तुष्टि से घनिष्ठ रुप से संबंधित हैं। अतः किसी कार्य को करने से बाल श्रमिक को सन्तुष्टि मिल रही है अथवा नहीं यह अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सन्तुष्टि अनेक कारणों से सम्बन्धित है जिनको आर्थिक व अनार्थिक श्रेणी में विभक्त किया जा सकता हैं जबकि आर्थिक कारण मुख्यतः मजदूरी बोनस का भुगतान,विभिन्न भत्ते व सुविधायें नौकरी व कार्य की दशायें, कार्य के घण्टे, प्रबन्ध में लगे हुए व्यक्तियों का संबध, सवेतन छुट्टी व अवकाश आर्थिक कारण हैं जिनका उद्योग व कार्य क्षेत्र से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हैं। इस दिशा में राजनैतिक कारणों का महत्व भी कम नहीं हैं।

सारिणी संख्या ४.१३

कार्य संतुष्टि के आधार पर बाल श्रमिकों का निर्धारण							
उद्योग/ संतुष्टि	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
अत्यधिक संतुष्टि	२	३	५	५	२	१७	१५.४
संतुष्ट	३	४	५	५	२	१९	१७.२
तटस्थ	३	५	६	३	१	१८	१६.२
असंतुष्ट	२	१०	१०	१२	३	३७	३४.०
अत्यधिक असंतुष्ट	१	५	३	८	२	१९	१७.२
योग	११	२७	२९	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ४.१३ में बाल श्रमिकों को उनके वर्तमान कार्य से मिलने वाली सन्तुष्टि के मापन का प्रयास किया गया। १७.३ प्रतिशत बाल श्रमिक अपने कार्य से अत्यधिक असन्तुष्ट हैं। ३४ प्रतिशत बाल श्रमिक अपने वर्तमान कार्य से असन्तुष्ट हैं, १७.३ प्रतिशत बाल कर्मचारी अपने कार्य से सन्तुष्ट हैं जिनमें से १५.४ प्रतिशत अपने कार्य से अत्यधिक सन्तुष्ट हैं। १६.२ प्रतिशत इस संबंध में तटस्थ रहे। यदि अलग अलग उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों का अध्ययन करे तो ज्ञात होता है कि क्रमशः परम्परागत,ढाबा/जलपानगृह,दुकाने,घरेलू तथा अन्य उद्योगों में कार्यरत कुछ बाल श्रमिक क्रमशः २.७ प्रतिशत १३.६ प्रतिशत, १२ प्रतिशत १८ प्रतिशत एवं ४.५ प्रतिशत ऐसे बाल श्रमिकों का है, जो अपने वर्तमान कार्य से सन्तुष्ट नहीं है। इसमें अत्यधिक असन्तुष्ट भी सम्मलित हैं।

अध्याय-५

बाल श्रम रोजगार के प्रभाव

बाल श्रम के कारण :-

किसी भी देश का विश्वसनीय मापदण्ड व सांस्कृतिक स्तर वहाँ के बालकों की अच्छी व बुरी दशा से ज्ञात होता है। बालक मानव जीवन की नींव हैं। बालक रुपी बीज से ही मानव रुपी वृक्ष का निर्माण होता हैं। यदि किसी समाज में बालक उपेक्षित तथा तिरस्कृत हैं अथवा ज्यों ही उसमें कार्य करने की थोड़ी सी भी शक्ति होती हैं त्यों ही उन्हें कठोर कार्यो के कोल्हुओं में जुड़ना पड़ता है तो शक्ति का ऐसा दुरुपयोग उस समाज के सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने उन कारकों का अध्ययन किया हैं जिनके फलस्वरुप एक बालक शिक्षा प्राप्त करने एवं विकसित होने की अवस्था में ही रोजी रोटी जुटाने की चिन्ता में पड़ जाता है तथा अपनी खेलने की उम्र में ही बाल श्रमिक बनने को मजबूर हो जाता हैं।

(१) कुटीर उद्योगों का पतन :- भारत में बाल श्रमिकों को रोजगार पर रखने का मुख्य कारण कुटीर धन्धों का पतन हैं। बाल्यवस्था से ही बच्चे घर के कुटीर उद्योग धन्धों में हाथ बटाते थे परन्तु औद्योगिकरण के साथ जब गृह उद्योगों का पतन हुआ तो घर के लोगों के साथ-साथ बच्चों को भी अन्य उद्योगों में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा।[१]

(२) माता पिता या अभिभावक की अपर्याप्त आय :- बाल श्रमिक की समस्या का वयस्क श्रमिक को मिलने वाली वर्तमान आय से घनिष्ठ संबंध है। यह अपर्याप्तता बच्चों के माता

---

१. सिन्हा एवं सिन्हा-श्रम अर्थशास्त्र ,१६७६

पिता को बाध्य करती है कि वे भी अपने बच्चों को कार्य पर भेजे ताकि उसके बदले में कुछ प्राप्त किया जा सके जिससे नियोक्ता बहुत से प्रतिबन्धित अधिनियमों के बावजूद, बच्चों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनको कम वेतन पर बाल श्रमिक बना लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट भी यही संकेत देती है कि "बाल श्रम की समस्या अपने आप में कोई समस्या नहीं है किन्तु यह बच्चे की देखभाल और वयस्क श्रमिकों को मिलने वाली वर्तमान मजदूरी की समस्या है। ताकि वे अपने परिवार को सही तरीके से देखभाल कर सकें। राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार में यह पाया गया है कि माता पिता अपने बच्चों को कार्य करने के लिये बाध्य करते हैं। क्योंकि उनकी स्वयं की आमदनी कम हैं यदि उनकी आमदनी बढ़ा दी जाये तो शायद वे अपने बच्चों को काम पर भेजना बन्द कर दें।

(३) बेरोजगारी :- लम्पकिन और डग्लस ने सही ही कहा है-

बच्चे अपने परिवार के वयस्क सदस्यों की बेरोजगारी के कारण कार्य करते हैं। इनमें से दो तिहाई बच्चों के वयस्क कार्य करने वाले या तो बेकार होते हैं। या अंशकालिक कार्य करते हैं तथा एक तिहाई बच्चों के काम करने का कारण उनके वयस्क सदस्यों के वेतन में भारी कटौती की गई होती है। इसी संदर्भ में पद्मिनी सेन गुप्ता कहतीं हैं- "कृषि व्यवसाय में मजदूर औसतन १८९ दिन कार्य कर सकता है गाँव में और भी कई कार्य करने को होते हैं। परन्तु उनमें भी वर्षा में १०० दिन से ज्यादा दिन बेरोजगार रहना पड़ता हैं।

(४) <u>बड़ा परिवार</u> :- बड़ा परिवार तुलनात्मक रुप से कम आमदनी में खुश नहीं रह सकता है। गरीबी से पीड़ित व अशिक्षित माता पिता यह सोचते हैं कि भगवान ने यदि तुम्हें जीवन दिया है

तो वह खाने को अवश्य ही देगा धीरे-धीरे-वे यह भी सोचते हैं कि तीन और चार बच्चे एक बच्चे से अच्छे हैं। उनके लिए ज्यादा बच्चे ज्यादा आमदनी का श्रोत होते हैं परन्तु वे इस बात को भूल जाते है कि सौ मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक बुद्धिमान व शिक्षित पुत्र अच्छा होता है।

(५) <u>अनिवार्य शिक्षा की कमी</u> :- एक निश्चित उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करने में आने वाली बाधाओं का नीचे दिये गये शब्दों में बहुत सहीं ढंग से वर्णन किया गया हैं। यदि शिक्षा मुफ्त भी हो तो एक कारीगर अपने संरक्षित बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता। उसके लिए एक अशिक्षित बच्चा तो एक सम्पत्ति हैं उसको शिक्षित करने की इच्छा उसके ऊपर दुगनी जिम्मेदारी लाती है: (१) यदि बच्चा कार्य नही करता तो आय की कमी होती हैः (२) बच्चे की शिक्षा पर होने वाला खर्च चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो कुछ न कुछ होता ही हैं। अधिकतर बच्चों को स्कूल जाने वाली सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से वे प्रारम्भिक अवस्था में ही किसी कार्य की तलाश में लग जाते हैं।

(६) <u>गरीबी</u> :- देश के समस्त छोटे बड़े नगरों में गरीबी के कारण बहुत बड़ी संख्या में बालक मजदूरी करने के लिये बाध्य हो रहे हैं। यह अपने आप में तो दुखद है ही, २१ वीं सदी में भारत के लिए कलंक की भी बात है। यह स्थिति उस समय और भी भयावह प्रतीत होने लगती है जबकि बाल श्रमिकों को कार्य करने के लिए सम्पादन के समय अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ता हैं।

(७) <u>प्रशासनिक कमजोरियाँ</u> :- देश में बाल मजदूरी रोकने या उनकी दशाओं में सुधार करने के लिए अनेकों कानून भारतीय संसद में बनाये गये हैं परन्तु खेद का विषय है कि सरकारी व गैर

सरकारी स्तर पर फैला भ्रष्टाचार व लाल फीता शाही ने देश के कर्णधारों के जीवन को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है।

(८) **जनसंख्या की वृद्धि** :- देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण भी बाल श्रमिकों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही हैं। खेद का विषय है कि एक सम्प्रदाय के लोग परिवार नियोजन को धर्म विरुद्ध मानकर बाल श्रमिकों की संख्या में बढोत्तरी से होने वाली परेशानियों को जानकर भी अंजान बने हुए हैं।

हमारे देश में जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि आस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या जितनी आबादी देश में हर वर्ष बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर उत्पादन क्षमता औद्योगिकरण तथा जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संसाधनों एवं साधनों की प्रगति तथा विकास बहुत ही धीमी गति से है, भारत की जितनी उत्पादन क्षमता व विकास की दर है उसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर कम होनी चाहिए ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को उचित सेवायें उपलब्ध करायी जा सकें। सेवायें उपलब्ध न होने की स्थिति में नागरिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कठिनाई से कर पाता है वह अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाता हैं तथा साथ ही साथ उस बाल श्रमिक बनने के लिए विवश कर देता हैं।

(९) **नैतिकता का ह्रास** :- नैतिकता एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा मानव अपने जीवन में एक सामाजिक प्राणी की भांति जीवनयापन करता हैं। नैतिकता वह शक्ति है जिसके आधार पर मानव समाज में निर्धारित आचार संहिता तथा प्रतिमान को एक सामाजिक मूल्य के रुप में धारण करता हैं एवं समाज में स्थापित आदर्श तथा सच्चरित्र की अवमानना नहीं करता है। नैतिकता के

अन्तर्गत मानव की सम्पूर्ण क्रिया निहित है यदि मानव नैतिक है तो वह अपने को समाज में एक सुसंस्कृत,सभ्य एवं समुन्नत सामाजिक प्राणी के रुप में प्रतिस्थापित कर सकता है। नैतिक व्यक्ति या अनैतिक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण समाज द्वारा मिली विरासत के द्वारा ही होता है। यह उसके माता पिता परिवार के सदस्यों, मित्र पड़ोसी अध्यापक तथा वर्तमान सामज में स्थापित प्रतिमान एवं मूल्य के आधार पर होता है। व्यक्ति में आदत तथा व्यक्तित्व का निर्माण वहाँ की परिस्थति,वातावरण,सामाजिक मूल्य प्रतिमान आदर्श तथा आचार संहिताओं पर निर्भर है। एवं साथ ही साथ जैविकीय कारण भी जिम्मेदार हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों,भ्रष्टाचार अनाचार तथा शोषण आदि की प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी परिस्थितियों के कारण होती है।इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे बड़ा दोषी तथा दण्ड का भागी वह समाज है जिसमें व्यक्ति व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित प्रबन्ध तथा परिस्थति पैदा नहीं कर सका।

बाल श्रमिकों का शोषण या बाल श्रम कानून की अवमानना जो भी व्यक्ति या नियोक्ता करता है। वह यह अवगुण समाज से विरासत में पाता है और जब एक बार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जिस रुप में हो जाता है तब वह उसी रुप में अपने जीवन को ढाल लेता है। एवं आदी बन जाता है जो जीवन पर्यन्त नहीं छूटता है। इसलिए समाज में इस प्रकार की व्यापक व्यवस्था हो कि वर्तमान में बच्चों के सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों के प्रति अवगत कराने के लिए तथा कुरीतियों एवं कुप्रवृत्तियों से दूर करने के लिए बच्चों के जन्म से प्रयास करना होगा तथा नैतिक शिक्षा का भी प्रबंध करना होगा।

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि हमारे देश में बाल श्रम समस्या को उत्पन्न करने के लिये वे सभी कारण उत्तरदायी हैं जिनका वर्णन किया गया है । जिन कारणों के फलस्वरुप बाल श्रम समस्या उत्पन्न हुई है।

<u>**बाल श्रम को वरीयता**</u> :- सामान्यतः यह जिज्ञासा होती है कि नियोक्ता वयस्क श्रमिकों के स्थान पर बाल श्रमिकों को क्यों वरीयता देता है। अध्ययन में बाल श्रमिकों की चुनी गयी विभिन्न श्रेणियों का अलग-अलग विशलेषण किया गया हैं सर्वप्रथम परम्परागत एवं अन्य उद्योगों के नियोक्ताओं से इस बात की जानकारी प्राप्त की गयी कि वह अपने संस्थानों में वयस्क श्रमिकों की तुलना में बाल श्रमिकों को क्यों वरीयता देते हैं।तालिका संख्या ५.१ में संग्रहित है।

सारिणी संख्या ५.१

	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	तृतीय वरीयता	योग अंक
सस्ता	६३ (१८६)	४० (८०)	७ (७)	२८६
आज्ञाकारी	२५ (७५)	५० (१००)	३५ (३५)	२१०
औद्योगिक विवाद नहीं	६ (२७)	५ (१०)	६६ (६६)	१३३
निम्न स्तरीय कार्य के लिये तत्पर	५ (१५)	४ (८)	१०१ (१०१)	१२४
बारीक कार्य में दक्षता	६ (१८)	५ (१५)	९९ (९९)	१३२

उत्तरदाता नियोक्ताओं से वयस्क श्रमिकों के स्थान पर बाल श्रमिकों को वरीयता देने के अधिक से अधिक तीन कारण अंकित करने को कहा गया। इन कारणों को वरीयता क्रम से देना था प्रथम वरीयता पर तीन अंक, द्वितीय वरीयता को दो अंक व तृतीय वरीयता को एक अंक प्रदान किया गया।

सारिणी संख्या ५.१ से स्पष्ट है कि परम्परागत व अन्य उद्योगों के नियोक्ताओं ने सबसे अधिक वरीयता बाल श्रम के सस्ता होने को दी है। इस कारण को २८६ वरीयता अंक प्राप्त हुए हैं। वयस्क श्रमिक अनेक बार नियोक्ताओं के आदेश को झुठला सकते हैं। परन्तु बाल श्रमिक को आदेश के उल्लंघन का साहस नहीं होता है तथा वह मूक बनकर नियोक्ता की बात सरलता से मान जाते हैं, २१० अंकों की गणना से निदर्शन में इसे क्षेत्र के नियोक्ताओं ने दूसरा स्थान दिया है। वयस्क श्रमिक नियोक्ताओं के लिये पग-पग पर कानूनी अड़चने डालते हैं। परन्तु बेचारे बाल श्रमिक इस प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही कर पाते हैं। इसलिये नियोक्ताओं के उत्तर की गणना करने पर इनको १३३ अंक प्राप्त हुये हैं। जो कि तृतीय स्थान है। नियोक्ताओं ने बाल श्रमिकों को चयन की वरीयता क्रम में बारीक कार्य में दक्षता को चतुर्थ व निम्न स्तरीय कार्य के लिये बाल श्रमिकों की तत्परता को पंचम स्थान दिया है।

घरेलू, दुकान व ढाबा एवं जलपान गृहों के नियोक्ताओं ने बाल श्रमिकों को बरीयता देने के कारण सारिणी संख्या ५.२ में दर्शाये हैं ।

सारिणी संख्या ५.२

	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	तृतीय वरीयता	योग अंक
नैतिक सुरक्षा	६५ (१९५)	४० (८०)	५ (५)	२८०
सस्ता	५० (१५०)	४२ (८४)	१८ (१८)	२५२
आज्ञाकारी	४० (१२०)	३० (६०)	२० (२०)	२००
निम्न स्तरीय कार्य के लिये तत्पर	४० (१२०)	१८ (३६)	१० (१०)	१६६
बच्चों से मैत्रिक निकटता	२० (६०)	२० (४०)	६० (६०)	११०

घरेलू नियोक्ताओ ने बाल श्रमिकों को वरीयता देने के कारण में सर्वप्रथम कारण नैतिक सुरक्षा को दिया है। घरेलू नियोक्ता प्रत्येक परिस्थिति में नैतिक सुरक्षा चाहते हैं। क्योंकि घर में लड़कियों व महिलाओं के कारण वे वयस्क श्रमिक से हमेशा असुरक्षा व भय की भावना महसूस करते हैं। अतः घरेलू नियोक्ता प्रायः बाल श्रमिकों को ही नियुक्त करना चाहते हैं। इसलिये उन्हें २८० अंक देकर प्रथम वरीयता दी है। नियोक्ता ने बाल श्रमिकों के सस्ता व आज्ञाकारिता को क्रमशः २५२ व २०० अंक देकर क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान दिया है। बाल श्रमिक न केवल घर के प्रत्येक कार्य के लिये तत्पर रहते हैं बल्कि आस पड़ौस व मोहल्ले की दुकानोंसे खरीदारी मे भी सक्षम हो जाते हैं। इसलिए वरीयता क्रम में इस कारण को चतुर्थ स्थान प्रदान किया गया है। घरेलू नियोक्ता बाल श्रमिकों को इसलिये भी वरीयता देते हैं कि अनेक बार वयस्क श्रमिक इनके बच्चों से मधुर संबंध नहीं बना पाते हैं। जबकि बाल श्रमिकों की इनके बच्चों से मैत्रिक निकटता भी हो जाती है। इस कारण को वरीयता क्रम में ११० अंक देकर पाँचवां व अन्तिम स्थान दिया गया है।

उपरोक्त तालिकाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में नियोक्ता विभिन्न कारणों से वयस्क श्रमिक के स्थान पर बाल श्रमिक को वरीयता प्रदान करते हैं। इन कारणों का सामान्यीकरण निम्न प्रकार से किया गया है।

सस्ता श्रम :- बाल श्रमिक अन्य सभी श्रमिकों की तुलना में सस्ते हैं। बच्चे बड़ों के मुकाबले ज्यादा व अच्छा काम करते हैं। मालिक उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकते हैं। मँहगाई के युग में प्रत्येक प्रकार का नियोक्ता सस्ता श्रमिक रखना चाहते हैं। तथा बाल श्रमिक से सस्ता उसे कोई अन्य श्रमिक नहीं मिल पाता है।

परिश्रमी :- बाल श्रमिक अत्यन्त परिश्रमी होते हैं। वे कुछ विशेष प्रकार के कार्यो में वयस्क श्रमिकों से बेहतर होते हैं। इस संबंध में एक कैन्टीन मालिक का यह कथन अत्यन्त समीचीन है- दफ्तरों की मंजिलों में जितनी जल्दी यह बच्चा ऊपर नीचे दौड़ लगा लेगा उतना एक २५साल का आदमी नही लगा सकता।[१]

आज्ञाकारिता :- बाल श्रमिक में आज्ञाकारिता पायी जाती है। वे भयवश या बाल सुलभता के कारण नियोक्ता का हमेशा कहना मानते हैं।

औद्योगिक विवादों की संभावना नहीं :-

सेवायोजकों को बाल श्रमिकों को कार्य पर रखने से यह निश्चिन्तता बनी रहती है क्योंकि इनमें संगठन का सर्वथा अभाव पाया जाता है तथा ये अपने अधिकारों के संबंध में जागरुक भी नहीं होते हैं। इसलिये इन श्रमिकों के साथ औद्योगिक विवाद की संभावना बहुत कम होती है। इसके साथ एक बात यह भी है कि इनमें मोलभाव की शक्ति बहुत कम होती है।

कार्य की तत्परता :- बाल श्रमिकों का शरीर कोमल व लचीला होता है। वे प्रत्येक कार्य के लिये सर्वथा तैयार रहते हैं। इसी तत्परता के कारण हर वर्ग के नियोक्ता बाल श्रमिकों को अपने यहॉ नियुक्त करने में वरीयता देते हैं। शरीर कोमल व लचीला होने के कारण बाल श्रमिक कुछ ऐसे कार्यो को भी तत्परता से कर देते हैं जिनकों अन्य श्रमिक नहीं कर पाते हैं।

---

(१) हिन्दी साप्ताहिक धर्मयुग २० नवम्बर १९८८, पृ० २०

निम्न स्तरीय कार्य के लिये तैयार :- होटल,घरेलू ,भवन निर्माण बीड़ी परम्परागत उद्योग इत्यादि व्यवसायों के मालिक अन्य वर्ग के श्रमिको की तुलना में बाल श्रमिकों के इसलिये अधिक पसंद करते है कि ये बाल श्रमिक न केवल सस्ते, आज्ञाकारी व परिश्रमी होते हैं बल्कि पैर दबाना,मालिश करना आदि निम्न कार्य भी आसानी से कर देते हैं।

उत्तरदाता नियोक्ताओं व बाल श्रमिकों से बाल श्रम के कुप्रभावों व अच्छे प्रभावों को वरीयता देने के अधिक से अधिक तीन कारण होते हैं। इन्हीं ऊपर दिये गये कारणों के लिये बाल श्रमिक को अधिक वरीयता दी जाती हैं।

बाल श्रम के प्रभाव :- "बाल श्रमिको के लिये २१ वीं सदी और विकास की बातें करना बेमानी है। अधिक परिश्रम,अपुष्ट भोजन और मानसिक उत्पीड़न के कारण ये अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी वे नशाखोरी और जुए सट्टे के आदी हो जाते हैं। इनकी दुनिया में झाँकने पर भयावह सच्चाई के दर्शन होते हैं। इनकी जिन्दगी से गरीबी,अशिक्षा और अभावों की दुर्गन्ध आती है। "बाल मजदूरों की समस्या के बारे में कहा गया हैं- जैसे बाल श्रमिकों की आयु ढलती है वैसे वैसे वे केवल अपनी रोजी रोटी के बारे में ही सोचते रह जातें हैं और अगर इन्हें अपने बारे में एहसास हो भी जाता है तो मात्र समाज व मजबूरियों को कोसने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते।"[१]

"बाल मजदूरी दो तरह के नागरिकों को जन्म देती है एक तो ऐसे बाल मजदूर जो बचपन में मजदूरी करके भी जीवन में कुछ बनने की लालसा रखते हैं और कुछ हद तक अपने लक्ष्य में

---

१. दिनमान, ३१ मई १९८९, पृ० ६६

कामयाब हो जाते हैं। हालांकि अब वे हालात नहीं जब कोई बाल मजदूर आसानी से देश का अच्छा नागरिक बनने का गौरव महसूस कर सके व दूसरे वे बच्चे हैं जिन्हें सामाजिक- आर्थिक परिस्थितियाँ समाज के माथे पर कलंक का टीका बनाती हैं। मनौवैज्ञानिकों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि दुनिया में आज जो हिसंक वातावरण दिखाई दे रहा है। उसके लिए महत्वपूर्ण कारण बच्चों की दुर्दशा है"(२)। बाल श्रम एक ऐसी समस्या है। जिसका संबंध न केवल उसके माता-पिता से होता है। बल्कि इसके बुरे प्रभाव समाज व राष्ट्र के लिए भी अत्यन्त घातक होते हैं। भारत में इसके द्वारा अनेक समस्याएं विकराल रुप धारण कर चुकी है। जो निम्न प्रकार हैं।

(१) नैतिक पतन :-

वयस्क श्रमिकों के साथ कार्य करने से उनकी अनेक बुरी आदते बच्चे भी सीख जाते हैं। विभिन्न खोजों से मालूम होता हैं कि इन बुरी आदतों मे दो आदतें प्रमुख हैं-एक तो बीडी व सिगरेट पीने की आदत दूसरी जुआ खेलने की आदत। इसके अतिरिक्त उनसे अनुचित अमानवीय व अनैतिक कार्य भी कराये जाते हैं। इस संबंध में कहा गया है कि अमेरिका व यूरोप में इन गुलाम बच्चों से ज्यादातर वैश्यावृत्ति करायी जाती है। उनसे अशलील क्रियाए करवा कर ब्लू फिल्में और अश्लील साहित्य तैयार किया जाता है। तथाकथित यौन क्रान्ति का जो फोड़ा आज फूटकर नासूर बन चुका है। उसका प्रणेता अमेरिका है जहाँ १२ से १४ साल तक की उम्र के लड़कों से वैश्यावृत्ति करायी जाती है।

---

२. धर्मयुग साप्ताहिक २० नवम्बर १९८८, पृ० १७-१८

(२) वयस्क जिम्मेदारी में बाधा :-

बालको को कच्ची उम्र मे ही कार्य पर लगाया जाता है और उनसे कठोर कार्य करवाया जाता है। जबकि उनमे काम करने की पर्याप्त क्षमता भी नहीं होती है। बचपन में दोनो ही अंग शरीर व मन कोमल होता है तथा कठोर कार्य में लगाने से उनकी कोमलता नष्ट हो जाती है।परिवार में निर्वाह के लिये मजदूरी कमाने की आर्थिक आवश्यकता बालक की शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन के अवसरों से वंचित कर देती है। उनके शारीरिक विकास को रोकती है उनके व्यक्तित्व के सामान्य विकास में बाधा डालती है तथा वयस्क जिम्मेदारी के लिए तैयार होने में रोड़े अटकाती है।"[१]

(३) अपराध भावना में वृद्धि :-

बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माथे पर यह लिखा कर नही लाता है कि वह ईमानदार है या बेईमान या धर्मात्मा है अथवा धूर्त, वह यह सब इस दुनिया में कदम रखने के बाद अपने परिवार से अपने पड़ोस से अपने आसपास के सम्पूर्ण माहौल से सीखता है। जब बाल श्रमिक की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो तब वह विवश होकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपराधिक वृत्ति एवम् बुराईयों में संलिप्त होने लगता है। साथ ही सामाजिक संगठन को कमजोर व खोखला करने मे भी अहम् भूमिका निभाता है तथा विकास में बाधक सिद्ध होता है।

(४) सामाजिक प्रभाव :-

भारत में शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है इसलिए बाल श्रमिकों को भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। समाज द्वारा अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके प्रति

---

१. सिन्हा एवं सिन्हा- श्रम अर्थशास्त्र १९७९

दया,सहानुभूति व सहदयता का व्यवहार नहीं किया जाता है जिससे बाल श्रमिक हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं या कभी कभी समाज से बगावत करके असामाजिक कार्यो में लीन हो जाते हैं।

(५) शिक्षा :-

बाल श्रमिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो सामान्य मानसिक एवम् बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक होती है।धनी परिवारों की तुलना में निर्धन परिवार के बच्चे स्कूल या विद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध भी हो तो भी उनके माता पिता शिक्षा की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत को वहन नहीं कर पाते तथा वे इस अवसर का लाभ स्वीकार नहीं करते हैं। यदि विद्यालय की शिक्षा व्यवसायपरक बना दी जाये व पाठ्यक्रम में आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित कर लिया जाये तथा उनकी आय बच्चों को दे दी जाये तो ना केवल वे भली प्रकार शिक्षा प्राप्त करेंगे वरन् उनका मनोबल भी ऊँचा उठेगा और वे अपने आप को श्रेष्ठ नागरिक बना सकेंगे।

(६) आदतें :-

बच्चे की आय कितनी भी कम क्यों न हो वह अपने आपको कार्य न करने वाले बच्चों की तुलना में महत्वपूर्ण समझता है। परिवार में भी उसका महत्व अधिक होता है। क्योंकि वह परिवार के लिये अधिक धन उपार्जित कर रहा है। बाल श्रमिक वयस्क के मध्य कार्य करता है व अपने कार्य के बदले कुछ धन प्राप्त करता है। वह अपने आपको अपनी आयु के बच्चों से अधिक परिपक्व समझता है। कुछ सीमा तक वह स्वयं यह निर्णय करता हैं कि वह अपनी आय को किस प्रकार व्यय करें। बाल श्रमिक अपने आपको महत्वपूर्ण व स्वतन्त्र अनुभव करता है व वह व्यर्थ का धन व्यय करता

है। धूम्रपान जुआ आदि बुरी आदते ग्रहण कर लेता है। इन आदतों के फलस्वरुप उसका भावी विकास रुक जाता है।

(७) **आर्थिक प्रभाव** :- यदि बाल श्रमिक अपने माता पिता के साथ परम्परागत रोजगार में श्रम करता है तो उसकी आय बहुत कम होती है। जिससे उसके माता पिता समुचित ढंग से देखरेख भी नहीं कर पाते हैं। यदि बाल श्रमिक अन्य स्थान पर अथवा नियोक्ता के संरक्षण मे कार्य करते हैं तो वहॉं शोषण इतना अधिक होता है कि हम कल्पना नही कर सकते। इस संबंध में उमा तिवारी का यह कथन- "बाल श्रमिकों की पूरी उम्र का आकलन करके यह परिणाम निकलता है कि बाल श्रमिक जितना कमाता है। लगभग उसका दस गुना खो देता है"। उनकी समस्या का सही चित्र प्रस्तुत करता है।

(८) **आय** :- प्रायः बच्चे अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए छोटी ही आयु में कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं यदि सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होता है कि परिवार की कुल आय का लगभग एक तिहाई अंश दान बालको द्वारा किया जाता है। अतः यदि बच्चों से कार्य करवाना बन्द कर दिया जाये तो इन परिवारों की आर्थिक दशा इतनी गिर जायेगी कि कुछ स्थितियों मे तो भूखे मरने तक नौबत आ सकती हैं।

(९) **आर्थिक शोषण** :- ये आश्चर्य की बात है कि अनेक नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अनेक बाल श्रमिक वयस्कों की तुलना में अच्छा व अधिक कार्य करते हैं। फिर भी कोई भी नियोक्ता उनको वयस्कों से अधिक तो क्या उनके बराबर भी वेतन नही देना चाहते हैं ।

(१०) शारीरिक प्रभाव :-

बचपन मे ही कार्य करने से बालक का शारीरिक विकास रुक जाता है। थकान,अत्यधिक कार्य निम्न पोषक तत्वों, अस्वास्थकर दशाओं एवं अन्य समस्याओं के कारण उसके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे की मॉसपेशिया कोमल होती हैं। उसमें प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। फलस्वरुप वह कार्य के मध्य जल्दी थक जाता है। उसमे प्रतिरोधक तत्वों की कमी के कारण उसका विकास रुक जाता है। अधिकांश बाल श्रमिकों का वजन प्रमाणिक वजन से कम होता है। यद्यपि किसी की ऊँचाई सामान्यतः प्राणिशास्त्रीय घटक से प्रभावित होती हैं तथापि वातावरण एवम् पोषक तत्वों का प्रभाव भी इस पर कम नही पड़ता हैं अप्रैल १९७१ में प्रकाशित मेडिकल रिसर्च के जनरल में डॉ० राघवन के प्रकाशित लेख से स्पष्ट होता है कि निम्न आय वर्ग के बच्चों की ऊँचाई या कद धनी बच्चो की ऊँचाई की तुलना में कम होती है। एक बालक का वजन वर्तमान पोषक तत्वों से संबंध रखता है। जबकि बच्चे की लम्बाई उसके विगत पोषण से प्रभावित होती है।

(११) **मनोवैज्ञानिक** :- बाल श्रम कभी-कभी लाभप्रद भी होता है। बाल श्रमिकों में उत्तरदायित्व एवं एकाग्रता अधिक मात्रा में पायी जाती है। नौकरी करते ही बच्चे की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। अधिकांश माँ बाप यह अनुभव करते हैं कि जैसे ही बच्चा नौकरी प्राप्त करता है उनमें दैनिक कार्यो के प्रति अधिक उत्तरदायित्व आ जाता है और एकाग्र होकर दैनिक क्रियाकलापों को अधिक अच्छी प्रकार से संपन्न करता है।कच्ची उम्र मे ही कार्य करने से उसका बौद्धिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है और वह केवल अपने व्यवसाय के इर्द गिर्द ही देख पाता है। इस क्षेत्र से बाहर के व्यवसाय उसकी दृष्टि से ओझल रहते हैं। उसकी महत्वाकांक्षाये भी बहुत सीमा तक संकुचित हो जाती हैं। अपने कार्य से संतुष्ट न होते हुए

भी उस कार्य मे दक्षता प्राप्त करने के कारण वयस्क होने पर वह उसी व्यवसाय को अपनाता है। अध्ययन के मध्य ज्ञात हुआ कि शिक्षित बच्चे ही उच्च महत्वाकांक्षा रखते हैं। बाल श्रमिक अपनी शिक्षा जारी नही रख पाता है जिसकी वजह से उसकी मानसिक क्षमताये पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं। जिससे उसकी महत्वकांक्षाये संकुचित हो जाती हैं।

नियोक्ता की दृष्टि में बाल श्रम के कुप्रभाव :-

उत्तरदाता नियोक्ताओं व बाल श्रमिकों से बाल श्रम के कुप्रभावों व अच्छे प्रभावों को वरीयता देने के अधिक से अधिक तीन कारण अंकित करने को कहा गया । इन कारणों को वरीयता क्रम में देना था। प्रथम वरीयता पर तीन अंक, द्वितीय को दो अंक व तृतीय वरीयता को एक अंक प्रदान किया गया।

सारिणी संख्या ५.३

	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	तृतीय वरीयता	कोई नहीं	योग अंक
नैतिक पतन	३९ (११७)	३० (६०)	२६ (२६)	१५	२०३
वयस्क जिम्मेदारी में बाधा	६२ (१८६)	३७ (७४)	११ (११)	००	२७१
शिक्षा का ह्रास	३४ (१०२)	२६ (५२)	२१ (२१)	२९	१७५
जनसंख्या में वृद्धि	३१ (९३)	३० (६०)	४० (४०)	९	२०२
बेरोजगारी	५० (१५०)	३८ (७६)	२२ (२२)	००	२४८

सारिणी संख्या ५.३ पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नियोक्ताओं को बाल श्रम के कुप्रभावों का ज्ञान हैं। उपरोक्त निदर्शन में नियोक्ताओं ने बताया कि बाल श्रम से वयस्क बेरोजगारी बढ़ती है। इसको वरीयता क्रम में सर्वाधिक २७१ अंक प्राप्त हुए हैं । बाल श्रमिक को कार्य पर लगाने से एक ओर तो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जबकि दूसरी ओर ये वयस्क श्रमिकों को प्राप्त होने वाला रोजगार छीन लेते हैं। इससे वयस्क श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं जिसके फलस्वरुप समाज व देश को शैक्षिक व आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। वरीयता क्रम में दूसरा स्थान बेरोजगारी को दिया गया है। इनको कुल २४८ अंक प्राप्त हुए हैं नियोक्ताओ का यह मानना है कि बाल श्रमिको को रोजगार मिलने के उपरान्त उनके माँ-बाप मे अपने बच्चों के द्वारा अर्जित की गयी आय पर रहने की भावना का विकास होता है। तथा वे अधिक बच्चे अधिक आमदनी के सिद्धान्त को मानकर जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। बाल श्रमिकों के अल्प आयु में कार्य में आ जाने के कारण उनकी स्कूल की पढ़ाई असमय ही रुक जाती है। जोकि उनके स्वस्थ नागरिक बनने में बाधा उत्पन्न करती है इसलिये नियोक्ताओं ने जनसंख्या वृद्धि को २०२ अंक देकर तीसरा स्थान प्रदान किया । प्रस्तुत अध्ययन में नैतिक पतन को तृतीय व बाल श्रमिकों के शिक्षा के ह्रास को पॉचवॉ स्थान प्रदान किया है । नियोक्ताओं का यह मानना है कि कम आयु में कार्य पर लग जाने के कारण बाल श्रमिक खराब आदतों जैसे मद्यपान, धूम्रपान एवं जुआ जैसी गन्दी आदतों का शिकार हो जाते हैं। इस सन्दर्भ में नियोक्ताओं का यह कथन समीचीन है कि बाल श्रमिक कभी कभी तो वयस्क श्रमिक के संपर्क में आकर कुछ अनैतिक कार्य भी करने लग जाते हैं।बच्चों के ऊपर अत्यन्त कम आयु में ही पूरे घर का बोझ डालने से बालक रुपी फूल खिलने से पूर्व ही मुर्झा जाता है। ये बच्चे हीनता का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल श्रम के सभी बुरे प्रभाव ही हों हर बुराई

में कुछ अच्छाई छिपी होती है । अध्ययनकर्ता ने नियोक्ताओं से बाल श्रम की कुछ अच्छाईयों के बारे में भी प्रश्न किये जो सारिणी संख्या ५.४ में दर्शाये गये हैं ।

सारिणी संख्या ५.४

नियोक्ताओं की दृष्टि में बाल श्रम के अच्छे प्रभाव					
विवरण	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	तृतीय वरीयता	कोई नहीं	योग अंक
उत्तरदायित्व	१६ (४८)	१७ (३४)	३५ (३५)	४२	११७
कम उम्र में कुशल कारीगर	३५ (१०५)	२१ (४२)	१६ (१६)	३८	१६३
निर्धनता में कमी	३६ (११७)	३१ (६२)	२६ (२६)	११	२०८
स्वाबलंबी	३० (६०)	२० (४०)	३१ (३१)	२६	१६१
समय का सदुपयोग	२१ (६३)	१६ (३८)	२३ (२३)	४७	१२५

सारिणी संख्या ५.४ से स्पष्ट है कि नियोक्ता ऐसा मानते है कि बच्चों के द्वारा कार्य करने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सर्वेक्षण में उनको सर्वाधिक २०८ अंक प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्थान पर १६३ अंक कम आयु में ही कुशल कारीगर बन जाने को प्राप्त हुए हैं। नियोक्ताओं का कहना है कि हम बाल श्रमिकों को बहुत कम आयु में ही इतना अधिक कार्य सिखा देते हैं कि वह बहुत कम आयु में ही एक कुशल कारीगर बन जाते हैं तथा तकनीकी रुप से ये बाल श्रमिक पूर्ण श्रमिक की आयु में श्रेष्ठ कारीगर बनते हैं। जिससे कि बाजार में इनकी मांग अन्य कारीगरों के मुकाबले कहीं अधिक होती है तथा प्रत्येक कार्य को बचपन से ही देखने व जानने के कारण ये अपने नियोक्ताओ से अधिक पैसा वसूल करने मे सक्षम हो जाते हैं अथवा नियोक्ताओं को भी इनकी ज्यादा आवश्यकता होने के कारण इनको ज्यादा पैसा देने को मजबूर होते हैं। निदर्शन में स्वावलम्बी,समय का सुदपयोग व उत्तरदायित्व को क्रमशः तृतीय व चतुर्थ व पंचम स्थान दिया हैं नियोक्ता उत्तरदाताओं का कहना है कि अल्प आयु में ही कार्य पर लग लाने के कारण ये बाल श्रमिक स्वावलम्बी हो जाते हैं। नियोक्ता आगे कहते हैं कि बाल श्रमिक का कार्य पर लगे रहने से समय का सदुपयोग होता है तथा उनमे उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।

अध्याय-६
बाल-श्रम एवं प्रत्यक्षीकरण

समस्या का हल तभी सम्भव है जब समस्या से जुड़े व्यक्तियों के विचार को जाना जाये। समस्या से जुड़े हुए व्यक्ति ही यदि प्राथमिकता निश्चित करे और उस समस्या के संबंध में अपनी अन्तः प्रतिक्रिया स्पष्ट रुप से नीति निर्धारकों के समक्ष रखे तो उस समस्या के संदर्भ में उचित ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आत्म चिन्तन निश्चय ही समस्या का सही चित्रण प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्यक्षीकरण आत्म चिन्तन का ही एक रुप समझा जाता हैं। इसमें व्यक्ति अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर जैसा वह स्वयं सोचता है उसको वह व्यक्त करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार-प्रत्यक्षीकरण एक प्राणी की संवेदना के पश्चात् का द्वितीय प्रत्युत्तर हैं जो कि संवेदना से सम्बन्धित होता है जब हम एक उद्दीपक प्राप्त करते है तो वह एक संवेदनात्मक प्रत्युत्तर को स्थान देता हैं और जो सर्वप्रथम संवेदना फिर प्रत्यक्षीकरण के रुप में प्रस्तुत होता है। बुडवर्थ के अनुसार-प्रत्यक्षीकरण में बाह्य उद्दीपक के प्रति मस्तिष्क की प्रथम क्रिया संवेदना होती हैं। प्रत्यक्षीकरण का क्रम संवेदना के बाद आता है।[१] डॉ० माथुर ने कहा है- "प्रत्यक्षीकरण वर्तमान वस्तु से प्राप्त संवेदना को अर्थ प्रदान करता है।[२] डेम्बर(१९६९) ने प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है-"प्रत्यक्षीकरण निवेश और निर्गत के बीच सम्बन्धों को स्पष्ट करता हैं इन्होनें प्रत्यक्षीकरण को एक व्यवस्था कहा है[३]। "प्रत्यक्षीकरण को वातावरण से सूचना प्राप्त करने का क्रम बताया है।"[४]

---

१. वुडवर्थ आ०एस० एण्ड डी०सी० मार्विक्स-मनोविज्ञान(पांचवा संस्करण)एन०वार्ड० हेनरी एण्ड कम्पनी, १९४७

२. डा० माथुर ,एस०एस० सामान्य मनोविज्ञान विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, १९८५, पृ० २६७

३. केम्बर-दा साइक्लोजी आफ परर्सेप्शन एनवोर्ड हेनरी हाल्ट, १९६०

४. फोर्गस,आर०परसैप्शन द वैसिक प्रौसेस इन कागनिहिव डैवलपमैंट एन०वार्ड०नैगरा हिल ,१९६६

उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है जिसका प्रत्यक्ष निरीक्षण सम्भव नहीं है। परन्तु इसे विभेदनशीलता के आधार पर जाना जा सकता है।

वस्तुगत अध्ययन वैज्ञानिक अुनसन्धान की प्रमुख आवश्यकता हैं,परन्तु किसी भी समस्या का मनोवैज्ञानिक अध्ययन विषयगत करना आवश्यक है क्योंकि समस्या की पूर्ण विवेचना विषयगत अध्ययन-समस्या से जुड़े हुए दोनो पक्षों की विचारधारा जानना ही प्रत्यक्षीकरण है। प्रस्तुत प्रकरण में शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया हैकि कार्य के स्थान पर स्कूली शिक्षा के संबंध में बाल श्रमिक की स्वयं की प्रतिक्रिया क्या है वे स्वरोजगार अथवा नौकरी में से किसे वरीयता देंगे तथा उस वरीयता देने के कारणों पर उनकी दृष्टि से ही विचार करना बाल श्रम उन्मूलन की व्यवहारिकता, उपादेयता सम्भावना तथा उसके परिणामों पर बाल श्रमिक व नियोक्ताओं के विचारों को जानना तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में विचार करना ही इस प्रकरण का उद्देश्य है।

कार्य बनाम स्कूल शिक्षा :-

शिक्षा बालक की अन्तः स्थित योग्यताओं को बाह्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास है। बालक के अन्तर्मन मे जो कुछ निहित होता है शिक्षक उसे बाहर निकालता है। यह युवकों के उद्धदाम प्रवाह शक्ति व गति पर एक रोक लगा देती है। बालक अपने साथ ही बहुत सी जन्मजात प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। उनका प्रगतिशील समाज के अनुकूल विकास करना ही शिक्षा का कार्य हैं पेस्टालाजी के अनुसार-शिक्षा मनुष्य की समस्त शक्तियों का स्वाभाविक व सन्तुलित व प्रगतिशील विकास है। शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित शिक्षा के महत्व को समझता है। प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि शिक्षा का सुयोग मानव जीवन को निखारता हैं उसमे चार चॉद लगा देता है। अरस्तू के लिये -शिक्षा ही स्पन्दन हैं शिक्षा ही

गति है, शिक्षा ही विकास है, शिक्षा ही जीवनी शक्ति है, इसलिये वह कहता है कि शिक्षित मनुष्य अशिक्षित मानवों से उतने ही ऊँचे हैं जितने मृतक से जीवित। जिस राष्ट्र में शिक्षितों का प्रतिशत निम्न होता है वह देश विकास के मार्ग पर चल ही नहीं सकता।भारत में शिक्षा के महत्व को अनुभव कर एक बड़ा उच्च लक्ष्य रखा गया है, कि इस शताब्दी के अन्त तक देश के सभी व्यक्ति शिक्षित हो जायेगे। परन्तु लक्ष्य व उपलब्धि में बहुत बड़ा अन्तर है। देश के लाखों बच्चे शिक्षा को प्राप्त करने के पुनीत अवसर को त्याग कर रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे यह अनुभव करते हैं कि काम की तुलना में शिक्षा उपार्जन करना श्रेयस्कर है क्योंकि शिक्षा उन्हें भावी नागरिक बनाने मे और जीवन की समस्याओं से संघर्ष करने में सक्षम बनायेगी। निर्धनता माता पिता की अशिक्षा बढ़ती जनसंख्या,साथियों की प्रेरणा के फलस्वरुप बच्चे कार्य करने के लिये मजबूर हो जाते है व धीरे धीरे वे कार्य में इतने दत्त चित्त हो जाते है कि शिक्षा की कल्पना तक नही कर पाते। अनेक बार वे शिक्षा की उपादेयता मे सन्देह करने लगते हैं।

यद्यपि शिक्षा के महत्व व उपयोगिता को पूर्ण या आंशिक रुप से सभी स्वीकार करते हैं तथापि कार्यरत बच्चे किन्हीं कारणोवश शिक्षा के स्थान पर अल्प आयु में ही रोजगार को प्राथमिकता देते है वर्तमान अध्ययन में शोधकर्ता ने उत्तरदाता कार्यरत बच्चों से ये प्रश्न पूछा कि वे कार्य और शिक्षा मे से किसको वरीयता प्रदान करते हैं प्राप्त उत्तर निम्न सारिणी संख्या ६.१ में संकलित है। इसमें बाल श्रमिकों को शिक्षा या कार्य दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा गया था ।

सारिणी संख्या ६.१

विवरण	शिक्षा	कार्य
परम्परागत	५	६
ढाबा/जलपान गृह	१०	१७
दुकानें	११	१८
घरेलू	१३	२०
अन्य	३	७
योग	४२	६८

सारिणी संख्या ६.१ को देखने से स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिकों का रुझान कार्य करने की ओर अधिक है केवल ३८.२ प्रतिशत बाल श्रमिकों ने शिक्षा को प्रथम वरीयता दी जबकि ६१.८ प्रतिशत ने कार्य को प्रथम वरीयता दी । जब उनसे इस वरीयता देने का कारण पूँछा गया तो उन्होंने अपने विचार सारिणी संख्या ६.२ और ६.३ के अनुसार अंकित कराए ।

सारिणी संख्या ६.२

बाल श्रमिकों के अनुसार कार्य एवं स्कूल शिक्षा का तुलनात्मक महत्व					
कार्य करना अच्छा है क्योंकि					
विवरण	परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार	स्वावलंबी श्रमिक	कुशल श्रमिक	समाज में सम्मान	योग
परम्परागत	६	४	१	००	११
ढाबा/जलपान गृह	१५	८	१	३	२७
दुकानें	१७	८	००	४	२९
घरेलू	२०	८	१	४	३३
अन्य	६	३	१	००	१०
योग	६४	३१	४	११	११०

सारिणी संख्या ६.३

बाल श्रमिकों के अनुसार कार्य एवं स्कूल शिक्षा का तुलनात्मक महत्व					
शिक्षा अच्छी है क्योंकि					
विवरण	मानसिक विकास होता है	शारीरिक स्वास्थ्य	कुशल नागरिक	प्रशिक्षित श्रमिक	योग
परम्परागत	७	३	००	१	११
ढाबा/जलपान गृह	१८	५	२	२	२७
दुकानें	२०	६	३	००	२६
घरेलू	२३	७	२	१	३३
अन्य	६	३	००	१	१०
योग	७४	२४	७	५	११०

सरिणी संख्या ६.२ से ज्ञात होता है कि अधिकतर बाल श्रमिक कार्य को वरीयता इसलिये देते हैं क्योंकि इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कुछ ने कार्य को इसलिये वरीयता दी क्योंकि वे इससे कुशल श्रमिक बनते हैं और दूसरों पर आश्रित न रहकर स्वावलंबी बन जाते हैं । कुछ बाल श्रमिक कार्य को इसलिये भी महत्व देते हैं कि वे कमाउ होने के कारण समाज में सम्मान पाते हैं । सारिणी संख्या ६.३ से स्पष्ट है कि बहुत से बाल श्रमिकों ने कार्य के स्थान पर शिक्षा को प्राथमिकता दी । उनका कहना है कि शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है हम स्वस्थ्य रहना सीखते हैं तथा समाज में सम्मान पाते हैं । कुछ बाल श्रमिकों ने शिक्षा को इसलिये भी महत्व दिया क्योंकि इससे वे कुशल नागरिक बनते हैं।

बाल श्रम उन्मूलन :-

बाल श्रमिकों के उन्मूलन की बात जब उठती है तो एक बात कही जाती हैं कि यदि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारनी ही है तो बाल श्रमिकों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें अपना रोजगार खोजने का अवसर देना चाहिए। जहाँ एक ओर स्वयं रोजगार की बात की जाती हैं। तो वही दूसरी ओर व्यापार के मार्ग में आने वाली बाधाओं की ओर भी कुछ व्यक्ति ध्यान आकर्षित करते हैं । ये बाधाये वास्तविक होती है और उनके समक्ष स्वयं रोजगार की कल्पना का महल टकराकर चकनाचूर हो जाता है।

बाल श्रम उन्मूलन बनाम कार्य की दशाओं में सुधार :-

अल्प आयु में ही बच्चे के कार्य पर लग जाने के परिणामस्वरुप अनेक बुराईयां उत्पन्न हो जाती है। इससे बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसके जीवन मे शिक्षा का मूल्य समाप्त हो जाता है। वह शिक्षा की उपयोगिता न तो वर्तमान के लिये और न ही भविष्य के लिये समझता है।

बच्चों के कार्य पर लग जाने के कारण एक ओर तो वयस्क श्रमिक को बेरोजगार रहना पड़ता है। दूसरी ओर बालक जिनकी आयु पढने लिखने व खेलने की होती है के रोजगार में लग जाने के कारण पुष्ट सन्तति का ह्रास होता हैं। उनका शारीरिक व मानसिक विकास सही ढंग से नही हो पाता। अपराध भावना की वृद्धि होती है। तथा नाना प्रकार की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक समस्याये उत्पन्न होती है। इन सब परेशानियों व कठनाईयों के रहते हुए भी बाल श्रम को समाप्त कर दिया जाये अथवा बाल श्रम को बनाये रखकर उसकी कार्य की दशाओं अर्थात् नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सुविधाये जैसे बिजली,पानी,हवा,कार्यस्थल की व्यवहारिक समस्या, वेतन कार्य के घण्टे, अवकाश, मध्यावकाश, छुट्टियॉं, कपड़े ,भोजन आदि में सुधार किया जाये। इस संबंध में बाल श्रमिकों के विचार निम्न सारिणी संख्या ६.४ में संकलित हैं।

सारिणी संख्या ६.४

बाल श्रमिकों के बाल श्रम उन्मूलन के सम्बन्ध में विचार					
विवरण	बाल श्रम उन्मूलन	कार्य की दशाओं में सुधार	सुधार नहीं	तटस्थ	योग
परम्परागत	४	५	००	२	११
ढाबा/जलपान गृह	१५	१०	००	२	२७
दुकानें	१८	१०	००	१	२६
घरेलू	१६	१३	००	१	३३
अन्य	६	३	००	१	१०
योग	६२	४१	००	७	११०

सारिणी संख्या ६.४ में ११० बाल श्रमिकों में से आधे से अधिक ६४ बाल श्रमिक ही बाल श्रम के दुष्परिणाम से परिचित हैं और चाहते हैं कि यदि किसी प्रकार बाल श्रम का उन्मूलन हो जाये तो उनका जीवन सुधर सकता है। ये बाल श्रमिक कष्टकारक,दुखी एवं यातनापूर्ण जीवन बिता रहे हैं तथापि जब ये अन्य बच्चों को खिलखिलाते हुए स्कूल वर्दी में बस्ते लिये स्कूल जाते हुए देखते है तो अन्दर ही अन्दर रो पड़ते हैं। परन्तु जब वे अपने परिवार की निर्धनता की ओर देखते हैं तो उन्हें सब कुछ सपना सा लगता है। इसलिये मन से बाल श्रम उन्मूलन चाहते हुए भी ५७.३ प्रतिशत बाल श्रमिकों ने बाल श्रम उन्मूलन का समर्थन किया। ५.४ प्रतिशत बाल श्रमिकों ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नही दिया व उदासीन व तटस्थ रहे। कुछ कम बाल श्रमिकों ने बाल श्रम की अपरिहार्यता समझकर बाल श्रम उन्मूलन का विरोध किया। इनमें से अधिकांश ४२ प्रतिशत ने बाल श्रम को बनाये रखने की तो वकालत की परन्तु इस बात पर जोर दिया की वर्तमान कार्य की दशायें असन्तोषजनक हैं अतः उनमें सुधार करना अपेक्षित एवं उपयुक्त रहेगा। कुछ बाल श्रमिक बाल श्रम की आवयकता अनुभव करते हैं व यह भी अनुभव करते हैं कि कितनी भी चीख पुकार क्यों न की जाये उनके कार्य की दशाओं में सुधार नहीं हो सकता है।

साक्षात्कार के मध्य विस्तार से उनसे यह पूछा गया तो उनका कहना था कि जब काम करना ही है तो दशाओं की ओर क्या देखना उनकी नियति शोषित होना है अतः वे शोषित होंगे इनमें से एक चौथाई वास्तव में कार्य की दशाओं से सन्तुष्ट थे। व्यवसायों की दृष्टिकोण से सबसे अधिक दुकानों के ५६ प्रतिशत बाल श्रमिक बाल श्रम का उन्मूलन चाहते हैं। शायद इसका कारण उनकी कार्य की प्रकृति हैं जबकि सबसे कम परम्परागत उद्योग के ३.६ प्रतिशत बाल श्रमिक बाल श्रम उन्मूलन चाहते हैं। इसका कारण शायद उनके नियोक्ता वर्ग से मिलने वाली सुविधाये हैं। बाल श्रम

का उन्मूलन न करके उसकी कार्य की दशाओं को सुधारा जाये इस बात की सबसे जोरदार वकालत परम्परागत उद्योग ४५ प्रतिशत के बाल श्रमिकों ने की है। उनका यह कहना है कि बाल श्रम पूर्णतः समाप्त न करके उनको दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार किया जाये तो उससे बाल श्रमिकों के ऊपर टिके घर की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ होगी। कार्य की दशाओं में सुधार को ६ प्रतिशत अंक ढाबा व जलपानगृह में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को मिले हैं। वे बाल श्रमिक जो यह समझते है कि हमारी कार्य की दशाओं में सुधार सम्भव नहीं है। सरकार व स्वयं सेवी कितना भी शोर मचाये, नियोक्ता वर्ग व बाल श्रमिकों के कानूनों को लागू करने वाले गिरोह के लोगों की मिली भगत से ये यह कानून सही ढंग से लागू नही हो पाते है। तथा इनमें सुधार भी सम्भव नहीं है । इस सम्बन्ध में दुकान व ढाबा-जलपानगृह पर कार्यरत बाल श्रमिक तो पूर्ण रुप से यह मानते है कि कार्य की दशाओं में सुधार सम्भव ही नही है। ११० में से ५.४ प्रतिशत बाल श्रमिक इस सम्बन्ध में तटस्थ ही रहे।

बाल श्रम को कानूनी रुप से समाप्त करने के परिणाम पर नियोक्ताओं के विचार :-

मानवधिकारों एवम् सामाजिक न्याय प्रतिपादकों,समाजसुधारकों ,राजनीतिज्ञों इत्यादि के द्वारा यह मांग की जाती है कि बाल श्रम के इतने अधिक दुष्परिणाम है कि बाल श्रम का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाये। परन्तु यदि बाल श्रम का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया जाये तो इसके परिणाम पूर्णतः अच्छे भी नहीं होगे। बाल श्रम उन्मूलन से नियोक्ता एवं बाल श्रमिक ही अधिक प्रभावित होते हैं। अतः सर्वप्रथम नियोक्ताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि यदि बाल श्रम का कानूनी रुप से उन्मूलन कर दिया जाये तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। यह सारिणी संख्या ६.५ में प्रस्तुत है।

सारिणी संख्या ६.५

बाल श्रम को कानूनी रूप से समाप्त करने पर नियोक्ताओं के विचार							
उद्योग/ परिणाम	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
निर्धनता में वृद्धि	२	८	५	१०	२	२७	२४.५
बेरोजगारी	३	१०	१२	११	३	३९	३५.४
कम उत्पादन	१	२	००	००	१	४	३.६
अपराध में वृद्धि	३	५	८	५	१	२२	२०.०
समाज पर बोझ	२	२	४	७	३	१८	१६.५
योग	११	२७	२९	३३	१०	११०	१००

२४.५ प्रतिशत नियोक्ताओं का यह कथन है कि यदि बाल श्रम को कानूनी रुप से समाप्त कर दिया जाये तो हटाये गये बाल श्रमिकों की निर्धनता मे वृद्धि हो जायेगी। या तो सरकार कोई ऐसी कारगर व्यवस्था करे कि कार्य से हटाये गये बाल श्रमिकों को मुआवजे के रुप में कम से कम इतनी राशि अवश्य दे कि इनके ऊपर घर की अर्थव्यवस्था सुचारु रुप से चल सकें। एक तिहाई से अधिक ३५.४ प्रतिशत नियोक्ताओं का मानना है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। २० प्रतिशत नियोक्ताओं का कथन अत्यन्त समीचीन लगता है कि इससे अपराध में वृद्धि होगी। बाल श्रम को प्रतिबन्धित कर दिया जाये और उनके पुर्नवास की कोई व्यवस्था न हो तब पैसे के लालच में बाल श्रमिक समाज के अपराधी वर्ग के हाथों का खिलौना बन जायेंगे तथा अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पैसों की चाह में इनका अपराधीकरण प्रारम्भ हो जायेगा। अनेक कार्य इस प्रकार के होते हैं जिनको बालक वयस्कों के मुकाबले शारीरिक कोमलता लचकता तथा बाल समझ के कारण अधिक सरलता से कर लेते हैं इसलिये यदि बाल श्रम को प्रतिबन्धित किया गया तो इससे राष्ट्र को ही भुगतना पड़ेगा। ४.५ प्रतिशत नियोक्ताओं का भी यही कथन है। जो कार्य एक बाल मजदूर करता है। जिसको कि कम वेतन दिया जाता है उसी कार्य को यदि वयस्क श्रमिक जिसको बालक के मुकाबले ज्यादा परिश्रमिक देना पड़ता है से करवाया जाता है तो इससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। जिसका तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि वस्तुओं के बाजार में वस्तुये मंहगी हो जाती है जिसका बोझ समाज के निम्न व पिछड़े वर्गो को ही सहन करना पड़ता हैं निदर्शन में १६.३ प्रतिशत नियोक्ताओं का ऐसा ही मानना है।

बाल श्रम को कानूनी रुप से समाप्त करने के परिणाम पर बाल श्रमिक के विचार :-

बाल श्रम को कानूनी रुप से समाप्त करने का सबसे अधिक प्रभाव बाल श्रमिकों पर ही पड़ता हैं । यह सही है कि बाल श्रम अत्यन्त निन्दनीय है तथा इसके प्रभाव समाज व राष्ट्र के लिये दीर्घकाल में अत्यन्त घातक होते हैं। परन्तु जब तक हम उन कारणों को जिनसे एक देश का भविष्य बाल श्रमिक बनने को मजबूर होता है समाप्त नही करते हैं तब तक बाल श्रम को कानूनी रुप से प्रतिबन्धित करना हानिकारक ही होगा। इस संबंध में बाल श्रमिकों के विचार सारिणी संख्या ६.४ में प्रस्तुत हैं। सारिणी से स्पष्ट है कि ४.४० प्रतिशत बाल श्रमिकों का विचार है कि कार्य से मुक्त होने के पश्चात् बाल श्रमिको में हीनता की भावना बढ़ेगी क्योंकि बाल श्रमिक पहले से ही शोषण व गरीबी के शिकार है। अब यदि उन्हें नौकरी से हटा दिया जायेगा या बाल श्रम को प्रतिबन्धित कर दिया जाये तो वे हीनता की और अधिक शिकार हो जायेंगे। बाल श्रम को कानूनी रूप से समाप्त करने पर बाल श्रमिकों के विचार एकत्रित किये गये जो सारिणी संख्या ६.६ में अंकित हैं ।

सारिणी संख्या ६.६

बाल श्रम को कानूनी रूप से समाप्त करने पर बाल श्रमिकों के विचार							
उद्योग/ परिणाम	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
अपराध वृद्धि	५	१०	६	७	३	३१	२८.२
जीवन स्तर में गिरावट	३	३	७	५	१	१९	१७.३
छोटे भाई बहिनों की शिक्षा में कमी	२	६	५	६	२	२१	१९.१
बेरोजगारी	१	६	९	१३	३	३२	२९.१
हीन भावना में वृद्धि	००	२	२	२	१	७	६.३
योग	११	२७	२९	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ६.६ से स्पष्ट है कि २८.२ प्रतिशत बाल श्रमिकों ने बताया कि यदि बाल श्रम को कानूनी रुप से समाप्त कर दिया जाये तो इससे आवारागर्दी व अपराधवृद्धि में बढ़ोत्तरी होगी। हाल में हुए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि बम्बई में कार्यरत बच्चों मे से ८० प्रतिशत बच्चे नशे व चोरी की आदतों का शिकार हो गये है। जब यह परिस्थिति कार्यरत बच्चो की है तो जब ये कार्यरत बच्चे एकदम अकार्यरत कर दिये जायेगे तो कार्य पर लगे रहने के कारण इनकी जो आवश्यकतायें बढ़ गयी थी। अब वे पूरी न हो पाने के कारण इनकी प्रवृत्ति अपराध की ओर उन्मुख हो जायेगी ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। १७.३ प्रतिशत बाल श्रमिको का कहना है कि इससे जीवन स्तर में गिरावट आयेगी। यह बात सही भी है। जो आय बाल श्रमिक अर्जित करते थे वह आय तो अब समाप्त हो जायेगी। जिसका परिणाम जीवन स्तर में गिरावट ही होगा। २९.१ प्रतिशत बाल श्रमिकोका कथन है कि बाल श्रम को समाप्त करने से बेरोजगारी बढ़ेगी। जो बाल श्रमिक अब तक कार्य कर आय अर्जित करते थे वे अब बेरोजगार हो जायेगे सरकार को चाहिए कि हटाये गये बाल श्रमिको के लिए पुर्नवास की उचित योजनाये चलाये १९.१ प्रतिशत बाल श्रमिक कहते है कि यदि बाल श्रम को प्रतिबन्धित किया गया तो जो बाल श्रमिक अपनी आमदनी से अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते थे उनकी पढाई अब आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही लटक कर रह जायेगी जिसका परिणाम यह होगा कि वे भी हमारी ही श्रेणी में आ जायेगे।

बाल श्रमिकों का पुर्नवास :-

सभी श्रम उन्मूलन की वकालत करते है। विगत कुछ वर्षो से भारत मे भी बड़े जोरदार ढंग से ये मांग की जा रही है कि बाल श्रम उन्मूलन कर दिया जाये व ऐसे अधिनियम पारित किये जाये जिससे बच्चो को कार्य पर विशेषकर अस्वास्थकर एवं खतरनाक कार्य पर नियुक्त ना किया जा सके।

विभिन्न राजकीय सरकारें इस संबंध में अधिनियम भी बना चुकी हैं। बाल श्रम चतुर्थपक्षीय प्रत्यय है। जिसमें प्रथम पक्ष श्रम करने वाला एवं बालक द्वितीय पक्ष उसके संरक्षक तृतीय पक्ष नियोक्ता व चतुर्थ पक्ष सरकार है। इसमें कम से कम दो पक्ष सरंक्षक एवं नियोक्ता किसी भी दशा में बाल श्रम उन्मूलन नही करना चाहते हैं। दूसरी ओर निर्धनता की बात कहते हैं। वे बच्चों को धनोपार्जन करने वाला एक यन्त्र मानते हैं। उनमें ममत्व ,करुणा व प्रेम वेतन मिलने वाले दिन ही विशेष रुप से परिलक्षित होता है। वे राज्य द्वारा प्रतिबन्धित अनेक विधानों व उत्तरदायित्वों को किंचित मात्र भी नहीं निभाते हैं। नियोक्ता पक्ष भी बाल श्रम उन्मूलन के पक्ष में नहीं है। वे अनेक क्रियाओं में बच्चों को वयस्क श्रमिकों की तुलना में अधिक उपयुक्त व लाभकारी मानते हैं। धन व प्रभाव के आधार पर वे किसी भी अधिनियम को अपने कार्य पर लागू नहीं करते हैं। राज्य द्वारा नियुक्त निरीक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं राज्य भी केवल अधिनियमों को पारित कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं व वे उनके क्रियान्वयन के संबंध में अधिक चिन्तित नही होते हैं। विगत कुछ समय से समाचार पत्रों, गोष्ठियों आदि में ये मांग की जा रही है कि बाल श्रम का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाये अथवा अत्यधिक प्रतिबन्धित कर दिया जाये। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसी बात का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके साथ ही एक प्रश्न उठता है कि यदि बाल श्रम का उन्मूलन कर दिया जाये तो इन बाल श्रमिकोंका पुनर्वास किस प्रकार होगा?

पुनर्वास से हमारा तात्पर्य वर्तमान सन्दर्भ मे यह है कि यदि बाल श्रमिकों को कार्य पर न भेजा जाये तो क्या उनको विद्यालय भेजा जाये अथवा उन्हें कहाँ पर लगाया जाये? भारत जैसे देश मे जहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हैं और उससे भी अधिक तेजी से बढ़ रही है निर्धनता व भूखमरी। औपचारिक शिक्षा बेमानी होती जा रही है। वह न तो रोजगारपरक है ना ही जीवन की

समस्याओं से सम्बन्धित। ऐसी दशा में श्रमिक परिवार से सम्बन्धित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाये वह अपने आप में गम्भीर समस्या है।

बाल श्रमिक जैसा कि पिछले अध्यायों में देखा गया १६ वर्ष से कम आयु का ही होता है। सर्वेक्षण में सबसे अधिक १० वर्ष से १४ वर्ष तक के बीच ही अधिकतम थे। इन बच्चों से यदि रोजगार से हटाया जाये तो मुख्य रुप से एक ही विकल्प रह जायेगा कि उन्हें शिक्षित किया जाये। चाहे यह शिक्षा औपचारिक हो अथवा तकनीकी। स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही राजनीतिज्ञों ने समस्त भारतीयों को शिक्षित करने का लक्ष्य सबके सामने रखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद १६५१ से १६८१ तक देश में निरक्षरों की संख्या ३० करोड़ से बढकर ४४ करोड़ हो गयी है। आज स्वतन्त्रता के ५३ वर्ष पश्चात् भी देश के कर्णधार उस लक्ष्य की आधी दूरी तक भी नहीं पहुँच पाये हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी १२० हो गई है। विद्यालय व महाविद्यालय खुलते गये। रंगबिरंगी पोशाकों में स्कूल जाते हुए बच्चों की संख्या में आशतीत वृद्धि हुई है। स्त्री शिक्षा में संख्यात्मक व गुणात्मक वृद्धि ज्यामिती की दर से हुई परन्तु जिस वर्ग में पहले अशिक्षा थी वहाँ आज भी अज्ञान का अन्धकार विद्यमान है। श्रमिक का बच्चा पहले भी शिक्षा प्राप्त नही कर पाता था । वह आज भी रोजी रोटी के चक्कर में संलग्न है। जबकि शिक्षा उसके लिये आवश्यक है व यह माँग भी उचित है कि उसे कार्य से हटाकर शिक्षा के जगत में उसका पुर्नवास किया जाये। परन्तु इस मार्ग में बहुत सी कठनाईयां है।

आज भारत की जनसंख्या अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रही है। १६५१ में भारत की जनसंख्या ३५ करोड़ थी परन्तु सन् २००४ के अंत तक एक अरब से अधिक हो जायेगी। जनसंख्या की इस तीव्र गति के कारण हम विकास के पथ पर एक पग चलते हैं। तो विनाश के पथ पर दो पग चले

जाते हैं। जब तक जनंसख्या नियंत्रण नहीं होती तब तक बाल श्रमिकों की पुर्नवास संबन्धी समस्यायें सही ढंग से नही सुलझाई जा सकती हैं।

आज भारतीय शिक्षा की सार्थकहीनता सर्वविदित है बाल श्रमिकों को यदि कार्य से हटा कर या कार्य के साथ ही शिक्षा दी जाये, तो इसकी सार्थकहीनता के कारण कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि आज रोजगार के अवसरों की कमी व रोजगार चाहने वालों की बढती मांग के कारण इन कम ज्ञानी बाल श्रमिकों को सही रोजगार मिल पायेगा यह सन्देहास्पद है।

आज की शिक्षा अत्यन्त मंहगी हो गयी है। यद्यपि अनेक राज्यों में बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। तथापि बच्चों को शिक्षा की ओर उन्मुख करने के लिये यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नही हुई है। शिक्षा की व्यवस्था कागजों में जितनी आकर्षित प्रतीत होती है। यथार्थ के धरातल पर उतनी ही खोखली है। ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों के पास ना तो उचित भवन है और ना अन्य सामग्री भी। बहुत से विद्यालयों में वर्ष के आधे महीने तो भवन की छत न: होने के कारण बच्चों को बैठने तक का स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। अध्यापकों का अभाव है व जो हैं भी उन्हें पढाने में रुचि नहीं है। शिक्षा से सम्बन्धित अन्य सामग्री बच्चों को प्राप्त नहीं होती है। दूसरी ओर अधिकांश माता पिता इन शिक्षा संस्थाओं को उपयोगी नहीं समझते।वे इसे बच्चों का शरणस्थल मानते हैं जहॉ बच्चा शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाता वरन् समय व्यतीत करने जाता है श्रमिक तो इन शिक्षण संस्थाओं को बच्चे को श्रम से विमुख करने वाली संस्था मानते है। आज भारत में शिक्षा अपनी उपादेयता खो चुकी है। जब वे सुनते है कि लाखों शिक्षित कार्य की तलाश में दूर दूर की ठोकरे खा रहे हैं तो वे शिक्षा संस्थाओं का उपहास उड़ाते हैं। समाज में राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं पब्लिक स्कूल विद्यमान हैं। इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में शिक्षा में बहुत अन्तर प्रतीत

होता है ।पब्लिक स्कूल के बच्चों की चमक दमक,खिलखिलाता चेहरा गिटपिट अंग्रेजी भाष-राजकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों में हीनता भर देती हैं। अच्छा रोजगार भी इन पब्लिक स्कूलों में शिक्षित विद्यार्थियों को ही मिलता हैं पब्लिक स्कूल में पढाना इन श्रमिकों के सामर्थ्य की बात नही होती है और राजकीय विद्यालय में पढाना इन्हें सारहीन लगता हैं ये मनः स्थिति उन संरक्षकों की है जो अपने अकार्यरत बच्चों को शिक्षा संस्थाओं में भेजना चाहते हैं। कार्यरत बच्चों के पुर्नवास के सम्बन्ध में स्थिति और भयावह है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं की उपादेयता के सम्बन्ध में सन्देह होने के साथ साथ अनेक व्यवहारिक समस्यांए भी है।

शिक्षण संस्थाओं का दूरस्थ होना भी बाल श्रमिको के पुर्नवास में एक बाधा है। शिक्षण संस्थायें दूर होने से बच्चों के माँ बाप विशेषकर छोटे बच्चों के माँ बाप उन्हें दूर के स्कूल में भेजने में हिचकिचाते है। सरकार ने वायदा किया है। ''सन् २००५ तक एक किलोमीटर के अन्दर एक प्राइमरी स्कूल व सन् २००८ तक तीन किलोमीटर के अन्दर प्राइमरी से ऊपर के स्कूल खोले जायेगे। यदि सरकार अपने प्रयास में सफल होती हैं । तो यह बात बाल श्रमिकों के पुर्नवास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी।

भारतीय शिक्षण संस्थायें राजनीति के अखाड़े बन गयी है।सस्ती लोकप्रियता व थोड़े सेलाभ के लिये ये राजनैतिक नेता शिक्षण संस्थाओं से खिलवाड़ करते है। जिसके दुष्प्रभावी परिणाम आज हमारे सामने है। हमारी राष्ट्रीय योजनाओं मे शिक्षा को सबसे कम प्राथमिकता दी गयी है। पचास के शुरु के दशक मे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जी०एन० पी का केवल १.२ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया गया था। जो कि १९८६-८७ में ४ प्रतिशत तक पहुँच गया। परन्तु यदि हमें बच्चों के लिये शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी है तो जी०एन०पी का कम से कम ६ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना

पड़ेगा। जिन बाल श्रमिकों को कार्य से हटाकर शिक्षा दिलवायी जाती हैं उन बाल श्रमिकों को सांमजस्य समबन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात् यदि बाल श्रमिक को १२ वर्ष की आयु में कार्य से हटाकर दूसरी या तीसरी कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाता हैं तो उस कक्षा के अन्य बच्चे आयु में छोटे होने के कारण इस बच्चे के साथ अजनबी व रुखा सा व्यवहार करते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि बाल श्रमिक कक्षा को छोड़ देता है जो कि उसके पुर्ववास सम्बन्धी कार्य में बाधा डालता है। अतः यदि सरकार को ईमानदारी से बाल श्रमिकों की पुर्नवास की चिन्ता है तो उनके लिये बिलकुल अलग स्कूल खोले जाने चाहिए।

बाल श्रमिकों के पुर्नवास की समस्या का उनके माता पिता या संरक्षक से गहरा संबंध है। प्रायः बाल श्रमिकों के माता पिता अथवा सरंक्षक लापरवाह होते हैं। इन बच्चों के माता पिता के दिल में बच्चों को ऊँचा उठाने के लिये सपने तो जरुर होते हैं परन्तु सपनों को साकार करने वाली इच्छा शक्ति का सर्वथा अभाव होता हैं। जिसके फलस्वरुप सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले पुनर्वास के कार्यो की सफलता पर सन्देह के बादल मंडराने लगते हैं।

बाल श्रमिक व उसके सरंक्षक चूकि गरीब ही होते हैं अतः जो पैसे बाल श्रमिक कमाता है। उनको तो वह प्रायः अपने सरंक्षकों को ही दे देता हैं। अतः न तो उसके स्वयं के पास और न ही उसके माता पिता के पास इतनी पूंजी होती हैं। कि वे बाल श्रमिक को कुछ पूंजी देकर कोई कार्य शुरु करवा सकें। किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के लिये विशेष रुप से स्वरोजगार के लिये तकनीकी ज्ञान की जानकारी जरुरी होती है। अतः वे स्वरोजगार आरम्भ करने से हिचकते हैं। बाल श्रमिकों को यदि हिम्मत व दिलासा दिलवा कर उन्हें स्वरोजगार के लिये प्रेरित भी किया जाये तो बाजार की आर्थिक पेचीदगियां इतनी अधिक होती हैं कि ये उनका सामना करने में अपने आपको

असमर्थ पाते हैं। कच्चे माल की समस्या सदैव बनी रहती है पुराने व्यवसायी कभी भी यह नहीं चाहते है कि नये व्यवसायी इस क्षेत्र में आयें। अतः वे प्रारम्भ मे नये व्यवसायी को हटाने के लिये अधिक कीमत देकर भी कच्चा माल खरीद लेते हैं। परन्तु नया व्यवसायी बाल श्रमिक जिसके पास पहले से ही पैसे की कमी होती है और अधिक कीमत देकर कच्चा माल नही खरीद पाता है। परिणाम यह होता है कि वे अपना व्यवसाय या तो शुरु ही नहीं करते और यदि शुरु भी कर देते हैं तो उनके व्यवसाय अपनी शैशवावस्था के प्रारम्भिक दिनों में ही परलोक सिधार जाते हैं। यदि वे किसी प्रकार इन सब कठनाईयों को झेलते हुए उत्पादन शुरु कर देते हैं। तो उनके सामने अब तैयार माल को बाजार में बेचने की समस्या होती है। प्रायः क्रेता उस माल के पैसे नकद नहीं देता है। जबकि बाल श्रमिकों को पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे क्रेताकोमाल उधार दे सके।

इस प्रकार हमने देखा है कि यदि बच्चों को स्वरोजगार में लगाना भी है तो यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित किया जाये। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों का पुर्नवास शिक्षा में ही करना अधिक उपयुक्त होगा। इसके लिये सान्ध्यकालीन विद्यालय,तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र,अनौपचारिक शिक्षण संस्थायें श्रमिक बच्चों को शिक्षित करने वाले विशेष अध्यापकों की नियुक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रेरक मार्ग अपनाना,अधिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना शिक्षा सामग्री को सस्ते मूल्य पर वितरित करना शिक्षा को रोजगार परक व सार्थक बनाना इत्यादि की व्यवस्था हो। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह हैकि बच्चों को रोजगार से हटाने से उनके परिवार को जो आर्थिक हानि हो उसकी क्षति पूर्ति करने का कोई उचित मार्ग अपनाया जाये और एक निश्चित आयु के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु शिक्षा संस्थाओं में न भेजने पर दण्ड की व्यवस्था की जाये। साथ

ही साथ उन नियोक्ताओं को भी दण्डित किया जाय जो बाल श्रमिकों को रोजगार देते हैं तभी बाल श्रमिकों की कोई योजना सफल हो पाएगी।

अध्याय-७

बाल श्रम एवं राज्य

"कानून वास्तव में सामान्य नियमों का वह निकाय है जिसका संबंध मनुष्य की बाह्य क्रियाओं से होता है तथा जिसे एक निश्चित सम्प्रभुत्व सम्पन्न राजनैतिक सत्ता द्वारा लागू किया जाता है। कानून शक्ति के व्यवस्थित प्रयोग के द्वारा सामाजिक निर्देशन का एक राजनैतिक साधन है कानून का निर्माण राज्य के समूह के सदस्यों को व्यवस्थित करने हेतु किया जाता है। चूंकि इनका निर्माण राज्य द्वारा होता है अतः इसे सभी नागरिकों पर समान रुप से लागू किया जाता है। कानून को लागू करने वाले अधिकारी जिन्हे दण्ड देने का भी अधिकार होता है। यह देखते है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कानून द्वारा परिभाषित व्यवहार करते हैं या नहीं। कानून का उल्लंघन करने पर राज्य की शक्ति से संबंधित संस्थाओं को दण्ड देने का अधिकार होता है। दण्ड के भय से समाज के सदस्य विपथगामी (डेवियेन्ट ब्हेवियर) नहीं होते हैं। मैलिनोवस्की के अनुसार" कानून का मौलिक कार्य व्यक्ति के स्वाभाविक उद्वेगों एवं मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव को कम करना तथा एक समाजीकृत एवं अनिवार्य व्यवहार को प्रोत्साहन देना है। कानून का कार्य व्यक्तियों के मध्य ऐसा सहयोग उत्पन्न करना हैं जिससे वे सामान्य लक्ष्यों के लिये अपने व्यक्तिगत हितो का बलिदान कर सके।"[१]

एक विशेष वर्ग तथा उससे संबंधित सदस्यों के हेतु निश्चित उद्देश्य के लिये पारित विधेयक अधिनियम का रुप ले लेता है। बाल श्रमिकों के कल्याण एवं उनके नियोक्ताओं के व्यवहार नियमन एवं नियन्त्रण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विविध-विधान निर्मित किये गये हैं। इन

---

१. मैलिनौवस्की वी०: क्राइम्स एण्ड कस्टम्स इन सेवेज सोसायटी पृ० ६४

अधिनियमों पर विचार करने से पूर्व बाल श्रमिक का अर्थ समझना अधिक उपयुक्त रहेगा ।

बाल श्रमिक की वैधानिक अवधारणा :-

भारतीय संविधान की धारा २२४ के अनुसार बाल श्रमिक वही है जो बालक किसी कारखाने में खान में तथा इससे संबंधित कार्यो में कार्य करता है। एवं इसकी आयु १४ साल से अधिक है।''१४ साल से नीचे के बालकों को बाल श्रमिक बनने की अनुमति भारतीय संविधान नही देता। बाल रोजगार अधिनियम १९३८ के अनुसार बाल श्रमिक वही बन सकता है, जो आयु के १५ वर्ष पूरे का चुका हो तथा १७ वर्ष से कम का हो अथवा १५-१७ वर्ष के बालक बाल श्रमिक के अन्तर्गत आयेंगे। कारखाना अधिनियम १९४८ के अनुसार बाल श्रमिक के अन्तर्गत वही श्रमिक आयेंगे जो १५ वर्ष से कम न हो तथा १८ वर्ष से अधिक न हो, अर्थात् १५-१८ वर्ष के अन्तर्गत आने वाले श्रमिक बाल श्रमिक के अन्तर्गत आयेंगे। बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम १९६६ के अनुसार बाल श्रमिक वे हैं जो १४ वर्ष से अधिक व १८ वर्ष से कम हो । खान अधिनियम १९५२ के अनुसार बाल श्रमिक १५ से १८ वर्ष के अर्न्तगत आते हैं।

उपरोक्त विवरणों से ज्ञात होता है कि बाल श्रमिकों की न्यूनतम आयु १२ से १८ वर्ष रखी गयी है। जिसमें मुख्य रुप से निम्नतम उम्र १४ वर्ष ही राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है अर्थात् १४ वर्ष से कम उम्र का बालक श्रमिक बनने का अधिकारी नही है एवं कानूनी रुप से कोई भी बाल श्रमिक नही बन सकता। किन्तु व्यवहार मे ऐसा नही है बहुत से ऐसे भी बाल श्रमिक है जिनकी उम्र ६ से १२ वर्ष के बीच की है।

<u>बाल श्रमिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन</u> :- बाल श्रमिकों की आयु निर्धारण हेतु [1] <u>सम्मेलन संख्या(५):</u> सम्मेलन में बाल श्रमिको की आयु विभिन्न प्रकार के कार्यो में निम्न प्रकार निश्चित की गयी है:- आर्टिकल न १ के अनुसार(१) खान (२) समान उत्पादन, (३) सफाई, (४) मरम्मत (५) सजावट (६)फिनिशिंग (७) बिक्री में (८)तोड़फोड़ में (९)जहाज बिल्डिंग (१०)परिवहन तथा (११) विद्युत आदि उद्योगो मेंबाल श्रमिको की आयुका निर्धारण सम्मेलन मेंआर्टिकल संख्या २ द्वारा निर्धारित किया गया। इसके अनुसार कोई भी राष्ट्र अथवा राज्य १४ वर्ष से नीचेके बच्चे से किसी भी सार्वजनिक संस्थान तथा उनकी शाखाओं में बाल श्रमिक के रुप में कार्य नही ले सकता।[2]

<u>**सम्मेलन संख्या ५९,१९३७ :-**</u> इस सम्मेलन के अनुसार सम्मेलन संख्या ५ के आर्टिकल संख्या नं० २ को संशोधित करके कम से कम उम्र १४ से बढ़ाकर १५ वर्ष कर गयी । इसके अनुसार बाल श्रमिक वही कार्य कर सकते हैं जहाँ उनके जीवन केलिये तथा नैतिकता के लिये खतरा न हो। यह सम्मेलन कहता है कि राष्ट्रीय नियम तथा कानून उन्ही बच्चों को कार्य करने की अनुमति दे जो नियोक्ता अथवा श्रमिक से सबंधित परिवार का हो।

<u>**आर्टिकल सं० ४ :-**</u> सम्मेलन नं० ५ कहता हैकि प्रत्येक नियोक्ता एक ऐसा रजिस्टर रखे जिसमे १८ वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का पूर्ण विवरण हो तथा जन्मतिथि अवश्य अंकित हो।[3]

---

१. सम्मेलन न० ५ सन् १९३७ मैं छुआ जिसे सम्मेलन ५९ के द्वारा संशोधित कर दिया गया हैं।नई दिल्ली।

२. नेशनल सेमिनार आफ इम्प्लायमेण्ट आफ चिल्ड्रेन इन इण्डिया,अगस्त १९७७ आई०ए० जी० नागराज, पृ० सं २३७

३. नेशनल सेमिनार आफ इम्प्लायमेण्ट आफ चिल्ड्रेन इन इण्डिया,अगस्त १९७७ आई०ए० जी० नागराज, पृ० सं २३७

सम्मेलन नं ७ १६२०:- इस सम्मेलन में समुद्र अथवा सागर से सबंधित कार्यो को करने के लिये बाल श्रमिकों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। इसके अन्र्तगत जहाज,नाव तथा विभिन्न प्रकार के नेवी सें संबंधित कार्यो में केवल जहाजी युद्ध को छोड़कर बाल श्रमिकों की न्यूनतम आयु १५ वर्ष निर्धारित की गयी है। सम्मेलन कहता है कि इसके लिये राष्ट्रीय कानून के अन्र्तगत किसी मान्य अधिकारी से आयु का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है, यह आयु १५ वर्ष से नीचे नही होनी चाहिए।

आर्टिकल सं० ७ :- सम्मेलन सं०७ उन्हीं राष्ट्र सदस्यों पर लागू होगा जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रुप में महानिदेशक के आफिस में पंजीकृत हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं यूनीसेफ की पहल :-

सरकारी प्रयासों के अनुपूरक कार्यक्रमों के रुप में सन् १६६२ में राष्ट्रीय स्तर पर इन्टरनेशनल प्रोग्राम आन द इलिमिनेशन आफ चाइल्ड लेबरः (आईपेक) तथा चाइल्ड लेबर एकश्न स्पोर्ट प्रोग्राम (कलास्प) नामक ये दो समानांतर कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषक अभिकरणों के माध्यम से चलाए गए। इन कार्यक्रमों से सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरणों की क्षमताओं में वृद्धि और उनके कार्यकर्ताओं कें मानव संसाधनों का विकास अभिप्रेत हैं। इन कार्यक्रमो का कार्यान्वयन केन्द्रीय श्रम सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के पूर्ण मार्गदर्शन और पर्येवेक्षण के अधीन जाता है।

इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन दि इलिमिनेश्न आफ चाइल्ड लेबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक विश्वव्यापी परियोजना है। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य बाल श्रम को कारगर तरीके से समाप्त करना है।

इस परियोजना का सबसे व्यापक और सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन भी भारत में ही किया जा रहा है। ऑइपेक की विभिन्न कार्य योजनाओ के माध्यम से भारत के लगभग ८१,००० श्रमिक लाभन्वित हुए है।

चाइल्ड लेबर एक्शन स्पोर्ट प्रोग्राम (कलास्प) जर्मनी सरकार के वित्तीय सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावाधान में भारत में चलाया जा रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम कार्यक्रमो का कार्यान्वयन कर रहे अभिकारणों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना था। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यकलापों को सहायंतार्थ किया गया।

सम्मेलन ६० १६३७ में संशोधित :- इस सम्मेलन में गैर औद्योगिक नौकरी के लिये बच्चो की आयु पर विचार हुआ।

उपबन्ध-१ :- यह कन्वेशन कृषि कार्यो में बच्चों की नौकरी के प्रवेश की आयु पर विचार करने के लिये हुआ तथा इसमें पिछले सम्मेलन में निर्धारित न्यून्तम आयु को ही समर्थित किया गया। जेनवा सम्मेलन १६२१ इसको १६३५ में तथा औद्योगिक कार्यो के लिये न्यूनतम आयु को १६३७ में संशोधित किया गया।

उपबन्ध-२ :- १५ वर्ष से कम आयु के बच्चों अथवा किसी देश में यदि प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले १५ वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए पढ़ना अनिवार्य है तो उनको किसी भी व्यवसाय मे नौकरी नहीं दी जा सकती ।

उपबन्ध-३ :- १३ वर्ष से कम आयु के बच्चो को बाहर कार्य पर इसी शर्त पर रखा जा सकता है यदि इससे उनकी स्कूल की उपस्थिति प्रभावित नही होती हो तथा जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये बाधक न हो।

उपबन्ध ४ :- कला विज्ञान या शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्रीय विधि विधान उपबन्ध २ व ३ में कुछ छूट दे सकते हैं जिससे सार्वजनिक मनोविनोद हेतु निर्मित सिनेमा फिल्म मे अभिनेता अथवा अतिरिक्त व्यक्ति के रुप में बच्चे कार्य कर सकते हैं।

उपबन्ध ५ :- सर्कस के बारे में या अन्य प्रदर्शन खतरनाक होते हुए भी बच्चों को नियुक्त कर सकते है परन्तु बच्चों के शारीरिक एवं नैतिक विकास तथा शिक्षा की निरतन्रता को सुरक्षित रखने हेतु अलग व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

उपबन्ध ६ :- इस सम्मेलन के उपबन्ध २ के अन्तर्गत निर्धारित आयु से अधिक आयु राष्ट्रीय विधि एवं अधिनियम निर्धारित कर सकते है। जिसके अन्तर्गत बच्चे या तरुण जनसाधारण की पहुँच तक स्थिति बाजारों की दुकानों पर दुकान के बाहर लगे स्टाल अथवा उन कार्यो में जहाँ अधिक आयु की आवश्यकता हो कार्य कर सकेंगे।

उपबन्ध ७ :- इस सभा के उपबन्धों को उचित क्रियान्वित एवं अनुपालन हेतु राष्ट्रीय विधि अधिनियम सार्वजनिक निरीक्षण एवं जॉच की व्यवस्था करेगे।

उपबन्ध ८ :- उपबन्ध २,३,४,५,६,७ भारत पर लागू नहीं होंगे भारत के संबंध में उन समस्त क्षेत्रों में जो भारतीय ससंद के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नियम उपनियम लागू होते हैं।

रेस्ट्रां :- सार्वजनिक मनोरंजन स्थल अथवा किसी अन्य गैर औद्योगिक व्यवसाय मे जिस पर कोई सक्षम अधिकारी लागू कर दे रोजगार दिया जा सकता है।

श्रम से सम्बन्धित नियम विधान:

पूर्व विवरण एंव विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि बाल श्रमिकों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रुप से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की गयी है। १९४७ में लेबर फोरम द्वारा आयोजित प्लानिंग फार लेबर के अन्तर्गत आइ०एल०ओ० द्वारा प्रस्तावित लेख बाल श्रमिकों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो डा० (मिस) काट्युन एच कामा द्वारा लिखा गया। उसके अनुसार-

"भारत में बाल श्रम अनेक जटिल एवं दुरुह स्वरुप धारण किये हुए हैं अतः हमे प्रारम्भ मे ही इसे अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि हमारा तात्पर्य केवल उद्योगों में कार्यरत बच्चों से ही नही वरन् उन सभी प्रकार के गैर औद्योगिक व्यवसाय तथा शारीरिक एवं मानसिक रुप से खतरनाक व्यापार एवं व्यवसायों में कार्यरत बच्चों से भी है जिन्हें प्रभावी कानून संरक्षण प्राप्त नही है। एच कामा के अनुसार १९४७ के पूर्व तक भारत में बाल श्रमिकों के लिये बने नियमों व अधिनियमों का व्यवहार में किसी भी क्षेत्रा में प्रयोग नही होता रहा" प्रत्येक क्षेत्र में बाल श्रमिक अनियमित रुप से श्रम करते हैं।सन् १९४६ में बनी विहटले आयोग "द लेबर इन्वेस्टिगेशन कमीशन" ने भी भारतीय बाल श्रमिकों के बारे में अपनी राय दी हैजो निम्न है:-

"वास्तव में यह विश्वास करने के कारण हैकि शारीरिक दण्ड एवं अन्य प्रकार के दमनात्मक दण्ड अपरिपक्व बच्चों को दिये जाते हैं। इन कार्य स्थलों में कभी कभी ५ वर्ष तक के बच्चे को भय के वातावरण में बिना भोजन के,माध्यान्तर अथवा साप्ताहिक अवकाश के प्रतिदिन २ आने की मजदूरी प्राप्त करने हेतु १० या १२ घंटे काम करने हेतु देखा जा सकता है"।

विहटले कमीशन के अनुसार भी यही ज्ञात होता है कि बाल श्रमिकों का शोषण १६४६-४७ के पहले भी बहुत होता रहा है। तथा किसी भी नियम कानून का पालन नही किया जाता रहा है। इन्साईक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज के अनुसार बाल श्रमिकों अथवा बालकों के शोषण की शुरुआत मुख्य रुप से कब हुई इसके बारे में निम्नप्रतिवेदन से ज्ञात होता है-

''देश के नेताओं द्वारा निर्मित सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के अनुसार बाल श्रमिक संबंधी कानूनी निर्माण करना स्वभाविक है। परन्तु अधिकतम यह किया जा सका कि रोजगार से बालक के विकास एवं स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े तथा देश में औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त उनमें उत्पन्न दुर्गण दिखाई न दे सके। लंकाशायर में स्थापित सूती मिलों में अठहारवीं शताब्दी में लन्दन या अन्य नगरों से आये बच्चे काम करते थे जिन्हें गन्दें एवं भीडभाड़ वाले शयनकक्षों में रहना पड़ता था तथा अनेक यन्त्रणाओं से गुजरना पड़ता था, वास्तव में बचपन इतिहास का सर्वाधिक अन्धकार युग है। इन्साइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज से ज्ञात होता है। कि बाल श्रमिक की औद्योगिक श्रमिक के रुप मे आरम्भ इंगलैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरुप हुआ और यही से बचपन का अन्धकार युग आरम्भ हुआ जो आज सम्पूर्ण विश्व के साथ भारत में भी व्याप्त है। भारत ने अपने यहाँ बाल श्रमिकों के लिये अपने आर्थिक एवं सामाजिक सीमाओं के आधार पर उनकी स्थितियों से सामना करने के लिये समय समय पर नियम कानून तथा अधिनियम बनाये।

कानून बनाम् बाल श्रमिक :-

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १६८६ बाल श्रम पर गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में हुए विचार विमर्श तथा सिफारिशों का समन्वित परिणाम है। इन समितियों मे से

राष्ट्रीय श्रम आयोग (१९६६-६९) बाल श्रम पर गुरुपदस्वामी समिति (१९७९) एवं सनत मेहता समिति १९८४ विशेष उल्लेखनीय है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ जोखिम्पूर्ण प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों में बालकों के प्रवेश पर रोक लगाता है और गैर जोखिमपूर्ण प्रकियाओं एवं व्यवसायों में बालकों के नियोजन की दशाओं को विनियमित करता है। यह अधिनियम :

(१) विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओ तथा व्यवसायों में उन बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। जिन्होने अपनी आयु का चौदहवा वर्ष पूरा नहीं किया है।

(२) प्रतिबन्धित प्रक्रियाओं और व्यवसायों की अनुसूची मे अन्य प्रक्रियाओं और व्यवसायों को जोड़ने की पद्धति निर्धारित करता है।

(३) जिन व्यवसायों में बालकों के काम करने पर प्रतिबंध नही है। उनमें काम करने की दशाओं और स्थितियों को विनियमित करता है।

(४) बाल श्रम अधिनियम तथा ऐसे अधिनियमों जिनमें बालको को काम पर लगाया जाना वर्जित हैं,के उपबंधों का उल्लंघन कर उन्हें काम पर लगाए जाने के लिये दंड निर्धारित करता है।

(५) संबधित नियमों में बालक शब्द की परिभाषा में एकरुपता लाता है।

---

१. अक्टूबर व नवम्बर १९४७ को आयोजित आई० आई ० ओ० की एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर लेबर फोरम द्वारा प्रस्तुत पुस्तक प्लानिंग फार लेबर पृष्ठ -२६८

<u>अधिनियम में निम्न संशोधन सुझाए गए है :-</u>

(१) जोखिमपूर्ण व्यवसाय की परिभाषा

(२) बाल श्रमिक के बदले वयस्क को रोजगार

(३) माता पिता संरक्षक की जिम्मेदारी

(४) बाल श्रमिकों के नियोजकों के विरुद्ध ट्रेड यूनियनों एवं पंचायतों का कार्यवाही करने का अधिकार।

(५) बाल श्रम पुर्नवास एवं कल्याण निधि की स्थापना।

(६) कल्याण निधि का इस्तेमाल।

(७) कल्याण निधि को जारी करने के लिये आवेदन।

(८) कल्याण आयुक्तों के निर्देशो से अपील: हमारे देश में वर्तमान में विशेष रुप से कानूनी सरंक्षण एवं अधिनियम १३ हैं जो बाल श्रमिकों के मौलिक अधिकार एवं सुरक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिये व्यवहारिक रुप में लाये जा रहे हैं। जो निम्न है:-

(१) कारखाना अधिनियम, १९४८

(२) खान अधिनियम,१९५२

(३) बागवानी श्रमिक अधिनियम,१९५१

(४) द मर्चेन्ट शिपिग अधिनियम,१९५८

(५) द चिल्ड्रैन(प्लीडिग आफ लेबर एक्ट) १९३३

(६) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, १९६१

(७) बाल रोजगार अधिनियिम,१९३८

(८) अपरेन्टिस अधिनियम,१९६१

(९) बीड़ी एवं सिगार अधिनियम, १९६६

(१०) कान्ट्रैक्ट श्रमिक अधिनियम, १९७०

(११) दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम

कुछ अन्य अधिनियम है तथा साथ ही साथ राज्यों में भी कुछ अधिनियम है जैसे द मिनिमम वेजेज एक्ट १९४८।

(१) कारखाना अधिनियम १९४८ :- इस अधिनियम के अन्तर्गत वे बच्चे है जो १५ वर्ष पूरे न किये हो तथा किशोर वे है जो १५ वर्ष से अधिक तथा १८ वर्ष से कम हो। इस अधिनियम के अनुसार एक कम उम्र का व्यक्ति अथवा बाल श्रमिक है जो बच्चा हो या किशोर हो। इस अधिनियम के अनुसार कारखाना वह है जहाँ १० या अधिक श्रमिक कार्य करते हों अथवा कार्यवाही से पूर्ण किसी भी दिन कार्य कर चुके तथा शक्ति से चालित हों।जहाँ २० या अधिक श्रमिक कार्य करते हों अथवा कार्यवाही से पूर्व १२ माह के अन्दर किसी एक दिन भी कार्य कर चुके हों तथा जहाँ उत्पादन क्रिया बिना शक्ति के चलती हो या चल रही हो।

राष्ट्रीय श्रम आयोग,१९६९ के अनुसार :- पिछले २० वर्षो में कारखानोंमे काम करने वाले बच्चों की संख्या काफी कम हो गयी है।

बाम्बे के बाल श्रमिकों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि कारखाना अधिनियम ४८ के बावजूद भी अधिकतर बाल श्रमिक एवं नियोक्ता अधिनियम के अनुसार काम नही कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम के क्रियान्वयन ने बाल श्रमिकों को भूमिगत कर दिया हैं यानि उनको

अनियन्त्रित क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरित कर दिया हैं। विशेषकर नगर क्षेत्रों की स्थिति और भी खराब है क्योंकि इस क्षेत्र की छोटी इकाईयां वर्तमान अधिनियमों के अन्तर्गत नही आती है।

१६४६: बालक नियोजन (संशोधन अधिनियम १६४६) :-

इस अधिनियम द्वारा शासित सभी स्थापनाओं में नियोजन की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर १४ वर्ष कर दिया है।

१६५१: बालक नियोजन अधिनियम १६५१ :-

(अल्पवय व्यक्तियों के रात्रि कार्य से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय के परिणामस्वरुप) १५ वर्ष से १७ वर्ष के बीच की आयु वाले बालकों के लिए रात के समय रेलवे और बन्दरगाहों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है और १७ वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिये रजिस्टर रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

(२) खान अधिनियम १६५२ :- यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू हैं जहाँ पर लोग प्रौढ़ श्रमिक या बाल श्रमिक के रुप में खानों में कार्य करते हैं। इसके अन्तर्गत वे भी आते हैं जो खनिज पदार्थ की खोज में तथा अनुसन्धान में लगे हैं। इस अधिनियम में बाल श्रमिक के लिये यह व्यवस्था की गई है कि खानों में १५ वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। भूमिगत खदानों में बालको के कार्य करने के संबंध में अधिनियम मे दो शर्ते निर्धारित की गई है।

(१) जिस बालक को काम पर लगाया जाए उसने १६ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो : तथा

(२) उसने किसी सर्जन से शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण प्राप्त कर लिया है।

(३) **बागवनी श्रमिक अधिनियम १९५१** :- इस अधिनियम के अनुसार वे सभी श्रमिक तथा बाल श्रमिक जो चाय बागान, काफी बागान रबर तथा कार्डमीन बागों में कार्य करते हैं लागू होता है। साथ ही साथ जहाँ १०.११७ हैक्टेयर तथा अधिक भूमि में बागवानी है जिसमें ३० या ३० से अधिक श्रमिक कार्य करते है वहाँ भी लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार वह बच्चा बाल श्रमिक नहीं बन सकता जिसने १२ वर्ष पूरे नही किये हैं तथा किशोर श्रमिक वह है जो १५-१८ वर्ष का है।

(४) **मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम १९५८** :- यह अधिनियम उन बाल श्रमिकों एवं श्रमिकों पर लागू होगा जो भारतीय मर्चेन्ट शिपिंग के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हों तथा वहाँ पर ये कार्य कर रहे हों। इसमें वहीं बच्चे श्रमिक बन सकते है जो १५ वर्ष पूरे कर चुके हैं तथा ये बाल श्रमिक सभी कार्यो मे से टाइमर एवं स्टीकर्स के लिये नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। ये बाल श्रमिक तभी बन सकते है जब ये मान्य सर्जन के द्वारा कार्य क्षमता का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र नियोक्ता को प्रस्तुत करें।

(५) **मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम १९६१** :- यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता है जिस मोटर परिवहन मे ५ या ५ से अधिक श्रमिक श्रम करते है यह अधिनियम वहाँ पर लागू होता हैं। राज्य सरकार चाहे तो ५ से कम श्रम करने वाले मोटर परिवहन संस्थान मे भी यह अधिनियम लागू कर सकती है। १५ वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी मोटर परिवहन उपक्रम में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया है।

(६) **बाल रोजगार अधिनियम १९३८** :- यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। इसके अर्न्तगत सभी श्रम संबंधी संस्थान आते हैं। इसके अन्तर्गत कुछ मुख्य संस्थायें आती है। जैसे- रेलगाड़ी से संबंधित रेलवे पटरी, स्टेशन तथा प्लेटफार्म आदि पटरी से राख साफ करना वेल्डर का

कार्य करना। इनमें वे श्रमिक नहीं बन सक्ते जिसने १५ वर्ष पूरे नहीं किये है। यह अधिनितयम वहाँ पर लागू नहीं होगा जहाँ पर नियोक्ता स्वयं अपने परिवार की सहायता से कार्य कराता है तथा करता है। अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियोक्ता को एक महीने की जेल या ५०० रुपये तक का आर्थिक दण्ड लग सकता है।

(७) बाल अधिनियम १६३३: (प्लीडिग आफ लेबर) :- यह अधिनियम सन् १६५०-५१ में संशोधित हुआ। यह सम्पूर्ण भारत मे लागू होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी माता पितातथा संरक्षक अपने बच्चों को बाल श्रमिक नहीं बनने देगा अथवा बनने पर विवश नही करेगा। इस अधिनियम के अनुसार बच्चा वह है जिसने अभी १५ वर्ष अपनी आयु के पूरे नहीं किये है तथा वह बाल श्रमिक नही बन सकता।

(८) एपरेन्टिस अधिनियम १६६१ :- इस अधिनियम के अन्तर्गत वे बच्चे एपरेन्टिस के लिये अधिकारी होगे जिसने १४ वर्ष पूरे कर लिये हो विशेष विषय तथा प्रशिक्षण के लिये उचित योग्यता हो साथ ही साथ चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र भी हो कि अमुक विषय में एपरेन्टिस करने के योग्य है।इस अधिनियम में निम्नतम योग्यता ६वीं कक्षा उत्तीर्ण है।

(६) एपरेन्टिस अधिनियम १६६१ :- एपरेन्टिस अधिनियम १६६१ के अनुसार वे बच्चे जिन्होंने अपनी आयु के १४ वर्ष पूरे कर लिए हैं,प्रशिक्षण के लिए उचित योग्यता रखते हो तथा चिकित्सकीय प्रमाण पत्रा लिए हो, एपरेन्टिस के लिए अधिकारी होंगे।

(१०) बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम १६६६ :- यह अधिनियम बीड़ी तथा सिगार बनाने वाले श्रमिकों के बारे में नियम बनाता है तथा इसके पालन की आज्ञा देता है। यह अधिनियम

जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर शेष पूरे भारत में लागू होता हैं इस अधिनियम के अनुसार बच्चा वह है जो १४ वर्ष का नहीं है। तथा किशोर वह है जिसने १४ वर्ष पूरे कर लिये हैं। इस अधिनियम में बाल श्रमिक एवं प्रोढ़ श्रमिक के कार्य के घण्टों के बारे में कोई अलग उल्लेख नहीं है। किन्तु बाल श्रमिकों को ओवर टाइम करने पर रोक लगाता है। बीड़ी तथा सिगार बनाने के उद्योग मे नियोक्ता वर्ग अधिकतर ठेके पर ठेकेदारी द्वारा कार्य कराते है जिससेवह इस अधिनियम का खुला उल्लंघन करते है। इस अधिनियम के अनुसार जो इस अधिनियम की अवहेलना तथा अवमानना करेगा उसे ३ महीने का कारावास या ३०० रुपये का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।

(११) कान्ट्रेक्ट अधिनियम १६७० :- यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम जहाँ पर २० से अधिक श्रमिक ठेके पर कार्य करते है लागू होता है। यहउन सभी संस्थानों पर लागू होता है जहाँ २० या अधिक श्रमिक गत १२ माह मे से एक दिन भी ठेके पर श्रमिक के रुप में कार्य करते हो तथा प्रत्येक ठेकेदार पर जिसने विगत १२ माह मे एकदिन २० से अधिक श्रमिकों को कार्य दिया हो । यदि संस्थानों मे कार्य आकस्मिक प्रकार का है तो यह अधिनियम लागू नही होगा। प्रमुख नियोक्ताओं को राज्य सरकार के पंजीकरण अधिकारी से पंजीकरण प्रमाण-पत्र लेना होगा। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार जो ठेके पर श्रमिक रखता है तथा किसी भवन या निर्माण के कार्य में ३ महीने या उससे अधिक का कार्य कराता है तो उसे ठेके के मजदूरों के लिये आराम घर तथा रहने की व्यवस्था उचित रुप से करनी होगी इस अधिनियम के अनुसार ठेकेदार श्रमिक वही हो सकता है जो १८ वर्ष अपनी आयु को पूरा कर चुका हो इसके नीचे के श्रमिक बाल श्रमिकों में आते है।जो सभी कार्य नही कर सकते वह कुछ हल्के कार्य सहायक के रुप में अपने माता पिता या प्रौढ़ श्रमिकों के साथ कर सकता है।

(१२) <u>दुकान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम</u> :- इस अधिनियम के अर्न्तगत वे श्रमिक आते हैं जो दुकान होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान मे कार्य करते हैं। यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों में अलग अलग है जो समयानुसार परिस्थति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यह अधिनियम श्रमिकों के लिये कार्य समय का आरम्भ मध्यावकाश बन्द होने का समय, मजदूरी की दर,ओवरटाइम, वेतन सहित छुट्टी सालाना छुट्टी बच्चों अथवा किशारों के रोजगार से संबंधित उपनियम आदि का निर्धारण करता है इस नियम के अनुसार बाल श्रमिकों की निम्नतम आयु सभी राज्यो में १२ वर्ष हैं केवल आन्ध्रप्रदेश मे बाल श्रमिकों की आयु १४ वर्ष है। यह अधिनियम बाल श्रमिकों तथा किशोर श्रमिकों को रात्रि में कार्य करने से रोकता है। रात्रि का अर्थ सायं ७ बजे से प्रातः ८ तक है। इस अधिनियम में बाल श्रमिकों के कार्य का समय भी निर्धारित किया गया है। जो ३ घण्टे से ७ घण्टे तक है। ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। साथ ही साथ ३-४ घण्टे कार्य करने के पश्चात् आधे या एक घण्टे का भध्यावकाश होना चाहिए।

<u>निम्नतम मजदूरी अधिनियम १९४८</u> :- इस अधिनियम ने भारत में सर्वप्रथम मजदूरी से संबधित मौखिक नियम का प्रतिपादन किया ।यह अधिनियम सन्१९२२ में आई०एल०ओ० द्वारा आयोजित "मिनिमम वेजेज फिक्सिंग मिश्नरी इन्वेशन" के आधार पर बना जो मिनिमम वेजेज एक्ट १९४८ के नाम से प्रचलित हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि तथा अन्य रोजगार में मजदूरी से संबंधित समस्याओं पर विचार हुआ। इसमे पहले भाग की अनुसूची में गैर कृषि से संबंधित रोजगार या व्यवसाय तथा दूसरे भाग की सूची में कृषि से संबंधित रोजगार आते हैं। वैसे राज्यों को यह अधिकार हैं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य रोजगारों को भी रख सकता है। यह

अधिनियम श्रमिकों के निम्नतम वेतन को निश्चित तथा संशोधित करने का अधिकार देता है। किन्तु यह अधिनियम यह नही बताता है कि किस आधार पर तथा किस सिद्धान्त पर निम्नतम मजदूरी निश्चित की जाये यह इसकी कमी है।

यह अधिनियम मजदूरी कानून के विपरीत विभिन्न प्रकार के श्रमिकों पर लागू होता है। मजदूरी कानून मूल रुप से संगठित व्यवसायों के श्रमिकों के लिये निर्मित किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उन व्यवसायों पर लागू होता है। जो उपेक्षाकृत कम संगठित है तथा जिनको नियमित करना बहुत कठिन है। जहाँ कठोरं श्रम करना पड़ता है। तथा मजदूरों में शोषण के अधिक अवसर है। इस नियम के अन्तर्गत न्यूनतम समय, मजदूरी, न्यूनतम कार्यानुसार, मजदूरी अथवा गारन्टी समय पर हो सकती है।

<u>**कानून बनाम बाल श्रमिक**</u> :- बाल मजदूरी की दयनीय स्थिति के लिये बहुत कुछ जिम्मेदार इन कानूनों को ठहराया जा सकता हैं आज स्थिति यह है कि बाल श्रमिक अपने बचपन को बेचने के बावजूद रोजी रोटी के लिये मोहताज है। शहरों मे ढाबों या रेस्ताओं में कार्यरत बच्चे व घरों में काम करने वाले बच्चों की महीने की आमदनी खाने पीने के साथ १०० रुपये से लेकर १५० तक की होती हैं जो कि प्रतिदिन औसतन ५ रुपये भी नहीं होती है। ये श्रमिक अपनी बात को कहीं भी नहीं उठा पाते हैं। अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सरकार इनके मालिक को तो दण्डित करेगी पर उन्हें किसी अनाथ आश्रम में भेज दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में इन नाजुक कन्धों पर टिकी घर की व्यवस्था का क्या होगा? असक्षम माँ बाप या भाई बहन की रोजी रोटी कहाँ से जुटेगी इस पर कोई कानून कुछ भी नहीं कहता।

वर्तमान हालात मे यह आवश्यक हैकि बाल मजदूरों के हक में कानून बने इससे सबसे अधिक फायदा बाल मजदूरों को ही होगा क्योंकि बाल मजदूरों के साथ यह सच जुड़ा है कि जब तक सरकार बाल श्रमिकों पर निर्भर परिवारों के जीवन यापन के लिये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती तब तक चाहे कितने ही कानून बनाये जाये बच्चों द्वारा अपने सपने बेचने की मजदूरी नहीं रोकी जा सकती ।

देश में बारह ऐसे अधिनियम मौजूद है जिनके तहत १४ वर्ष और किन्हीं विशिष्ट व्यवसायों में १५ वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बतौर मजदूर काम लेना वर्जित हैं। देश में मौजूदा १२ अधिनियम संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों पर ही लागू होते हैं जबकि सच्चाई यह है कि संगठित क्षेत्रों में बाल मजदूरों की संख्या सिर्फ १० प्रतिशत है और शेष ९० प्रतिशत बाल मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं तथा यही क्षेत्र सबसे अधिक बाल मजदूरों का शोषण करता है। वर्ष १९९६ में सबसे अधिक बाल श्रमिक अधिनियम को मंजूरी दी गयी। इस बिल में १० वर्ष के भीतर देश मे से बाल श्रमिकों को समाप्त करने की बात कही गयी है। परन्तु २० वर्ष बीतने के बाद भी सरकार द्वारा इस दिशा में कदम न उठाये जाने से ऐसा लगता है कि सरकार बाल श्रम को कई वर्षो में समाप्त नही कर पायेगी।

विधेयक की अनुसूची क और ख में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धित व्यवसायों या प्रक्रियाओं के लिये बड़ा दण्ड दिया गया है। इस सन्दर्भ में विशेषज्ञों और कुछ लोगों का मत है कि यदि सरकर ने थोड़ा सा भी उल्लंघन करने वाले के लियेउनके लाइसैन्स रद्द कर देने जैसी सख्त सजा रखी होती तो यह उपाय ज्यादा कारगर सिद्ध होता । अपने मत की पुष्टि में वे शिवकाशी के आतिशबाजी उद्योग का उदाहरण देते हैं।उनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चों का सर्वाधिक शोषण करने वाले इस उद्योग को

कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये अगर बन्द भी कर दिया जाये तो उससे कोई राष्ट्रीय हानि नही होगी। हॉं कारखाने दारो की अक्ल ठिकाने जरुर आ जायेगी।

विधेयक में जिन व्यवसायों मे बच्चों के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाया है। वे हैं- बीड़ी निर्माण प्रक्रिया,कालीन बुनाई, सीमेन्ट निर्माण कपड़ा रंगाई, माचिस एवं आतिशबाजी निर्माण अभ्रक की कटाई और उसका विखण्डन ,चमड़ा और साबुन निर्माण ,चर्म शोधन उनकी सफाई और निर्माण उद्योग। इस सूची में कांच उद्योग को भी शामिल कर लिया जाना बहुत जरुरी है क्योंकि अकेले फिरोजाबाद क्षेत्र में ५० हजार से अधिक बाल मजदूरों को अत्यधिक शोषक परिस्थितियों और स्वास्थ्य के लिये खतरनाक वातावरण में दिन में १२ से १४ घण्टे तक काम करना पड़ता है। इन व्यवसायों मेंकामकरने वाले बच्चे अन्य प्रतिबन्धित व्यवसायों से किसी भी तरह से बेहतर नही हैं। इस संबंध में श्री रामकिशोर पारचा का यह कथन सहीप्रतीत होता है। ''चूड़ियों'' के निर्माण की प्रक्रिया दिलचस्प कम हृदयविदारक ज्यादा है। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने केबाद भी बाल श्रमिक हर स्तर के शोषण का शिकार होते हैं।

विधेयक के भाग ३ में यह प्रावधान हैकि रात्रि मे ७ बजे से प्रातः ८ बजे तक बाल श्रमिको के लिये रोजगार निष्द्धि है। ओवर टाइम या एक ही दिन में एक से अधिक प्रतिष्ठान में कार्य करना निष्द्धि है सप्ताह में एक बार छुट्टी अनिवार्य होगी। बाल श्रमिक को धूल धूँआ प्रदूषण एवं अन्य खतरों से बचाने हेतु प्रबन्धों के नियम निर्धारित किये गये है। परन्तु देखना यह है कि इन नियमों व उपनियमों का कितना पालन नियोक्ता बाल श्रमिकों की दशाओं में सुधारने के लिये कर पाते है। सरकारी स्तर पर भी मंत्री व सरकारी अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी क्या इन कानूनों कोसही रुप से लागू करवा पायेंगे?

विधेयक १९८६ मे एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रिया की पहचान के लिये एक समिति गठित किये जाने की भी व्यवस्था है जोकि वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। कानूनी उपबन्धों के कार्यान्वयन की सफलता के लिये स्वयं सेवी एवं सामाजिक संगठनों को सहयोग अत्यन्त आवश्यक होता है और इस विशेष संदर्भ में बाल कल्याण से सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठनों ने बाल मजदूरों की सोचनीय स्थिति पर काफी कार्य किया है। अतः नये विधेयक की सफलता के लिये इन संगठनों के साथ लेकर चलना अत्यावश्यक हैं केवल तब ही बाल श्रमिकों के हित के लिये बने कानून अपने मूल उद्‌देश्य मं सफल हो पायेगे।

कानून बनाम नियोक्ता :- आधुनिक युग में बाल श्रम एक सामाजिक समस्या बन गया है। औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त अधिकतम लाभ कमाने के उद्‌देश्य से पूंजीपतियों द्वारा सस्ते श्रमिकों को नियुक्त किया जाने लगा। इस उद्‌देश्य हेतु बाल श्रम को काम पर रखने और उनसे अधिकतम कम लेने की परम्परा शुरु हुई। दूसरी ओर बच्चों के शोषण को देखकर समाज सुधारकों समाजवादियों, राजनीतिज्ञों द्वारा बल श्रम को प्रतिबन्धित करने अथवा नियन्त्रित करने हेतु अधिनियम की मांग की जाने लगी। अनेक देशो ने इस संबंध में अधिनियम बनाये। अतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ मे भी बाल श्रमिकों के श्रमकों प्रतिबन्धित करने का प्रस्ताव रखा।भारत में भी १९८६ तथा १९८९ में इस संबंध में बाल श्रम अधिनियम पारित किये गयें। इन अधिनियमों के प्रावधानों की क्रियान्विति देखना होती हैं किन्तु सरकारी अफसरों की मनमानी और सरकारी ढुलमुल नीतियों के कारण यह श्रम निरीक्षक अपने कर्तव्य को पूरा नही करते है। इस संबंध में एक नियोक्ता का यह कहना वास्तविक स्थिति को उजागर करता है कि सरकारी अफसरों को महीना देते रहो तो

सब जायज वरना सब नाजायज।[1]

किसी राष्ट्र का भविष्य बच्चे होते है। बच्चे आशवादी कल का आधार है। वास्तव में बच्चे ही राष्ट्र है। परन्तु जिन बच्चों की ऑखों में देश के निर्माता भविष्य के सपने देखना चाहते है। उनकी ऑखों में अन्तहीन भटकाव का सागर हिलोरें ले रहा है।-विश्व के सम्पूर्ण राष्ट्रों में बालक काम करते हैं। परन्तु भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वधिक है। अतीत के विपरीत वर्तमान समय में बाल श्रम एक सामाजिक समस्या का रुप धारण कर चुका है।
देश की सामाजिक आर्थिक समस्या मे इसकी जड़े इतनी गहराई तक प्रवेश कर चुकी है कि बाल श्रम का उन्मूलन अन्तर्मन से समाज सुधारक व राजनीतिक असम्भव मानने लगे है और इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आमन्त्रित बाल शिखर सम्मेलन ३० सितम्बर १९९० में भारत अपना प्रतिनिधि भेजने का साहस नही कर सका।

भारत में एक विकासशील अर्थव्यवस्था है निर्धनता निम्न राष्ट्रीय आय,कृषि की प्रधानता, जनधिक्य की समस्या,सम्पत्ति व आय के वितरण में असमानता, पूंजी का अभाव औद्योगिक व कृषि का पिछड़ापन इत्यादि भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ उल्लेखनीय विशेषतायें हैं। यातायात व संवादन वाहन के साधनों की अपर्याप्तता व विपरीत भुगतान सन्तुलन ने देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रभावित किया है। राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अशिक्षा आर्थिक, कुचक्र इत्यादि ने अर्थव्यवस्था को और अधिक जटिल कर रखा है।

जनाधिक्य, निर्धनता एवं निम्न तकनीकी ज्ञान व साधनों के फलस्वरुप आर्थिक जगत में श्रम का बहुत महत्व बढ़ गया है। श्रम को अनेक प्रकार से विभाजित किया हैं परन्तु वर्तमान अध्ययन के

---

१. हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्स ३० अप्रेल, १९८९

लिये श्रम को वयस्क श्रमिक,महिला श्रमिक व बाल श्रमिक में विभाजित किया है। बाल श्रमिक की पनीभाषा समय व स्थान के अनुरुप परिवर्तित होती रहती है। भारतीय सन्दर्भ में १८ वर्ष से कम आयु का पुरुष व १६ वर्ष से कम आयु की महिला बालक की श्रेणी में सम्मिलित किये जाते है। ऐसा बालक जब अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवन यापन करता है तो बाल श्रमिक कहलाता है। राष्ट्रीय जनसहयोग व बाल विकास संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार की एक रिपोर्ट के अनुसार सामान्यतः बाल श्रमिक उन्हें कहा जाता है। जो बालक अपने पालन पोषण व परिवार की आर्थिक दशा सुधारने, अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिये तथा अपनी निर्धनता दूर करने के लिये जब किसी नियोक्ता के पास नियमबद्ध रुप से पारिश्रमिक लेकर कार्य करता है तो उसे बाल श्रमिक शब्द से सम्बोधित किया जाता है।

भारत में समय समय पर हुए विभिन्न अधिनियमों एवं कानूनो में बाल श्रमिको की आयु का प्रावधान किया गया है। इन नियमों के आधार पर १८ अथवा १६ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ही बाल श्रमिक है। यद्यपि बाल श्रमिक धनोपार्जन कर देश की अर्थव्यवस्था में सकरात्मक योग देता है। तथापि वह शोषण एवं आर्थिक पिछडेपन का प्रतीक है।

विश्व के सभी देशों व समाजों में सुदूर प्राचीन काल से ही बाल श्रमिक विद्यमान रहे है। भारत में भी इसका अपवाद नही हैं परन्तु प्राचीन काल में बाल श्रम एक समस्या के रुप में विद्यमान नही था। संयुक्त परिवार विघटन, नगरीकरण औद्योगिक व तकनीकी विकास के कारण बाल श्रम वर्तमान भारत की एक ज्वलन्त समस्या बन गया है जो देश के लिये एक बदनुमा दाग है। निर्धनता अभिभावक की अपर्याप्त आय, बेरोजगारी परिवारिक कटुता योजना की कमी बड़ा परिवार,कम मजदूरी, अनिवार्य शिक्षा की कमी, माँ बाप की अज्ञानता इत्यादि के फलस्वरुप बाल श्रम

किसी न किसी रुप में आज तक विद्यमान हैं १६८१ में देश की जनगणना के अनुसार देश में देखा जाये तो तमिलनाडु में बाल श्रमिकों का प्रतिशत ८.८४ सर्वाधिक है तथा लक्षद्वीप में १.१७ प्रतिशत न्यूनतम है जैसा की बताया गया है कि १६८१ की जनगणना में २ करोड़ से अधिक बच्चे ही कार्यरत थें, परन्तु ये ऑकड़े विश्वसनीय प्रतीत नही होते हैं क्योकि भारत में बाल श्रमिक मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों में हैं। अतः उनकी सही संख्या का अनुमान नही लगाया जा सकता। गैर सरकारी सर्वेक्षणों के आधार पर यह संख्या ४ करोड़ से अधिक हैं उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश हैं इस प्रदेश की जनंसख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है।

बाल श्रम देश में प्राचीन काल से विद्यमान है परन्तु एक समाजिक समस्या के रुप में औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त ही दृष्टिगत हुआ है। यह आश्चर्य की बात है कि १६५४ के पूर्व इस समस्या की ओर किसी भी विद्वान अथवा सरकार का ध्यान उन्मुख नहीं हुआ। १६५४ में भारत सरकार ने १६५५ में मद्रास, १६७६ में बम्बई,१६७७ में दिल्ली १६७६ में पटना व अहमदाबाद और १६८० में वाराणसी में सरकार के निर्देश पर सर्वेक्षण हुआ। १६७४ में समाचार पत्रों में समय समय पर अपने लेखों द्वारा समाज का ध्यान इस ओर आकृर्षित करने का प्रयास किया। भारत जैसे विशाल देश में किसी भी समस्या का अध्ययन व्यापक स्तर पर करना वांछनीय नहीं है। सूक्ष्म अध्ययन ही समस्या का वास्तविक दिगदर्शन कराता है।

बाल श्रमिकों से सम्बन्धित बाल-अधिनियमों मेंयह प्रावधान किया गया है कि कार्य पर रखने से पूर्व नियोक्ताओं को बाल श्रमिकों से उनके स्वास्थय का प्रमाण पत्र मांगना चाहिए, तत्पश्चात ही नियोक्ता द्वारा उन्हें काम पर लगाया जा सकता है अन्यथा दण्ड के लिए नियोक्ता उत्तरदायी होगा परन्तु क्रियात्मक रुप से इस प्रावधान पर अमल नहीं किया जाता हैं।

सर्वेक्षण में शोधकर्ता ने नियोक्ताओं से इस सम्बन्ध में जानकारी ली गई जो निम्नवत हैं:-

सारिणी संख्या ७.१

नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की मॉग		
पेशा	परम्परागत पत्र की मॉग	मॉगने का प्रतिशत
परम्परागत	१	९
ढाबा/जलपान गृह	५	४.५
दुकान	१२	११
घरेलू	१५	१३.६
अन्य	४	३.६
योग	३७	४१.७

सारिणी संख्या ७.१ से स्पष्ट है कि उनके यहाँ काम करने वाले बाल श्रमिक के स्वास्थ्य का भी कोई महत्व है उन्हें लगता है कि यदि हम स्वस्थ्य बाल श्रमिक को नौकरी देंगे तो हो सकता है कि वह वेतन अधिक माँगें या अन्य किसी प्रकार भी अपने लिये कोई शर्त लगा दे अतः ६६ प्रतिशत नियोक्ताओं ने कोई स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र बाल श्रमिक से नहीं माँगा । केवल एक तिहाई ने बाल श्रमिकों से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र माँगा वह भी केवल इसलिये कि उसे या उसके परिवार में किसी सदस्य को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो उनके कार्य में हानि पहुँचाये ।

यद्‌यपि सरकार यह प्रयास करती है कि संस्थानों में नौकरी करने वाले बाल श्रमिकों से ग्राहकों का कोई नुकसान न हो और न नियोक्ताओं द्वारा बाल श्रमिकों का शोषण किया जा सके इसके लिये सरकार ने विभिन्न पदों पर श्रम निरीक्षकों, आधिकारियों आदि को नियुक्त कर दिया है जो समय-समय पर संस्थानों तथा नियोक्ताओं के यहाँ जाकर निरीक्षण करें कि कहीं बाल श्रमिक रोगी तो नहीं तथा वे यह भी देखते हैं कि कहीं नियोक्ता बाल श्रमिक का शोषण तो नहीं कर रहा है इसके लिये उन्हें शासन से स्पष्ट निर्देश हैं कि वे समय-समय पर जाकर उन संस्थानों, घरों, ढाबों/जलपानगृहों तथा दुकानों आदि का निरीक्षण करें जहाँ बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं कितने प्रकार के तथा कितने अधिकारी सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं तथा वे कैसा निरीक्षण करते हैं यह सारिणी संख्या ७.२, ७.३, ७.४ एवं ७.५ में दिखाया गया है ।

सारिणी संख्या ७.२

सरकार द्वारा नियुक्त बाल श्रम से सम्बन्धित निरीक्षक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण करने आते हैं या नहीं - के आधार पर निर्धारण

क्रम सं.	निरीक्षण पर आना	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकान	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
१.	हाँ	३	२	४	५	२	१६	१४.५
२.	नहीं	८	२५	२५	२८	८	९४	८५.५
योग		११	२७	२९	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ७.३

सरकार द्वारा नियुक्त बाल श्रम से सम्बन्धित अधिकारी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण करने आते हैं या नहीं-के आधार पर निर्धारण								
क्रम सं.	निरीक्षण पर आना	परम्परागत	ढाबा/ जलपान गृह	दुकानें	घरेलू	अन्य	योग	प्रतिशत
१.	हॉ	४	१२	१३	२	३	३४	३१.०
२.	नहीं	७	१५	१६	३१	७	७६	६९.०
योग		११	२७	२९	३३	१०	११०	१००

सारिणी संख्या ७.४

श्रम अधिकारियों की संख्या

क्र.सं.	श्रम निरीक्षक	प्रतिशत
१.	श्रम अधिकारी	३
२.	श्रम कल्याण अधिकारी	२
३.	श्रम निरीक्षक	८१
४.	अन्य	१
	योग	८७

सारिणी संख्या ७.५

जो अधिकारी जिन नियोक्ताओं के प्रतिष्ठान पर जाते हैं वे कितनी बार प्रतिवर्ष जाते हैं के आधार पर निर्धारण		
आवृत्ति	उत्तरदाता	प्रतिशत
वर्ष में एक बार	६९	७९.३
वर्ष में दो बार	१०	११.५
वर्ष में तीन बार	५	५.७४
चार बार या अधिक	३	३.४४
योग	८७	९९.८४

सर्वेक्षण में नियोक्ताओं से पूछा गया कि क्या श्रम निरीक्षक प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते हैं- सारिणी संख्या ७.२ से ज्ञात होता है कि केवल १४.५ प्रतिशत निरीक्षक ही निरीक्षण पर आते हैं शेष ८५.५ प्रतिशत निरीक्षण कार्य पर कोई ध्यान नहीं देते हैं तथा केवल अपने कार्यालय में बैठकर निरीक्षण की खानापूर्ति कर लेते हैं जबकि इन्हें अनिवार्य रूप से कार्य स्थलों पर निरीक्षण हेतु जाना चाहिए ।

सारिणी संख्या ७.३ से ज्ञात होता है कि केवल ३१ प्रतिशत नियोक्ताओं के प्रतिष्ठानों पर श्रम अधिकारी निरीक्षण करने जाते हैं और शेष ६९ प्रतिशत नियोक्ताओं के कार्यस्थलों का निरीक्षण करने का श्रम अधिकारी कोई कष्ट नहीं उठाते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम अधिकारी और निरीक्षक अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते हैं ऐसी स्थिति में बाल श्रम को नियन्त्रित करना सम्भव नहीं है । जो अधिकारी निरीक्षण पर जाते हैं उनसे संपर्क करके परिचय प्राप्त किया गया कि वे किस विभाग से सम्बन्धित हैं तथा किस पद पर कार्यरत हैं। सारिणी संख्या ७.४ से ज्ञात होता है कि ८७ में से ८१ श्रम निरीक्षक अर्थात् लेबर इन्सपेक्टर हैं तथा ३ श्रम अधिकारी और २ श्रम कल्याण अधिकारी हैं तथा सभी ने यह बताया कि वे श्रम कल्याण विभाग से सम्बन्धित हैं इस बात की भी जानकारी प्राप्त की गयी कि वे एक वर्ष में कितनी बार निरीक्षण हेतु संस्थानों में जाते हैं। सारिणी संख्या ७.५ में प्राप्त उत्तरों से ज्ञात होता है कि लगभग १२.६ प्रतिशत अधिकारी और निरीक्षक संस्थान के नियोक्ताओं को सलाह देते हैं तथा ८७.४ प्रतिशत इस सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं देते हैं जबकि अनिवार्य रूप से सलाह देना चाहिये । इस प्रकार प्रतीत होता है कि यह केवल खानापूर्ति करते

हैं। नियोक्ताओं से इसके उपरान्त पूछा गया कि क्या वे निरीक्षकों द्वारा दिये गये परामर्श को व्यवहार मे लाते हैं।

सारिणी संख्या ७.४ के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि श्रम निरीक्षक वर्ष में अधिक से अधिक चार बार निरीक्षण करते हैं। चार बार निरीक्षण करने का प्रतिशत ३.४४ है तथा तीन बार निरीक्षण करने वालों का प्रतिशत ५.४४ हैं। इस प्रकार हम देखते है कि जिन प्रतिष्ठानों मे निरीक्षण के लिए निरीक्षक जाते है वे भी कुछ छोड़कर शेष वर्ष में एक बार से अधिक नही जा पाते हैं।

नियोक्ताओ से यह भी पूछा गया कि क्या निरीक्षक उन्हें किसी प्रकार का परामर्श देते हैं। नियोक्ताओं को श्रम अधिकारी परामर्श देते हैं या नहीं और उस परामर्श को नियोक्ता कितना जानते हैं यह सभी सारणी संख्या ७.६ में दर्शाया गया है ।

सारिणी संख्या ७.६

अधिकारियों द्वारा दिये गये परामर्श पर नियोक्ताओं का व्यवहार के आधार पर निर्धारण			
क्रम सं.	परामर्श पर व्यवहार में	उत्तरदाता	प्रतिशत
१.	लाते हैं	-	-
२.	धीरे-धीरे लाते हैं या लाने का प्रयास करते हैं	९	१४.७५
३.	नहीं लाते हैं	५२	८५.२५
	योग	६१	१००

जैसा ऊपर विवेचन किया गया है कि ८७ निरीक्षकों में से केवल ६१ परामर्श देते हैं ये दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश नियोक्ता इन परामर्शो पर ध्यान न देकर इन्हें रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। ८५.२५ प्रतिशत इनके परामर्श को अमल मे ही नहीं लाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रम विभाग के दिये गये दायित्व का निरीक्षक भली प्रकार निर्वाह नही करते है जो निरीक्षक अपने दायित्वों को निभाते भी है वे अपने सुझावों का पूरा नहीं कर पाते है। इस दशा में बाल श्रम प्रतिबन्धित करना तो दूर नियंत्रित करना भी सम्भव नहीं हो पायेगा।

अध्याय - ८

निष्कर्ष एवं सुझाव :-

शोधकर्ता ने सूक्ष्म अध्ययन हेतु बुन्देलखण्ड का चयन किया है जो अत्यन्त ही दरिद्र एवं पिछड़ा क्षेत्र रहा है। शोधकर्ता का उद्देश्य बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन,बाल श्रम के विस्तार करने वाले कारकों की जानकारी,उनके कार्य की दशाओं और उनके आर्थिक उपार्जन का परिवार पर प्रभाव,बाल श्रम में होने वाली हानियों एवं दुष्प्रभावों का आंकलन,बाल श्रमिकों और नियोक्ताओं की आर्थिक बाध्यता एवं बाल श्रम उन्मूलन की सम्भावनाओं एवं बाल श्रम में सरकारी व राजकीय भूमिका का अध्ययन करना ही हैं। इन उद्देशयों की प्राप्ति हेतु एवं अध्ययन को उचित दिशा देने हेतु कुछ कार्यात्मक कल्पनायें निर्मित की है। बाल श्रमिक के कार्य करने का प्रमुख कारण, पारिवारिक निर्धनता है। असमय ही कार्य करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं तथा वे अनेक दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते है। उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। उनके कार्य की दशाये असन्तोषजनक एवं अस्वस्थकर है। भारत में बाल श्रम उन्मूलन सम्भव नहीं है अत: उसमें सुधार ही बांछनीय एवं आवश्यक है। शोधकर्ता ने यह अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर किया।

इसके लिए एक साक्षात्कार अनुसूची निर्मित की गयी। यथास्थान अवलोकन विधि का भी अवलम्बन लिया गया।प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य राजकीय एवं गैर राजकीय प्रतिवेदनों विधि विधानों का भी अध्ययन किया गया। जिससे प्राथमिक सामग्री का परिमार्जन हो सके। अध्ययन

बुन्देलखण्ड जनपद में किया गया। अध्ययन हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों का चयन किया गया । इन चयनित बालकों को कार्य की दृष्टि से पांच वर्ग,परम्परागत उद्योग,ढाबा/जलपानगृह,घरेलू ,दूकाने,अन्य उद्योगों में विभक्त किया गया।

शोधकर्ता को अध्ययन के मार्ग में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसे उसने अपने शुभचिन्तकों के सहयोग एवं स्वयं के परिश्रम से हल किया।

कार्य की दशायें, श्रमिक के स्वास्थ्य,कार्य क्षमता,मानसिकता एवं उत्पादित वस्तु की गुणात्मकता को प्रभावित करती हैं अतः कार्य की दशाओं का स्वास्थ कर होना श्रमिक एवं नियोक्ता दोनों के ही हित में हैं। जिन धन्धों पर कोई सरकारी नियम प्रभावी ढंग से लागू नहीं होता अतः ऐसे क्षेत्रों में कार्य की दशाये प्रायः अस्वास्थकर होती है।

शोधकर्ता ने सर्वेक्षण में यह जानने का प्रयास किया कि क्या बाल श्रमिको ने कार्य से पूर्व किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। श्रमिक क्षेत्रों में बच्चे को स्कूल तो भेजा जाता हैं परन्तु उनमें बीच में पढ़ाई छोड़ देने की समस्या बहुत अधिक है। बच्चा कुछ ही समय बाद विद्यालय छोड़ देता है। फलस्वरुप अपव्यय और सरकारी संसाधनों का दुरपयोग होता है। सर्वेक्षण में भी इस धारणा की पुष्टि होती है, कि स्कूल छोड़ने के कारणों का विशलेषण करने पर ज्ञात हुआ, कि निर्धनता स्वयं की रुचि न होना, बुरी संगत,मॉबाप द्वारा स्कूल से छुड़ा लेना प्रमुख कारण दृष्टिगत हुए। विद्यालय की दूरी भी एक कारण देखने मे आयी।

महत्वाकांक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय हैं एवं व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षओं को अपने बच्चों में फलीभूत देखना चाहता है। अधिकांश बाल श्रमिकों के माता पिता भी श्रमिक होते है। शोधकर्ता को यह ज्ञात हुआ है कि ७५ प्रतिशत श्रमिक अपने बच्चों को बहुत अच्छा कारीगर या अपने साथ कार्य

करवाना ही पर्याप्त मानते थें। केवल १३.५ प्रतिशत माता पिता बच्चो के संबंध में उच्च्व महत्वाकांक्षा रखते थें।

सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि बाल श्रम से व्यस्क बेरोजगारी बढ़ती है इसको वरीयता क्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर जनसंख्या वृद्धि है। नैतिक पतन को तीसरे स्थान पर व बाल श्रमिकों के व्यस्क जिम्मेदारी में बाधा चौथे स्थान पर है। यही सब बाल श्रम के कुप्रभाव है और नियोक्ताओं को इसके बारे में ज्ञान है।

सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि स्कूली शिक्षा को वरीयता देने वाले बच्चों में से लगभग ४६.६० प्रतिशत का मत था कि शिक्षा से मानसिक विकास होता है। २२.३ उत्तरदाताओं का मत था कि शिक्षा प्राप्त करके वे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं तथा अकुशल श्रमिक के स्थान पर तकनीकी ज्ञान से युक्त बाल श्रमिक बन सकते हैं। १५.३० प्रतिशत शिक्षा को वरीयता देने वाले बाल श्रमिकों का कहना था कि अल्प आयु में कार्य करने से बच्चे अनेक रोगों का शिकार हो जाते है।

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ५०० बाल श्रमिकों मे से केवल एक तिहाई ३८.८ प्रतिशत अर्थात् १६४ बाल श्रमिक ही बाल श्रम के दुष्प्रभाव से परिचित हैं और चाहते है कि यदि किसी प्रकार से बाल श्रम का उन्मूलन हो जाये तो उनका जीवन सुधर सकता है। इसलिए मन से बाल श्रम उन्मूलन चाहते हुए भी ४० प्रतिशत से कम बाल श्रमिको ने बाल श्रम उन्मूलन का समर्थन किया।३६.४० प्रतिशत नियोक्ताओं का यह कथन है कि यदि बाल श्रम को कानूनी रुप से समाप्त कर दिया जाये तो हटाये गये बाल श्रमिको की निर्धनता में वृद्धि हो जायेगी। हाल मे हुए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि बम्बई मे कार्यरत बच्चों मे से ८० प्रतिशत बच्चे नशे व चोरी की आदतों का शिकार हो गए है। १४.८० प्रतिशत बाल श्रमिकों का कथन है कि बाल श्रम को समाप्त करने से

बेरोजगारी बढ़ेगी। २६.३ प्रतिशत बाल श्रमिकों का कहना है कि इससे जीवन स्तर में गिरावट आयेगी। यह बात सही भी है। जो आय बाल श्रमिक अर्जित करते थे वह आय तो अब समाप्त हो जायेगी। सर्वेक्षण में सबसे अधिक बालक १० वर्ष से १४ वर्ष तक के बीच ही अधिकतम थे। इन बच्चों को यदि रोजगार से हटाया जाये तो मुख्य रुप से एक ही विकल्प रह जायेगा कि उन्हें शिक्षित किया जाये। बाल श्रमिकों के साथ एक ओर विडम्बना है कि जहाँ वे एक ओर अपनी बाल्यावस्था व अधखिले बचपन को नियोक्ताओं व सरंक्षकों के लिए बलिदान कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर नियोक्ताओं का व्यवहार असंतोषजनक व कभी तो अत्यन्त खराब होता है। शोधकर्ता ने सर्वेक्षण मे यह पाया कि ८६.२ प्रशिशत बाल श्रमिकों के साथ नियोक्ताओं का व्यवहार असन्तोषजनक व कहीं कहीं तो अमानवीय भी है। यह निश्चय ही खेद की बात है कि वे अपना सब कुछ न्योछावर करने के उपरान्त भी नियोक्ताओं की झिड़कियाँ,अपमान,मारपीट व गाली गलौच सहन करते हुए व इतना होते हुए भी वे सरंक्षकों के डर से काम छोड़ भी नहीं सकते। शोधकर्ता ने यद्यपि यह अनुभव कर लिया कि बाल श्रमिकों का कम वेतन, कार्य के अधिक घण्टे,अवकाश मध्यावकाश व छुट्टी भी प्राप्त नहीं होती और यही ही नहीं नियोक्ताओं का उनके प्रति व्यवहार सभ्यता व मानवीयता से परे भी है तथापि उसने यह जानने का प्रयास किया कि क्या वे अपने कार्य से सन्तुष्ट हैं ४५ प्रतिशत बाल श्रमिकों ने इस प्रकार की सन्तुष्टि बतायी। अवलोकन, स्वअनुभव एवं अधिक खोजबीन करने से उसे ज्ञात हुआ कि इनकी सन्तुष्टि भी मजबूरी भरी अधिक है क्योंकि उनके समक्ष अन्य कोई मार्ग नहीं हैं। इसी के साथ ही शोधार्थी ने उनकी महत्वकांक्षाये भी जानने का प्रयास किया।

किसी भी देश के सांस्कृतिक स्तर का विश्वसनीय मापदण्ड उस देश के बालकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से मापा जा सकता है प्रत्येक देश में कुछ ऐसे कारण विद्यमान होते है

जिनके फलस्वरुप बालक अल्पायु मे ही कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। भारत इसका अपवाद नहीं है। कुटीर उद्योगों के पतन के उपरान्त देश में औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण के साथ ही बाल श्रमिकों के रोजगार के अवसर बढ़ गये। कुटीर उद्योगों में वह अपने माता पिता का हाथ बटाता था परन्तु औद्योगिकरण से वह श्रमिक बन गया। निर्धनता एवं सम्पादित आय की असमानता ने बालकों को मजदूरी करने के लिए बाध्य कर दिया और इस कार्य के मध्य उसे विभिन्न यातनाओं का सामना करना पड़ता है। स्वतन्त्रता के लगभग ५७ वर्षो के उपरान्त भी देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रुप से लागू नहीं किया जा सका है। फलस्वरुप स्कूल के स्थान पर बच्चा नौकरी करने के लिए बाध्य हुआ। यह और भी दुखद है कि भारत मे भ्रष्टाचार व लालफीताशाही ने उनके हित मे बने विधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं होने दिया। देश में जनसंख्या का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। श्रमिक परिवारों मे यह वृद्धि और भी अधिक है। भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरुप निर्धनता व भुखमरी बढ़ रही है और माँ बाप को बाध्य होकर परिवार के छोटे छोटे सदस्यों को आर्थिक उपार्जन में लगाना पड़ता है। नैतिक मूल्य तिरोहित हो चुके है, कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार, अनाचार व शोषण का सर्वत्र साम्राज्य है बच्चों का शोषण एक सामान्य बात हो गयी है। इन कारकों ने बाल श्रम समस्या के जनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए भारत ने सदैव सकारात्मक नीति का अनुसरण किया है। बालश्रम उन्मूलन और उन कार्य दशाओं और परिस्थितियों को, जिनमें बालक काम करते है। विनियमित करने के लिये राष्ट्रीय इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता इस देश के संविधान के अनेक उपबंधों एवं अन्य नियमों में प्रकट हुई है।बाल श्रम से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के छह

अभिसमय (कन्वर्जन्स) है जिनमें से तीन का अनुसमर्थन भारत ने बीसवीं सदी के प्रथम २५ वर्षो के दौरान ही कर दिया था। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के दौरान ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा बालकों को श्रम से संरक्षण प्रदान करने वाले सभी सुसंगत प्रावधानों को संविधान के प्रारुप में ही शामिल कर लिया था।

बाल श्रमिकों के शोषण की ओर जब समाज सुधारकों का ध्यान आकर्षित किया गया तो यह प्रस्ताव रखा गया कि इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये उन्हें वित्तीय सहायता देकर स्वयं रोजगार करने की प्रेरणा दी जाये। शोधकर्ता ने इस संबंध में बाल श्रमिकों से जानकारी प्राप्त की। आधे से अधिक श्रमिक यह अनुभव करते हैं कि नौकरी की तुलना में स्वरोजगार अच्छा है व इससे उनके शोषण का अन्त हो जायेगा। २० प्रतिशत बाल श्रमिक इस बारे में कोई मत नहीं व्यक्त करना चाहते थे। २० प्रतिशत ने नियोक्ताओं के अन्तर्गत ही कार्य करना उपयुक्त माना। उनका कहना था कि गलाकाट प्रतियोगिता,आर्थिक क्रियाओं की जटिलता मांग व पूर्ति की खलनायकी व्यवहार, श्रम समस्यायें, कच्चे माल की आपूर्ति, विक्रय की समस्या आदि का समाधान उन जैसे अनुभवहीन निरक्षर एवं कम शिक्षित मासूम बालक नही कर सकते। नौकरी के अन्तर्गत वह इन पचड़ों में नही पड़ता व एक बंधी बंधायी आय प्राप्त कर लेता है।

स्वरोजगार को वरीयता देने वालों का कहना है कि यदि राज्य उनकी उत्पादित वस्तुओं का क्रय करे और उनको कच्चा माल उपलब्ध कराये तथा पूंजी की व्यवस्था कर दे तो निश्चय ही नौकरी के दासत्व से स्वरोजगार अच्छा है। बाल श्रम से उत्पन्न बुराईयों से प्रभावित होकर अनेक अर्थशास्त्रीं व समाज सुधारक बाल श्रम उन्मूलन की वकालत करते हैं।

बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन का कार्य ऐसे प्रभावी रचनातन्त्र की माँग करता है जो नीति निर्माण तथा कार्यक्रमों के संचालन में सहायक हो। इस दिशा में संतुलित शुरुआत १९९० में हुई जब भारत सरकार तथा यूनीसेफ के सहयोग से वी०वी० गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में बाल श्रम प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहयोग की यह अवधारणा राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के गठन मे उजागर हुई है। इस प्राधिकरण के सदस्य भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के सचिव है। स्थानीय स्तरपर यही अवधारणा बाल श्रम उन्मूलनके लिए जिला परियोजना समितियों के गठन में परिलक्षित होती है। यह अवधारणा सेवाओं के अभिसरण (कन्वेंजन्स) के लिए समिति के गठन मे विशेष रुप से उजागर हुई है। बाल श्रम उन्मूलन का सबसे अधिक विरोध नियोक्ता व संरक्षक करते है। नियोक्ता को सस्ता श्रम प्राप्त नहीं हो पाता। राज्य में अनेक अधिनियम पारित किये परन्तु उनका पालन कराने वाले निरीक्षक अपने कर्तव्य का उचित प्रकार से निर्वाह नही करते और वे नियोक्ताओं के जाल में फँस जाते हैं बाल श्रम उन्मूलन से जुड़ी हुई दूसरी समस्या पुर्नवास है। यदि बाल श्रम उन्मूलन कर दिया जाये तो इन बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दिलवायी जाये यह एक गम्भीर समस्या है। ५५ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी स्वतन्त्र भारत की सरकार समस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने मे असमर्थ रही है। विद्यालयों और न शिक्षा प्रदान करने वाले निष्ठावान अध्यापकों की व्यवस्था हो पाई है। शिक्षा अर्थहीन बन गई है और यह अनुभव किया जा रहा है कि यह शिक्षा रोजगार परक नहीं है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी कार्य के योग्य नहीं रह जाता। अतः पुर्नवास की समस्या अपने आप में अत्यधिक जटिल है व इसलिये बाल श्रम उन्मूलन की वकालत करने वाले भी अन्तर्मन से यह मानते है कि बाल श्रम उन्मूलन सम्भव नहीं है। बाल श्रम के नियमन नियन्त्रण एवं प्रतिबन्धित करने का दायित्व

राज्य का है। राज्य इस हेतु समय समय पर विधि विधान बनाता है व उसे अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा अनुपालन करवाता है। इन विधि विधानों में बाल श्रमिक को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी सस्था मे कार्य नहीं कर सकता। १४ वर्ष से १८ वर्ष तक बालक ही बाल श्रमिक कहलाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलनों में बाल श्रमिकों की निम्तम आयु व उनकी समस्याओं से संबंधित सामान्य नियम पारित किये गये। कानून मानव व्यवहार को नियन्त्रित करने वाले औपचारिक विशिष्ट नियमों का वह स्वरुप है जो राज्य द्वारा निर्मित किया जाता है तथा सत्ताधारियों द्वारा लागू होता है। मैकाइवार के अनुसार राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों ही होता है। दण्ड के भय से समाज के सदस्य कानून का अनुपालन करते है। इसका प्रमुख कार्य व्यक्तियों के मध्य ऐसा सहयोग उत्पन्न करता है कि जिससे वे सामान्य लक्ष्यों के लिये अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर सके। बाल श्रमिकों से संबंधित विधान भी समय समय पर निर्मित किये गये। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी उद्योग एवं खान में १४ साल से कम बच्चे नियुक्त नही किये जा सकते। आबादी की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा लोक तन्त्र हैं। गरीबी की दृष्टि से भी सबसे बड़ी संख्या और खासकर बच्चे पेट की आग बुझाने को जोखिम भरे कारखानों में खटते है। किन्तु प्रौढों की तुलना में अच्छा पारिश्रमिक भी नही पाते हैं। इसके विपरीत बच्चों पर विश्व शिखर सम्मेलन न्यूयार्क मे हो रहा है और भारत द्विविधा मे है कि अपना प्रतिनिधि किसको भेजे। यह विडम्बना है कि भारत ने बाल श्रमिक सहमति १९८९ के लिए जोर लगाया किन्तु अभी तक स्वयं उसका अनुमोदन न कर सका है। जबकि तीस देश इसका अनुमोदन कर चुके है। हमारी कुछ विवशताऐं जरुर हैं किन्तु जब सिद्धान्ततः हम एक बात पर सहमत है तो उसको दृढ़ता से आगे बढ़ाने में लापरवाही कहां तक उचित है।

इस दशक के दौरान बाल श्रम के प्रति लोगो की सोच दृष्टिकोण और मनोवृत्ति में युगांतरकारी परिवर्तन आया है। बाल श्रम को निकट भविष्य में जड़मूल से समाप्त करने की तत्परता और दृढ़ता राष्ट्रीय संकल्प में स्पष्ट रुप से झलकती हैं भारत सरकार राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा किए गए और किए जा रहे प्रयासों से बाल श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों से मुक्त कराने में धीमी परन्तु निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है। संसाधन समिति और लोगो के विचारों में बदलाव भी धीरे धीरे आता है यही कारण है कि सरकार ने अपने प्रारंभिक लक्ष्य इस दशक के अन्त तक जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने का उद्देश रखा है।

कार्य योजना की गति को प्रबलता प्रदान करने के लिए एक बुनियादी संकल्पात्मक परिवर्तन लाया गया है। इससे बाल श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सेवाओं समुदाय एवं स्वैच्छिक संगठनों की महत्तवपूर्ण भूमिका है। यद्यपि भावी चुनौतियां सामने है तथापि बाल श्रम की समाप्ति का यह लक्ष्य सहज लगता है क्योंकि हमारे साथ है केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता, संकल्पबद्ध प्रशासनिक कार्य योजनाएँ और इसके साथ साथ है बढ़ते वित्तीय संसाधन। नया सूर्योदय अब दूर नहीं है।

सुझाव :

बाल श्रमिकों की उपस्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यधिक अशोभनीय है किसी भी समाज में व्यक्ति का बचपन यदि कुंठित और उत्पीडित होतो इससे बढकर कोई अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता है अतः बाल श्रमिकों की बढती संख्या पर शीघ्र अंकुश लगाया जाना चाहिए तथा देश के वर्तमान बाल श्रमिकों के उत्थान व उद्धार के लिए आवश्यक योजनाएं एवं कार्यनीतियॉ तैयार पर कार्यान्वित की जानी चाहिए इस संदर्भ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंहराव ने १५ अगस्त १९९४ को स्वाधीनता दिवस पर अपने भाषण में भीषण जोखिमयुक्त उद्योग धन्धों में बाल श्रमिकों के नियोजन को उन्मूलित करने का आहवान किया था। इस हेतु एक कार्यकारी योजना भी तैयार की गई,जिसके तहत खतरनाक उद्योगो में लगे लगभग २० लाख बाल श्रमिकों को इनके काम से हटा कर स्कूलों मे भेजने की व्यवस्था की जाएगी जहॉ उन्हें रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इन बाल श्रमिकों के माता पिताओं को भी जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ट्राइसेम (TRYSEM) जैसे रोजगारपरक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। जिनसे वे स्वयं पर्याप्त आय अर्जित कर सके तथा अपने बच्चों को श्रम के लिए बाध्य न करे इस योजना पर आगामी ६वर्षो में ८५० करोड़ रुपये व्यय किए जाने है बाल श्रम निवारण हेतु एक राष्ट्रीय प्राधिकरण भी केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इन सब प्रयासों के साथ -साथ निम्नलिखित सुझावों को कार्यान्वित करके बाल श्रम के उन्मूलन में कारगर सफलता प्राप्त की जा सकती है

(१) भविष्य में बालको का कार्य क्षेत्र में प्रवेश न हो, इस हेतु समर्पित प्रयास करने चाहिए।

(२) बाल श्रमिकों का उन्मूलन राज्यों के पर्याप्त सहयोग द्वारा ही किया जा सकता है बाल श्रमिकों के उन्मूलन से सम्बन्धित कानूनो, यथा बाल श्रमिक (उन्मूलन व नियमन) अधिनियम १९८६ के राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कार्यान्वयन तंत्र (Enforcement mechanism) एवं जिला निगरानी समितियॉं (District Commission) द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(३) विभिन्न राज्यों में बाल श्रमिकों की संख्या के अनुरुप इनको पूर्णरुपेण समाप्त किए जाने के समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

(४) गैर-कृषि क्षेत्र में ऐसे विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें बच्चों को रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जा सके।

(५) बाल श्रमिकों की संख्या को समाप्त करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को विशेष महत्तव दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की अध्यक्षता में गठित कमीशन ऑन लेबर स्टेण्डईस एण्ड इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा तैयार एक परिचर्चा पत्र में भी अनेक सुझाव दिए गए हैं इस आयोग ने बाल श्रमिकों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति तैयार करने,बाल श्रमिकों के नियोजन की निगरानी हेतु पैनल का निर्माण एवं बाल श्रमिकों के उन्मूलन में सहयोग देने वाले उद्योगों को अनेक वितीय प्रेरणाएं (यथा उत्पाद शुल्क व बिक्रीकर विभेदीकरण का लाभ एवं अन्य अनुदान) प्रदान किए जाने के सुझाव दिए हैं आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की परिधि के अर्न्तगत लाना है ताकि उनके जीवन को सही दिशा दी जा सके।

बाल श्रमिक देश के लिए शर्मनाक है अतः उनका उन्मूलन केवल राज्य व केन्द्र सरकार का ही दायित्व नहीं है, अपितु स्वैच्छिक संगठनों सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों को भी इस ओर अपना समर्पित सहयोग देना चाहिए ताकि इन शोषित,उत्पीडित व अंधकार में जी रहे देश के नैनिहालों का उद्धार हो सकें।

बाल वर्ग के दैहिक व मानसिक शोषण को रोकने के लिये बहुत सारे कानून बनाये गये है जैसे १९८६ में एक कानून बनाया गया था जो बाल श्रमिक को काम करने से रोकता है। कुछ उद्योगों को संकटमय की श्रेणी में रखा गया है। बाल श्रमिकों को संकटमय उद्योगों में कार्य नहीं देना चाहिए। लेकिन सेक्क्स के सेक्टरी कैलाश सत्यार्थी के अनुसार जब भी किसी फैक्टरी का निरीक्षण किया जाता है तो इसके मालिक कहते है कि यह श्रमिक उनके रिश्तेदार हैं और पारिवारिक बिजनेस सीख रहे है। लेकिन यह तथ्य झूठ है और बाल श्रमिक भी कहते है कि यह तथ्य झूठ है।

वास्तव में बाल श्रमिक समस्या एवं सामाजिक समस्या है जिनका समाधान करना समाज के लिये सभी सदस्यों का उत्तरादायित्व है चाहे वे अमीर हो या गरीब अधिकारी हो या कर्मचारी तभी देश की उन्नति सम्भव है यह सफलता सयुक्त प्रयासों से ही प्राप्त की जा सकती है ।

अनुसूची "क"

१. आयु निर्धारण प्रश्नोत्तरी

(क) नाम ....

(ख) पिता का नाम ....

(ग) जन्म तिथि ....

(घ) जन्म तिथि प्रमाण ....प्रमाण पत्र/माता/पिता/अन्य द्वारा दी गयी सूचना

२. स्कूल छोड़ने एवं कार्य मिलने के अन्तराल की प्रश्नोत्तरी -

(क) नाम ....

(ख) पिता का नाम ....

(ग) कक्षा जिसमें पढ़ता था ....

(घ) पढ़ना छोड़ने का समय ....दिनाँक माह वर्ष

(ड.) कार्य मिलने का समय ....दिनाँक माह वर्ष

अन्तर

३.

(क) नाम ....

(ख) पिता का नाम ....

(ग) परिवार में सदस्यों की संख्या ....

(घ) नौकरी करने का कारण ....

सही का निशान लगाऐं - स्वयं की इच्छा/माता पिता या संरक्षक की इच्छा/साथी द्वारा प्रोत्साहन/

कोई अन्य कारण

४. व्यवसाय के चयन की प्रश्नोत्तरी

(क) नाम ....

(ख) पिता का नाम ....

(ग) पिता का व्यवसाय ....

(घ) माता का व्यवसाय ....

(ङ.) व्यवसाय का चयन - परंपरागत/ढावा,जलपानगृह/दुकानें/घरेलू/अन्य

५. नियोक्ताओं द्वारा बाल श्रमिकों को वरीयता देने की प्रश्नोत्तरी

(क) नाम नियोक्ता..

(ख) व्यवसाय ....

(ग) बाल श्रमिक रखना क्यों पसंद करते हैं (वरीयता क्रम दें)

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	तटस्थ
सस्ता				
आज्ञाकारी				
औद्योगिक विवाद नहीं				
निम्न स्तरीय कार्य के लिये तैयार				
बारीक कार्य में दक्षता				
कुल वरीयता				

(प्रथम वरीयता को तीन अंक, द्वितीय वरीयता को दो अंक तथा तृतीय वरीयता को एक अंक देकर वरीयता गुणॉक निकालें)

६. बाल श्रम से लाभ

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	तटस्थ
उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार				
कम उम्र में दक्षता				

निर्धनता में कमी				
स्वावलंबी				
समय का सदुपयोग				
कुल वरीयता				

७. बाल श्रम से हानियॉ

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	तटस्थ
नैतिक पतन				
वयस्क जिम्मेदारी में बाधा				
शिक्षा के हास				
जनसंख्या वृद्धि				
बेरोजगारी				
कुल वरीयता				

८. नियोक्ता द्वारा मध्यावकाश देने की प्रश्नोत्तरी

(क) नाम ....

(ख) पिता का नाम ....

(ग) व्यवसाय ....

(घ) क्या नियोक्ता द्वारा मध्यावकाश दिया जाता है – हॉ/नहीं.......................

(ङ.) मध्यावकाश का समय – १५मिनट/२५मिनट/३५मिनट/४५मिनट/१घंटा/निश्चित नहीं

९. नियोक्ता द्वारा कार्य का समय निर्धारण की प्रश्नोत्तरी

(क) नाम ....

(ख) पिता का नाम ....

(ग) व्यवसाय ....

(घ) क्या कार्य का समय निर्धारित है – हॉ/नहीं.......................

(ङ.) कार्य का समय – ४ १/२ घंटे/६ घंटे /८ घंटे /१० घंटे /१२घंटे/निर्धारित नहीं

१०. बाल श्रमिकों के प्रति नियोक्ता के व्यवहार की प्रश्नोत्तरी

(क) नाम ....

(ख) पिता का नाम ....

(ग) व्यवसाय ....

(घ) नियोक्ता का व्यवहार कैसा है – अच्छा/संतोषजनक/असंतोषजनक/अत्यधिक असंतोषजनक

११. बाल श्रमिकों के कार्य संतुष्टि के आधार पर प्रश्नोत्तरी

(क) नाम ....

(ख) पिता का नाम ....

(ग) व्यवसाय ....

(घ) क्या आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं - हॉ/नहीं.......................

(ड.) कितना संतुष्ट हैं - अत्यधिक/संतुष्ट/तटस्थ /असंतुष्ट /अत्यध्कि असंतुष्ट

"संदर्भ ग्रन्थ सूची"

हिन्दी ग्रन्थ सूची :-

(१) अग्रवाल ए०एन०	भारतीय अर्थव्यवस्था विकास एवं योजना की समस्यायें, नई दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाऊस, १९८२
(२) अन्नादादिन	चाइल्ड लेवर व वर्किंग क्लास, फैमिली एण्ड डोमेस्टिक आइडियालाजी इन नाइनटीन सेन्चुरी ब्रिबैन डेवलपमेन्ट एण्ड चेन्ज १३ अक्टूबर, १९८२
(३) इण्टरनेशनल रिव्यू	आई०एल०वी० पब्लिकेशन आई०एल०वी० सी०एच० जमैका।
(४) केन्द्रीय बाल अधिनियम १९६०	
(५) कारखाना अधिनियम १९४८	
(६) कुलश्रेष्ठ जे०सी०	भारत में बाल-श्रम, १९७८
(७) खरे व सिम्हा	सामाजिक अनुसंधान व सांख्यिकी १९७७ पुस्तक भवन-रीवा, इलाहाबाद
(८) गोपाल राम नारायण	भारतीय अर्थव्यवस्था की रुपरेखा, औस्टिलांग मैन लिमिटेड,नई दिल्ली
(९) चाइल्ड लेवर इन इण्डिया	लेवर ब्यूरो, १९५४

(१०) माथुर, एस०एस० — सामान्य मनोविज्ञान,विनोद पुस्तक भण्डार ,आगरा।

(११) त्रिपाठी जगदीश नारायण — श्रम सामाजिक कल्याण और सुरक्षा १९५९

(१२) नाथूराम,लक्ष्मीनारायण — भारतीय अर्थव्यवस्था लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा,१९९०

(१३) यादव एम०एस० — चाइल्ड पोपुलेशन ग्रोथ इन इण्डिया दिसम्बर, १९७६

(१४) यूनिसेफ, चाइल्ड इन इण्डिया, १९७९

(१५) रिपोर्ट आफ नेशनल कमीशन आन लेवर, १९६९

(१६) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ०प्र० लखनऊ

(१७) अष्ठम पंचवर्षीय योजना प्रारुप — योजना आयोग नई दिल्ली

(१८) इण्डिया टूडे

(१९) हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली

(२०) प्रोफाइल आफ चाइल्ड इन इण्डिया — समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली-१९८०

(२१) वर्किंग चिल्ड्रन इन अरबन — इण्डियन काउन्सिल आफ चाइल्ड वेलफेयर, १९७७

(२२) कारखाना अधिनियम १९४८

(२३) केन्द्रीय बाल अधिनियम १९६०

(२४) कुलश्रेष्ठ,जे०सी० भारत में बाल श्रम १९७८

(२५) इण्डिया, १६८८

(२६) गुप्ता श्रीमती पीधनी सेनः बाल श्रम एक सामाजिक समस्या के रुप में

(२७) गोपाल रामनारायण -भारतीय अर्थव्यवस्था की रुप रेखा, ओस्टि लांगमैन लिमिटेड नई दिल्ली।

(२८) चाइल्ड लेबर इन इण्डिया- लेबर ब्यूरो १६५४

(२६) चन्द्र जगदीश-हमारी रोटी की समस्या १६४७

(३०) जैन आर०एस०-अर्थशास्त्रा के सिद्वान्त,रस्तोगी एण्ड कं० मेरठ।

(३१) डेविस जरोमे- मजदूरों की समस्यायें व आधुनिक उद्योग

(३२) फ्रेजर जेम्स-द गेल्टन बाउथ मैक सिलक, न्यूयार्क १६५०

(३३) खरेव सिन्हा-सामाजिक अनुसन्धान व सांख्यिकी १६७७ पुस्तक भवन रीवा कैकसटन प्रेस,इलाहाबाद।

(३४) गुप्ता जे०पी०- भारत एक आर्थिक अध्ययन, कृष्णा ब्रदर्स अजमेर।

(३५) मिलिन्द सत्यप्रकाश-भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्यांए

(३६) भारत सरकार-भारत में बाल श्रम १६५४

(३७) मुसाफिर सिंह-वर्किंक चिल्ड्रेन इन बाम्बे,१६८०

(३८) बच्चों की आवश्यकतायें-यूनिसेफ,द्वारा प्रकाशित पुस्तक में उद्वम आई०एल०ओ० की रिपोर्ट

(३६) भार्गव व मुखर्जी-भारतीय अर्थव्यवस्था -सम्भावनाये व समस्याये

(४०) मेयर एण्ड बाल्विन- आर्थिक विकास, थ्योरी हिस्द्दी व पालिसी १६८६

(४१) माइनर हरमन बुलेटिन एस०ओ०एस० बाल ग्राम विशाल भवन नेहरु प्लेंस,नई दिल्ली।

(४२) तिवारी उमा-हिन्दुस्तान ३ दिसम्बर १६८६

(४३) त्रिपाठी जगदीश नारायण-श्रम सामाजिक कल्याण और सुरक्षा १९५९

(४४) यूनिसेफ,चाइल्ड इन इण्डिया, १९८९

(४५) यादव एम०एस० चाइल्ड पोपुलेशन ग्रोथ इन इण्डिया, दिसम्बर १९७६

(४६) दाण्डेकर नीलकण्ठ-भारत में गरीबी

(४७) धींगरा ईश्वर- भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास

(४८) अमर उजाला- हिन्दी दैनिक ३१ मार्च २०००

(४९) नाग, डी एस०-भारतीय औद्योगिकरण,किताब महल, इलाहाबाद

(५०) नन्दा व आबिद अली-भारत में श्रमिको की समस्याये

(५१) नाथूरामका,लक्ष्मीनारायण-भारतीय अर्थव्यवस्था प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, १९९०

(५२) यंग पी.वी.- साइटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च १९५३

(५३) विश्व विकास रिपोर्ट १९८८,१९८९

(५४) वर्मा रत्ना,हिन्दुस्तान दैनिक २५ जून १९८९

(५५) लियो टालस्टाय-मालिक व मजदूर

(५६) वी०वी० गिरि भारतीय मजदूरों की समस्याये एशिया पबलिर्शिंग हाऊस कलकत्ता

(५७) वर्मा ओमप्रकाश सामाजिक अनुसन्धान, सरस्वती सदन ७ यू.ए जवाहर दिल्ली

(५८) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सेमिनार प्रतिवेदन नेशनल सेमिनार आन इम्पलायमेन्ट आफ चिल्ड्रेन इन इण्डिया १९७७ सें साभार

(५९) सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तरप्रदेश, लखनऊ

(६०) सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बुल्देलखण्ड

(६१) समाज विज्ञान विश्व कोष खण्ड दो

(६२) स्वामी दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश

(६३) केम्बर दा साइक्लोजी आफ परसेर्टशन एनवार्ड हेनरी हाल्ट १९६०

(६४) वुडबर्थ आर०एस० एण्ड डी०सी० मार्विक्स- मनोविज्ञान(पांचवां संस्करण) एन०वार्ड० हेनरी एण्ड कम्पनी

(६५) डा० माथुर एस०एस० सामान्य मनोविज्ञान विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा

(६६) न्यायमूर्ति पीएन भगवतीः भारत के उच्चतम न्यायलय के पूर्व मुख्य न्यायधीश।

(६७) नवभारत टाइम्स २७ फरवरी १९९०

(६८) कांगले के.पी. द कौटिल्य अर्थशास्त्रा पार्टी।

(६९) अशरफ लाइफ एण्ड कण्डीशन आफ द पीपल आफ हिन्दुस्तान

(७०) र्स्मायु कोठारी-शिवकासी में बाल श्रम आर्थिक एवं राजनीतिक सप्ताहिक,जुलाई २,१९८३ पृ०११

(७१) विश्व में बाल श्रमिको की स्थिति

(७२) ग्रामीण क्षेत्रा में बाल श्रमिकों की स्थिति

(७३) मामुलिया अंग- बैसाख जेठ संवत २०३५ पृष्ठ संख्या १६ शोध प्रबन्ध " बुन्देलखण्ड का सीमाकंन"।

(७४) सण्डे स्टेण्डर्ड- द स्कैण्डल आफ चाइल्ड लेबर सम्पादीकीय ३१ मार्च १९९४

(७५) सक्सेना,आर०सी०:श्रम समस्याये एवं सामाजिक कल्याण

(७६) सिन्हा एवं सिन्हा-श्रम अर्थशास्त्रा

(७७) दिनमान ३१ मई १९८९, पृ० ६६

(७८) धर्मयुग साप्ताहिक, २० नवम्बर १९८८ पृ० १८

(७९) मैलिनो वी० क्राइम्स एण्ड कस्टम्स इन सेवेज सोसायटी

(८०) नेशनल सेमिनार आफ इम्प्लायमेण्ट आफ चिल्डैन इन इण्डिया, अगस्त १९७७ आई०ए० जी०

नागराज पृ० सं २३७

(८१) बाल रोजगार अधिनियम १९३८

(८२) बागवनी श्रमिक अधिनियम १९५१

(८३) अपरेन्टिस अधिनियम १९६१

(८४) वेटस्टर्स न्यू इंगलिश डिकशनरी लैगूएज १९५६

(८५) लाल-लालू -बच्चों की कुछ समस्याये १९५४

(८६) विश्व विकास रिपोर्ट १९८८ एवं १९८९

Bibliography

1- Acharcya JLN- child labour in India

2- Anesty V- The Economic Development of India London Longgmans Green & co 1952.

3- Arthor D- Administration of social Agencies, Social work year Book 1949

4- Bhagoliwal, TN- Economics of labour and Social welfare Agra sahitya Bhawan, 1976

5- Beg, Tara Ali- Policy Provinces child in India 1979

6- Bell Chanthia- legal consultation for child welfare workers public welfare 33(3) Sumna 75

7- Children Bureau –why child labour laws ? united states department of labour.

8- Dutta B, The Economics of Industralisation, the world press, Calcutta, 1966.

9- Dewett, k.k- Modern Economics theory, shyamlal charitable Trust new Delhi 1981.

10- Douglas, D.w Hitchock and Atkins- The worker in modern economic society.

11- Ely. RT outlines of Economics.

12- Employed social service in India H.L.O. London, 1946.

13- Eysenck, HT (1972), Encylopedia of pscychology.

14- Fullere R.G- child labour and the constitution (1923) New york. The Thomas y. Gowellco.

15- Felt Theremy P- Hostage of fortune: child labour Ryons in New york state (1965) syraluse, Syraluse university press.

16- Gangrade and Godiya- Woman and child workers in unorganized sector, Suspect Publishing Co, New Delhi.

17- Geogre KN-child labour.

18- Gupta Padmini Sen- child labours social problem.

19- Gaslered Foaxsimond- child labour US.A work experience Annual report of the national child labour Committee of US.A.

20- Hagwood J.S- children in care (1959), London Routedge Kegarm Poul.

21- Hency N Aubecy- The place of small industries in economic development.

22- Jain S.N- Law Relating to child labour, child and the law I.L.O. New Delhi.

23- Jathar, GB and Bexi SG- Indian Economics oxford university press.

24- Kanta Ahuja- Ideal labour in village in India, New Delhi manohar pub.1978.

25-Karnik B.D- Indian labour problems and prospects, Calcutta, Minarwa Association, 1974.

26- Lumpkin K.D I Douglas D.W- child worker in America (1937) New york. Rebert M.Me Bride &Co.

27- Mahjan – Bonded labour 1981

28- Malhotra S.N- Labour problems in India New Delhi S chand &Co.

29- Marshall A- Principle of Economics London Macmillon & Co.

30- Meier and Balduin- Economic Development-Theory, Histroy and policy.

31- Nagraj A.G- The working child.

32- Naidu V.S- Health Education of workers of children in Greater Bombay.

33- Nicholosan J.S- elements in political economy.

34- Panda M-k-child labour in India, Indian Book exchange Calcutta, 1979.

35- Pigon Ac- Economics of welfare: London Macmillan & Co. Ltd. 1961.

36- Paugh, E- Social work in child care (1968), London Roujage & Kayan paul.

37- Rastogi T.N- Indian Industrial Labour.

38- Rose, S.N- Indian Labour III[rd] Ed. Eastern Law House Calcutta, 1958.

39- Rudra Dutta & Sundaram K. P.M Indian Economy Publisher, S. Chand & Co. Ltd. Ram Nager New Delhi 55.

40-Srivastva, Nigam & Banarji Sahai Industrial Economics, New Delhi S. Chand & co.

41- Singh, Musafir Kav &B.D and G. S.A working children in Bombay.

42- Sharma A.M- Aspects of labour welfare and social security: Bombay Himalaya Publishing House.

43- Taylor, AG- Labour problems and labour Law (1953), New york, prentice hall Inc.

44- Dr. Tomas J.P Indian's Basic Industries.

45- Vaid K.N- Contract labour in manufacturing Industries, New Delhi SRC press 1966.

46- Visard james S.l- The Sociology of child development Haiper & Co.

47- Wilson F.H- Our children (1951) ; oriental watchman publishing House.

48- Wilson H- Delinquency child labour neglect (1962) London Allen & unuin.

49- Woodsworth R.S-Experinental, Pscychology, Hency Halt 1938.

50- Woodsworth R.S & D.G Marviks- Pscyhology (Vth Ed) N.Y Hency Halt & Co, 1947.